शनिवार
26 मई 1956

लोक-सभा

वाद-विवाद

(भाग १—प्रश्नोत्तर)

खण्ड ४, १९५६

(१५ मई से ३० मई, १९५६)

1st Lok Sabha

बारहवां सत्र, १९५६

(खण्ड ४ में अंक ६१ से अंक ७२ तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

विषय-सूची

(खंड ४—अंक ६१ से ७२—१५ मई से ३० मई, १९५६)

अंक ६१. मंगलवार, १५ मई, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर— **पृष्ठ**

तारांकित प्रश्न संख्या २१९८, २२०१, २२०४ से २२०६, २२०९ से २२११, २२३२, २२१३ से २२१६, २२१८, २२१९, २२२१, २२२३ से २२२५, २२२७ और २२२८ २३९९–२४१९

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २१९७, २१९९, २२००, २२०२, २२०३, २२०७, २२०८, २२१२, २२१७, २२२०, २२२२, २२२६, २२२९ से २२३१ और २२३३ से २२४० ... २४१९–२६

अतारांकित प्रश्न संख्या २०३२ से २०८४ और २०८६ से २०८८ २४२६–४४

दैनिक संक्षेपिका **२४४५–४७**

अंक ६२. बुधवार, १६ मई, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २२४१ से २२४५, २२४७, २२४९, २२५२, २२५३, २२५५, २२५६, २२५८, २२५९ और २२६० से २२६६ ... २४४८–६७

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २२४६, २२४८, २२५०, २२५१, २२५४, २२५७ और २२६७ से २२७९ २४६८–७३

अतारांकित प्रश्न संख्या २०८९ से २०९८, २१०० से २१०५ और २१०७ से २१४७ २४७३–९३

दैनिक संक्षेपिका **२४९४–९६**

अंक ६३. गुरुवार, १७ मई, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २२८० से २२८२, २२८७ से २२९३, २२९५ से २२९७, २३०० से २३०४, २३०६ से २३१२ और २२८४ २४९७–२५१९

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २२८३, २२८५, २२८६, २२९४, २२९८, २२९९, २३०५ और २३१३ २५१९–२१

अतारांकित प्रश्न संख्या २१४९ से २१७९ २५२१–३१

दैनिक संक्षेपिका **२५३२–३३**

अंक ६४. शुक्रवार, १८ मई, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर-- **पृष्ठ**

तारांकित प्रश्न संख्या २३१५, २३१६, २३२३, २३२६, २३२८, २३३०, २३३२ से २३३६, २३३८, २३४०, २३४१, २३४३ से २३४६ और २३४८ से २३५० २५३४–५५

अल्प-सूचना प्रश्न संख्या १७ २५५६–५८

प्रश्नों के लिखित उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या २३१४, २३१७ से २३२२, २३२४, २३२५, २३२७, २३२९, २३३१, २३३७, २३३९, २३४२, २३४७ और २३५१ से २३५६ २५५८–६३

अतारांकित प्रश्न संख्या २१८० से २२०६ और २२०८ से २२२५ २५६४–८०

दैनिक संक्षेपिका **२५८१–८३**

अंक ६५. सोमवार, २१ मई, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या २३५७, २३५९, २३६२ से २३६८, २३७० से २३७२, २३७४, २३७५, २३७८ से २३८५ और २३८७ २५८५–२६०६

प्रश्नों के लिखित उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या २३५८, २३६०, २३६१, २३६९, २३७३, २३७७, २३८६, २३८८ से २४०२ २६०६–१३

अतारांकित प्रश्न संख्या २२२६ से २२३२, २२३४ से २२७२ २६१३–२८

दैनिक संक्षेपिका **२६२९–३१**

अंक ६६. मंगलवार, २२ मई, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या २४०३ से २४११, २४१३, २४१५ से २४१९, २४२१ से २४२५ और २४२७ से २४३० २६३३–५५

अल्प सूचना प्रश्न संख्या १८ २६५५–५६

प्रश्नों के लिखित उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या २४१२, २४१४, २४२०, २४२६ और २४३१ से २४४१ २६५७–६२

अतारांकित प्रश्न संख्या २२७३ से २२८४, २२८६ से २३००, २३०२, २३०३ और २३०५ ... २६६२–७१

दैनिक संक्षेपिका **२६७२–७४**

अंक ६७. बुधवार, २३ मई, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या २४४२ से २४४४, २४४६, २४४७, २४४९ से २४५३, २४५८, २४६४, २३६६ से २४७०, २४७१–क, २४७१ और २४७२ २६७५–९४

अल्प सूचना प्रश्न संख्या १९ २६९४–९७

पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर–

तारांकित प्रश्न संख्या २४४५, २४४८, २४५४, २४५५, २४५७, २४५९ से २४६१, २४६५, २४७३ से २४८३ और २४८५ से २४८९ २३९७–२७०४

अतारांकित प्रश्न संख्या २३०६ से २३४९ २७०५–२०

दैनिक संक्षेपिका **२७२१–२३**

अंक ६८. शुक्रवार, २५ मई, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २४९१, २४९२, २४९४ से २४९६, २४९८, २५०२, २५०४, २५०९, २५११, २५१३ से २५१६ और २५१८ से २५२१ ... २७२५–४५

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २४९०, २४९३, २४९७, २४९९ से २५०१, २५०३, २५०५ से २५०७, २५१२, २५१७ और २५२२ से २५२६ ... २७४६–५०

अतारांकित प्रश्न संख्या २३५० से २३५६ और २३५८ से २३९१ २७५०–६२

दैनिक संक्षेपिका **२७६३–६५**

अंक ६९. शनिवार, २६ मई, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या२५२९, २५३२, २५३५, २५३६, २५३८, २५४२, २५४३, २५४५ से २५५०, २५५३, २५५६ से २५५८, २५६० से २५६२, और २५३७ २७६७–८७

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २५२८, २५३०, २५३१, २५३३, २५३४, २५३९ से २५४१, २५४४, २५५१, २५५२, २५५५ और २५६३ से २५७२ ... २७८८–९४

अतारांकित प्रश्न संख्या २३९२ से २४०४, २४०६ से २४०९ और २४११ से २४१४ ... ... २७९४–२८०२

दैनिक संक्षेपिका **२८०३–०४**

अंक ७०. सोमवार, २८ मई, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २५७२–क, २५७३ से २५८०, २५८२ से २५८६, २५८९, २६०८ और २५९० से २५९३ ... ... २८०५–२७

अल्प सूचना प्रश्न संख्या २०, २१ और २२ २८२७–३२

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २५८१, २५८७, २५८८, २५९४, २५९५, २५९५-क, २५९६ से २६०७, २६०९ से २६११, २६१३ से २६१७, २६१७-क, २६१८ से २६२०, २७१० से २७३२ और २७३४ से २७३९ ... २८३२–५०

अतारांकित प्रश्न संख्या २४१५ से २४२२, २४२२-क, २४२३ से २४३३ और २५३२ से २५६३ ... ... २८५०–६९

दैनिक संक्षेपिका **२८७०–७३**

अंक ७१. मंगलवार, २६ मई, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर— पृष्ठ

तारांकित प्रश्न संख्या २६२४ से २६३०, २६३२ से २६३४, २६३६, २६३७, २६३६ से २६४७ और २६५० से २६५२ ... २८७५–९६

अल्प सूचना प्रश्न संख्या २३ २७९७–९९

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २६२१ से २६२३, २६३५, २६४१–क, २६४९, २६५३ से २६५८, २६५८-क, २६५८-ख, २६५९ से २६६३, २६६३-क, और २५०८ २८९९–२९०५

अतारांकित प्रश्न संख्या २४३४ से २४७७, २४७९ से २४८५, २४८५-क, २४८७ से २४९३ २९०५–२४

दैनिक संक्षेपिका २९२५–८८

अंक ७२. बुधवार, ३० मई, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २६६४ से २६७१, २६७३, २६७३-क, २६७४ से २६७६, २६७८, २६७८-क, २६७९ और २६८० २९२९–४९

अल्प सूचना प्रश्न संख्या २४, २५, २६, २७, और २८ २९४९–५९

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २६७२, २६७७, २६८१ से २६८९, २६८९-क, २६९० से २६९५, २६९५-क, २६९६ से २७०३, २७०५ से २७०९ और २५५९ २९५९–७०

अतारांकित प्रश्न संख्या २४९४, २४९५, २४९५-क, २४९६ से २५१८, २५१८-क और २५१९ से २५३१ ... ... २९७०–८३

दैनिक संक्षेपिका ... २९८४–८६

बारहवें सत्र का संक्षिप्त विवरण २९८७–८८

M72LSD—190—20-3-58—GIPF.

लोक-सभा वाद-विवाद

(भाग १ – प्रश्नोत्तर)

लोक-सभा

शनिवार, २६ मई, १९५६

लोक-सभा साढ़े दस बजे समवेत हुई

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

पलास्टिक उद्योग

†*२५२९. **श्री एस० सी० सामन्त** : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५४-५५ में भारत से बाहर भेजी गयी प्लास्टिक की वस्तुओं का कुल मूल्य कितना था;

(ख) प्लास्टिक उद्योग के विकास के लिये क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) राष्ट्रसंघ प्रविधिक कार्यक्रम के अन्तर्गत विदेशी विशेषज्ञों से जो सहायता प्राप्त हुई वह प्लास्टिक उद्योग सम्बन्धी उपकरण बनाने में किस हद तक उपयोगी सिद्ध हुई है; और

(घ) क्या प्लास्टिक उद्योग की जानकारी प्राप्त करने के लिये किसी व्यक्ति को विदेश भेजा गया था ।

†**औद्योगिक विकास मंत्री (श्री एम० एम० शाह)** : (क) १४·६ लाख रुपये ।

(ख) और (ग). दो विवरण सभा पटल पर रखे जाते हैं। [**देखिये परिशिष्ट १४, अनुबन्ध संख्या ७३**]

(घ) जी, नहीं ।

†**श्री एस० सी० सामन्त** : इस समय किन-किन देशों को प्लास्टिक की वस्तुओं का निर्यात किया जाता है और क्या प्लास्टिक निर्यात संवर्धन परिषद् के प्रयास के फलस्वरूप किसी नये देश को प्लास्टिक की वस्तुयें भेजी जाने लगी हैं ?

†**श्री एम० एम० शाह** : इस समय लगभग २६ देशों को यह माल निर्यात किया जाता है । निर्यात संवर्धन परिषद् ने हाल ही में एक कार्यक्रम बनाया है और आशा की जाती है कि यद्यपि निर्यात किये जाने वाले क्षेत्र का विस्तार नहीं होता, तथापि निर्यात की मात्रा बढ़ेगी ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री एस० सी० सामन्त** : क्या यह सच नहीं है कि इस उद्योग के कारण छोटे पैमाने के कुछ उद्योग, जैसे सींगों से निर्मित कंघियां और शंखों से निर्मित बटन, प्रभावित हो रहे हैं और, यदि हां, तो छोटे पैमाने के इन उद्योगों की रक्षा करने के लिये सरकार क्या कार्यवाही करने वाली है ?

†**श्री एम० एम० शाह** : सभी संभव कार्यवाही की जा रही है। प्रथम तो आयात किये गये कच्चे माल पर शुल्क की छूट दी जा रही है। निर्यात संवर्धन परिषद् ने लगभग ८--९ उपाय किये हैं जिनका उल्लेख विवरण में किया गया है। एक विदेशी विशेषज्ञ श्री राबिन्सन को लाया गया था, जिसने प्लास्टिक उद्योग के यंत्र और उपकरण को सुधारा है। अगले पांच वर्षों में सांचे बनाने के पाऊडर विशेषकर प्लास्टेरीन और पालीथिलीन, में देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिये कार्यवाही की गई है।

†**श्री बी० एस० मूर्त्ति** : प्रश्न के भाग (घ) के सम्बन्ध में मैं यह जानना चाहता हूं कि इस उद्योग के बारे में प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिये किसी को विदेश क्यों भेजा नहीं गया है ? क्या इसका कारण यह है कि हमारे यहां विशेषज्ञ कर्मचारी पर्याप्त संख्या में हैं या उनकी आवश्यकता अब भी है ?

†**श्री एम० एम० शाह** : देश को उद्योग सम्बन्धी प्रविधिक बातों की जानकारी है और इसलिये यहां से लोगों को अन्य देशों में भेजने की कोई आवश्यकता नहीं है।

†**श्री एम० एल० द्विवेदी** : प्लास्टिक के छोटे-छोटे उद्योग खोलने की दिशा में कौन-कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनको कि कौटेज इंडस्ट्री (कुटीर उद्योग) के स्केल पर (पैमाने पर) बनाया जा सकता है और उस दिशा में सरकार क्या करने जा रही है ?

†**श्री एम० एम० शाह** : जहां तक रॉ मैटीरियल (कच्चे माल) का ताल्लुक है वहां तक कोई चीज कौटेज इंडस्ट्रीज के तौर पर नहीं बनाई जा सकती और छोटी-छोटी मोल्डिंग्स छोटे-छोटे आर्टिकल्स (सामान) तो स्माल स्केल इंडस्ट्रीज के तौर पर अच्छी तरह बनाये जा सकते हैं। और सरकार इस बारे में हर प्रकार की मदद कर रही है।

बाढ़ से संरक्षण की योजनाएं

†***२५३२. **श्री हेम राज** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पेप्सू, हिमाचल प्रदेश, और जम्मू तथा काश्मीर राज्यों से कोई बाढ़ से संरक्षण की योजनायें प्राप्त हुई हैं; और

(ख) यदि हां, तो उनका स्वरूप क्या है और उनके सम्बन्ध में क्या निर्णय किया गया है ?

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी)** : (क) जी, हां।

(ख) आवश्यक जानकारी देने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ट १४, अनुबन्ध संख्या ७४**]

†**श्री हेम राज** : इस बात को देखते हुए इनमें से अधिकांश क्षेत्र ब्यास नदी में चिकनी मिट्टी के जम जाने से प्रभावित होते हैं; क्या सरकार ऊपरी जलागम क्षेत्र में बांध निर्माण कर इसे रोकने का इरादा रखती है ?

†**श्री हाथी** : पेप्सू सरकार को योजनायें बनाने का परामर्श दिया गया है। योजनायें आने पर उन पर विचार किया जायेगा।

†**श्री हेम राज** : विवरण से मैं यह देखता हूं कि इन राज्यों को तीस वर्ष की अवधि के लिये ऋण दिये जाने वाले हैं। इस बात को देखते हुए कि राज्यों की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, क्या सरकार उन्हें अनुदान एवं सहायक-अनुदान देने का इरादा रखती है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री हाथी** : इस समय तो अनुदान अथवा सहायक-अनुदान देने की कोई बात नहीं है किन्तु ऋण तीस वर्ष के लिये दिये जायेंगे तथा पहले पांच वर्षों में उन पर ब्याज न लिया जायेगा ।

†**श्री टी० एस० ए० चेट्टियार** : क्या इन बाढ़ नियंत्रण योजनाओं का उद्देश्य केवल भूमि के कटाव को रोकना ही है अथवा उनका उद्देश्य बाढ़ के पानी को रचनात्मक प्रयोजनों में लगाना भी है ?

†**श्री हाथी** : योजनायें दोनों उद्देश्यों की पूर्ति के लिये हैं । इस समय जो योजनायें बनाई गई हैं वे एक तरह से अल्प-अवधि के लिये अथवा उन क्षेत्रों के रक्षण के लिये बांध का उपबन्ध करने वाली अस्थायी योजनायें हैं । किन्तु अन्य योजनायें, जिनके सम्बन्ध में विस्तृत जांच की गई है, पानी के उपयोग के लिये भी बनाई गई है—जैसे हीराकुड बांध और दामोदर घाटी परियोजनायें—जो सिंचाई और विद्युत् शक्ति के लिये, बहुप्रयोजनीय योजनायें हैं ।

†**श्री आर० पी० गर्ग** : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या इस अवधि में पेप्सू में कोई योजना पूरी की गई है ?

†**श्री हाथी** : जी, नहीं । अब तक कोई योजना पूरी नहीं हुई है । पांच योजनायें लागू की जा रही हैं और उसमें कुछ समय लगेगा ।

†**श्री श्रीनारायण दास** : पेप्सू की योजनाओं का अनुमानित व्यय कितना है ?

†**श्री हाथी** : लगभग ११,५०,००० रुपये ।

†**श्री हेम राज** : इस बात को देखते हुए कि इन जलागम क्षेत्रों में से अधिकांश क्षेत्र पंजाब में स्थित हैं, क्या इस मामले में पंजाब सरकार से भी परामर्श लिया जायेगा ?

†**श्री हाथी** : परामर्श निश्चय ही लिया जायेगा ।

†**सरदार हुकम सिंह** : क्या मैं जान सकता हूं ब्यास नदी पर तुलसी बांध के निर्माण कार्य को—जो ब्यास नदी के पानी को किनारों के उपर बहने से रोकेगा और विशेषकर जबकि वर्षा ऋतु पुनः आ रही है और ब्यास नदी में बाढ़ आने का खतरा है—क्यों रोक दिया गया है ?

†**श्री हाथी** : जैसा कि मैं बता चुका हूं यह अल्प-अवधि योजनायें हैं अर्थात् निकट भविष्य में सुरक्षण के लिये यह बनाई गई हैं । जिस योजना के बारे में माननीय सदस्य ने प्रश्न पूछा है उसकी जानकारी मैं पेप्सू सरकार से प्राप्त करूंगा । उसकी जानकारी केन्द्रीय जल तथा विद्युत् आयोग को नहीं है ।

†**श्री रामचन्द्र रेड्डी** : आंध्र सरकार ने कितनी बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं की सिफारिश की है और उनका अनुमानित व्यय कितना है ? इनमें से कितनी परियोजनाओं को केन्द्रीय सरकार ने स्वीकार किया है और उनका अनुमानित व्यय कितना निर्धारित किया गया है ।

†**श्री हाथी** : यदि हम प्रत्येक राज्य के ब्योरे दें तो उत्तर देना कठिन होगा । किन्तु इस सभा में हमने चर्चा की थी और आंध्र राज्य सरकार द्वारा जो योजनायें प्रस्तुत की गई थीं वे सभा पटल पर रखे गये विवरण में दी गयी थीं ।

बटनों का आयात

†*२५३५. **श्री श्रीनारायण दास** : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत में बटनों का आयात प्रति वर्ष बढ़ता ही जा रहा है;

(ख) क्या देशी उत्पादन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इस आयात को रोकने के लिये कोई प्रस्ताव विचाराधीन है; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) १९५३ में प्लास्टिक के अतिरिक्त अन्य सभी बटनों पर शुल्क में यथा मूल्य ६६२/३ प्रतिशत की वृद्धि और प्लास्टिक के बटनों पर शुल्क में प्रति ग्रोस बारह आने की वृद्धि के बावजूद १९५३-५४ के बाद आयात में वृद्धि हुई है ।

(ख) और (ग). जुलाई-दिसम्बर १९५५ में कोटे कम कर दिये गये थे । धातु से बने बटनों का कोटा जनवरी-जून १९५६ में और कम कर दिया गया था ।

†**श्री श्रीनारायण दास** : क्या इस देश में बटनों के उत्पादन को बढ़ाने के लिये छोटे और कुटीर उद्योग बोर्ड ने कोई योजना प्रस्तुत की है ?

†**श्री करमरकर** : जहां तक मुझे ज्ञात है कोई दो या तीन वर्ष पूर्व ऐसा कोई सुझाव दिया गया था । इस समय माननीय सदस्य को मैं परामर्श देता हूं कि वह यह प्रश्न उत्पादन मंत्रालय से पूछें ।

†**श्री श्रीनारायण दास** : देशी उत्पादन से भारत की आवश्यकताओं की पूर्ति में कौन सी विशेष कठिनाइयां हैं ? क्या इस मामले के सम्बन्ध में कोई जांच की गई है ?

†**श्री करमरकर** : हमने कोई व्यापक जांच तो कहीं की किन्तु कुछ समय पूर्व हमने इस मामले की जांच की थी और तब हमने यह पाया कि संभवतः आयात कुछ अधिक किया जा रहा था । शुल्क में की गई वृद्धि से हमने आयात को हाल ही में कम कर दिया है और हम इस मामले के बारे में आगे विचार कर रहे हैं ।

†**श्री श्रीनारायण दास** : हमारी आवश्यकताओं का कितने भाग की पूर्ति देशी उत्पादन से की जाती है ?

†**वाणिज्य और उद्योग तथा लोहा और इस्पात मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी)** : चूंकि देशी उत्पादन कुटीर उद्योग के स्तर पर होता है, इसलिये हमारे पास उसके बारे में आंकड़े नहीं हैं । इस लिये हम आयात की तुलना में देशी उत्पादन की प्रतिशतता के बारे में कोई ठीक-ठीक जानकारी देने में असमर्थ हैं ।

मेरे सहयोगी ने जो कुछ कहा है उसके बारे में मैं कुछ और कहूंगा । इस मामले की जांच प्रशुल्क आयोग ने की थी और उसने यह देखा कि राजस्व के प्रयोजनों के लिये ६६२/३ प्रतिशत के जो शुल्क हमने अब लगाये हैं उससे देशी निर्माताओं को पर्याप्त संरक्षण मिलेगा । फिर भी अब पूरे मामले की समीक्षा की जा रही है और संभव है कि हम उन्हें और अधिक संरक्षण तथा किसी प्रकार की सहायता दे सकें, जिससे कि छोटे पैमाने के उद्योग संस्था उत्पादन की किस्म को सुधार सकेगी ।

†**श्री कासलीवाल** : क्या इन नये शुल्कों के लगाये जाने के बाद देश में बटनों के उत्पादन में वृद्धि हुई है ?

†**श्री टी० टी० कृष्णमाचारी** : ठीक यही मैंने कहा था । जहां तक आंकड़ों का सम्बन्ध है स्थिति संदिग्ध है । हम यह ठीक-ठीक नहीं कह सकते कि उत्पादन में कोई वृद्धि हुई है या नहीं यद्यपि सभी संकेत वृद्धि के हैं ।

नेताजी सुभाष चन्द्र बोस

*२५३६. **श्री भक्त दर्शन** : क्या **प्रधान मंत्री** १३ मार्च, १९५६ के तारांकित प्रश्न संख्या ६७० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेताजी सुभाष चन्द्र बोस की मृत्यु की परिस्थितियों की जांच करने के लिये नियुक्त की गई समिति ने अपना काम समाप्त कर लिया है;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो समिति कहां-कहां गई और किन-किन व्यक्तियों के साक्ष्य लिये;

(ग) क्या उसकी सिफारिशों का सारांश सभा-पटल पर रखा जायेगा; और

(घ) यदि नहीं, तो समिति अब तक कितना काम कर चुकी है ?

वैदेशिक-कार्य उपमंत्री (श्री अनिल के० चन्दा) : (क), (ख) और (घ). जी, नहीं। समिति ने देहली में अपना काम २९ मार्च, १९५६ से शुरू किया था। देहली और कलकत्ता में कुछ हफ्ते ठहरने के बाद, यह समिति २६ अप्रैल, १९५६ को भारत छोड़ कर चली गई, और रास्ते में बंगकोक, सेगोन तथा टूरान घूमने के बाद वह अब टोकियो में है। जिन गवाहों से अब तक पूछताछ की गई है, उनके नामों की एक सूची सदन की मेज पर रख दी है। [**देखिये परिशिष्ट १४, अनुबन्ध संख्या ७५**] समिति को आशा है कि वह जून, १९५६ के आखिर तक अपनी रिपोर्ट पेश कर देगी।

(ग) इस पर विचार तब किया जायेगा, जब यह समिति सरकार को अपनी रिपोर्ट पेश कर देगी।

श्री भक्त दर्शन : क्या मैं जान सकता हूं कि इस समिति को जापान की सरकार किस प्रकार का सहयोग दे रही है, और क्या यह समिति भारत लौटते समय क्या फारमोसा अर्थात् ताईवान में उतर कर वहां भी जांच करने का विचार कर रही है ?

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : जी हां, जापानीज सरकार से पूरा सहयोग मिल रहा है, लेकिन समिति के फारमोसा या ताईवान जाने का कोई सवाल नहीं है। उससे हमारी सरकार का कोई सम्बन्ध नहीं है।

श्री भक्त दर्शन : क्या यह सत्य है कि इस जांच समिति की स्थापना के प्रारम्भ से ही बहुत से व्यक्ति और बहुत सी संस्थायें इससे इसलिये असहयोग कर रही हैं कि इसका संगठन उनके मन के माफिक नहीं हुआ है, और क्या गवर्नमेंट (सरकार) ने इस सम्बन्ध में अपनी स्थिति को स्पष्ट किया है, और क्या वह दृढ़ता से घोषणा यह करना चाहती है, कि समिति का कार्य जारी रहेगा और ऐसे लोगों की रुकावटों पर कोई ध्यान नहीं दिया जायेगा ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : मुझे तो इन बातों का इल्म नहीं है कि कोई असहयोग कर रहा है। असहयोग करने का कोई सवाल ही नहीं है। अगर किसी साहब को पसन्द न आये कि उसमें कौन रहेगा, या वह खुद उसमें होना चाहें तो यह असहयोग नहीं होता है, यह तो उनकी जाती ख्वाहिश हुई, और इससे काम में कोई हर्ज नहीं होता है, और समिति बहुत अच्छी तरह से काम कर रही है।

†**श्री कामत** : क्या यह सच है कि टोकियो की किस भारतीय संस्था या संगठन ने एक नई जांच समिति के गठन की मांग की है और उसने समिति के अध्यक्ष और समग्रतः समिति के प्रति अविश्वास व्यक्त किया है और यदि हां, तो उनके अविश्वास के क्या कारण हैं ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : जापान में कोई इक्का-दुक्का भारतीय क्या कहता है, इसमें मुझे कोई विशेष दिलचस्पी नहीं है। मेरा ख्याल है कि भारत सरकार को यह बताने में, कि किस समिति की नियुक्ति सरकार द्वारा की जाये, वह अनधिकार चेष्टा कर रहे हैं।

†**श्री कामत** : माननीय उपमंत्री ने कहा है कि टोकियो जाते समय समिति सैगोन और बैंकाक भी गयी। क्या इन दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों की राजधानियों में समिति को सरकारी स्तर पर उन राज्यों का सहयोग प्राप्त हुआ और यदि हां, तो दक्षिण वियतनाम और थाईलैंड की सरकारों ने समिति को किस प्रकार सहायता दी ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : उन्होंने किस प्रकार सहायता दी । यह मैं नहीं बता सकता हूं किन्तु हमने उन स्थानों में रहन वाले हमारे प्रतिनिधियों को सूचित किया था और उन्हें उन व्यक्तियों के नाम दिये थे जिन्हें समिति मिलना चाहती थी । वह उन लोगों से मुलाकात करने में सफल हुए और उन्हें सम्बन्धित राज्यों की सहायता और सहयोग प्राप्त हुआ । सहायता और सहयोग किस हद तक प्राप्त हुआ यह मैं नहीं बता सकता किन्तु सामान्यत: उन देशों की सरकारों ने सहयता की थी ।

†**श्री कामत** : इस बात को देखते हुए कि पेकिंग में कुछ समय पूर्व इस आशय के समाचार प्रकाशित हुए थे कि १९५२ में किसी समय नेताजी बोस पकिंग में देखे गये थे । क्या जांच समिति पेकिंग की यात्रा करेगी ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू**: माननीय सदस्य ने यह प्रश्न कुछ समय पूर्व भी पूछा था और मैंने उसका उत्तर दे दिया था । समिति के सदस्य पेकिंग नहीं जा रहे हैं । इस सिलसिले में उनके पेकिंग जाने का कोई प्रयोजन नहीं है । जहां तक माननीय सदस्य द्वारा निर्देशित समाचारों का सम्बन्ध है वे काल्पनिक हैं । यह तो "मार्क्स आफ मंगोलिया" जैसी तस्वीरें छापने की तरह हैं ।

†**श्री एच० एन० मुकर्जी** : कलकत्ता के समाचारपत्रों में, उदाहरण के लिये कल के **अमृत बाजार पत्रिका** में प्रकाशित समाचारों को देखते हुए—यद्यपि नेताजी सुभाष चन्द्र बोस की मृत्यु संदेहास्पद परिस्थितियों में होने के बारे में दिल्ली के पत्रों में समाचार क्यों नहीं हैं यह मुझे ज्ञात नहीं है—क्या मैं जान सकता हूं कि सरकार समिति से यथाशक्य व्यापक जांच करने को कहेगी और यदि आवश्यक हुआ तो उसके निर्देश पदों को बढ़ाएगी ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : वास्तव में निर्देश पद अत्यन्त व्यापक हैं । उनके अन्तर्गत सभी प्रकार की जांच हो सकती है जोकि समिति करना चाहे । जहां तक माननीय सदस्य द्वारा किये गये विशिष्ट निर्देश का सम्बन्ध है । मैं उसे देख चुका हूं और मुझे इसमें कोई सन्देह नहीं है कि उसकी जानकारी समिति को अवश्य है और वह उसकी जांच करेगी ।

†**श्री बी० एस० मूर्ति** : क्या सरकार प्रत्यक्ष रीति से अथवा समिति के जरिये नेताजी सुभाष चन्द्र बोस की व्यक्तिगत सम्पत्ति को, जैसे कलाई की घड़ियां जिनके अब टोकियो में उपलब्ध होने की आशा है, प्राप्त करने का इरादा रखती है ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : जी, नहीं । समिति का सम्पत्ति से कोई ताल्लुक नहीं है ।

त्रिपुरा में खादी और ग्राम उद्योग

†*२५३८. **श्री बीरेन दत्त** : क्या **उत्पादन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) त्रिपुरा में १९५५-५६ में खादी और ग्राम उद्योग के जरिये कितनी राशि व्यय की गई है; और

(ख) किन संस्थानों को सहायता प्राप्त हुई है ?

†**उत्पादन मंत्री के सभासचिव (श्री आर० जी० दुबे)** : (क) और (ख). उस राज्य में विभिन्न संस्थाओं को निम्न निधियों का भुगतान किया गया :—

(१) बमूटिया बहु प्रयोजनीय सहकारी समिति लिमिटेड	६५०० रुपये
(२) पल्ली मंगल सीनियर बेसिक स्कूल, खमेरपुर ...	५०० रुपये
(३) प्रदर्शनी आयोजित करने के लिये राज्य के खादी और ग्राम उद्योग बोर्ड	१०,००० रुपये
कुल :	१७,००० रुपये

†**श्री बीरेनदत्त** : क्या इस बोर्ड द्वारा आदिम जाति क्षेत्रों के व्यक्तिगत संगठनों तथा ग्राम उद्योगों की इकाइयों को भी कोई सहायता दी जायेगी, या वह सहायता केवल इन संस्थाओं को ही मिलेगी ?

†**श्री आर० जी० दुबे** : यथा सम्भव तो सहकारी समितियों को ही वरीयता दी जायेगी, लेकिन बोर्ड उन व्यक्तियों के मामलों पर भी विचार करेगा जो अपने संगठन बना लेंगे ।

पाकिस्तान में शरण लेने वाले डाकू

†*२५४२. **श्री बी० एस० मूर्ति** : क्या **प्रधान मंत्री** २३ अप्रैल, १९५६ के तारांकित प्रश्न संख्या १६६३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आजकल पाकिस्तान में शरण लेने वाले डाकुओं की राष्ट्रीयता (भारतीय या पाकितानी) क्या है; और

(ख) उनको पकड़ने के लिये क्या प्रयास किये गये हैं ?

†**वैदेशिक-कार्य उपमंत्री (श्री अनिल के० चन्दा)** : (क) ये डाकू भारतीय हैं ।

(ख) राजस्थान की पुलिस इन डाकुओं को गिरफ्तार करने के प्रयास में पश्चिमी पाकिस्तान की पुलिस का सहयोग प्राप्त करने के लिये उनसे बराबर सम्पर्क स्थापित किये हुए है । अभी तक उसके सभी प्रयास असफल रहे हैं । हाल ही में, भारत सरकार ने पाकिस्तान सरकार से इन डाकुओं को गिरफ्तार करके राजस्थान अधिकारियों को सौंप देने के लिये अनुरोध किया है ।

†**श्री बी० एस० मूर्ति** : ये डाकू हिन्दू हैं या मुस्लिम ?

†**श्री अनिल के० चन्दा** : मैं तो कहूंगा कि ये डाकू बड़े ही 'धर्म निरपेक्ष' ढंग से अपना कार्य करते हैं । ये डाकू तो हिन्दू हैं, कम से कम उनमें से अधिकांश तो हिन्दू ही हैं, पर वे पाकिस्तान के इस्लामी गणतंत्र से आकर डाके डालते हैं और कभी-कभी उनके शिकार भी मुस्लिम ही बनते हैं ।

†**श्री बी० एस० मूर्ति** : क्या पाकिस्तान सरकार ने राजस्थान की पुलिस या राजस्थान सरकार को यह बता दिया है कि आज कल पाकिस्तान में शरण लेने वाले इन डाकुओं के बारे में कोई सुराग मिले हैं या नहीं ?

†**श्री अनिल के० चन्दा** : इसमें एक कठिनाई यह है कि पाकिस्तान और भारत के बीच कोई प्रत्यपर्ण संधि नहीं हुई है, और इसलिये हम पाकिस्तान से इन लोगों को हमें सौंप देने की कोई मांग या अनुरोध नहीं कर सकते । लेकिन, समय-समय पर हम पुलिस अधिकारियों के स्तर पर इन समाज-विरोधी लोगों को गिरफ्तार करने में पारस्परिक सहायता के लिये अनुरोध करते रहते हैं । दोनों ओर से पुलिस अधिकारियों के स्तर पर ऐसे अनुरोध होते रहते हैं ।

†**श्री बी० एस० मूर्ति** : इन अनुरोधों का परिणाम क्या निकला है ?

श्री अनिल के० चन्दा : ढोर और माल की वापिसी के मामलों में तो आम तौर पर उनका परिणाम निकलता है, उस पर कार्यवाही की जाती है । वास्तव में,जहां तक ढोरों की चोरी का सम्बन्ध है, हाल के कुछ दिनों में उनमें काफी कमी हो गई है, लेकिन जहां तक व्यक्तियों के अपहरण का सम्बन्ध है, ऐसे मामले बढ़ते ही जा रहे हैं ।

†**डा० राम सुभग सिंह** : हाल के वर्षों में उत्तर भारत में डकैतियों की संख्या बहुत अधिक बढ़ जाने के क्या कारण हैं ? वे उत्तर भारत में चोरियां करते हैं और फिर पाकिस्तान चले जाते हैं । सच तो यह है कि वे डकैतियां डाल कर पाकिस्तान भाग जाते हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री अनिल के० चन्दा :** वह प्रदेश ही ऐसा है कि वहां इन लोगों के लिये लूट मार करना बहुत ही आसान है, क्योंकि वह अधिकांशतया मरुभूमि है और दोनों देशों की सीमा ६५० मील से भी अधिक लम्बी है । उस प्रदेश के हर इंच की रखवाली करना बहुत ही कठिन है ।

†**श्री कासलीवाल :** इन डाकुओं की बढ़ती हुई लूटमार को और विशेषकर उनके द्वारा व्यक्तियों के अपहरण को देखते हुए, जिसे माननीय उपमंत्री ने स्वयं माना है, क्या सरकार भारत और पाकिस्तान के बीच की राजस्थानी सीमा पर केन्द्रीय पुलिस की संख्या में वृद्धि करने की बात सोच रही है ?

†**श्री अनिल के० चन्दा :** सीमा क्षेत्रों की रखवाली सामान्यतः राज्य पुलिस द्वारा की जाती है । पर, यदि राजस्थान सरकार इस विषय में हम से कुछ अतिरिक्त सहायता मांगती है, तो उस पर अवश्य ही विचार किया जायेगा ।

†**सरदार इकबाल सिंह :** ऐसे व्यक्तियों की संख्या कितनी है जिन्होंने भारत में हत्यायें की हैं और फिर पाकिस्तान भाग गये हैं ? हालांकि वे असली मायने में डाकू नहीं हैं, पर वे हत्यारे हैं ?

†**श्री अनिल के० चन्दा :** मेरे पास इसकी ठीक-ठीक सूचना तो नहीं है, लेकिन लगभग बीस ऐसे व्यक्तियों के मामले में हमने पाकिस्तान सरकार से उन्हें वापिस लाने में सहायता देने का अनुरोध किया है ।

†**श्री कामत :** क्या पिछले आठ या नौ वर्षों के दौरान में अभी तक दोनों देशों के बीच होने वाले सम्मेलनों में किसी भी स्तर पर भारत और पाकिस्तान के बीच एक प्रत्यर्पण संधि या करार करने के विषय को नहीं उठाया गया है, और यदि उसे अभी तक नहीं उठाया गया है, तो उसके क्या कारण हैं ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) :** इस विषय में अभी तक हमारे यहां कोई विधान नहीं बना है, इस संसद् ने अभी तक प्रत्यर्पण के सम्बन्ध में कोई विधान पारित नहीं किया है ।

†**श्री कामत :** सरकार एक विधेयक रख सकती थी ।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू :** यह सही है, एक विधेयक विचाराधीन है ।

†**सरदार इकबाल सिंह :** क्या ऐसे हत्यारों का एक बाकायदा गिरोह बना हुआ है जो हमारे यहां हत्यायें करके पाकिस्तान में भाग जाते हैं , और यदि हां, तो क्या सरकार ने उन्हें पकड़ कर यहां लाने के लिये कोई कार्यवाही की है ?

†**श्री अनिल के० चन्दा :** हमें तो यही मालूम है कि वे गिरोहों में रह कर कार्य करते हैं । इन गिरोहों में कभी अधिक और कभी कम लोग होते हैं ।

उड़ीसा में काफी के बागान

†*२५४३. **श्री संगण्णा :** क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल में कुछ विषेषज्ञों को उड़ीसा में काफी के बागान आरम्भ करने की सम्भावनाओं का अध्ययन करने और उसका ब्योरा प्रस्तुत करने के लिये प्रतिनियुक्त किया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या प्रतिवेदन पेश कर दिया गया है और वह सरकार के विचाराधीन है ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) :** (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

मैं भाग (क) के उत्तर में यह भी जोड़ना चाहता हूं कि यह सही है कि उड़ीसा के कृषि-निदेशक ने बालय होन्नर के काफी गवेषणा केंद्र में काफी की खेती का प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिये एक सहायक वनस्पति शास्त्री को प्रतिनियुक्त किया था । अब वह अधिकारी वापिस आ गया है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा :** क्या सरकार ने देश में काफी की बढ़ती हुई मांग का हिसाब लगाया है, और यदि हां, तो क्या सरकार देश में अधिक बागान बनाने का विचार कर रही है ?

†**श्री करमरकर :** मुझे माननीय सदस्य को यह बताते हुए बड़ी प्रसन्नता है कि हमारा विशेष अधिकारी दौरा कर रहा है और यह पता लगाने का प्रयास कर रहा है कि किन क्षेत्रों में काफी की खेती की जा सकती है और उससे लाभ उठाया जा सकता है ।

आसाम राज्य की द्वितीय योजना का प्रारूप

†*२५४५. **श्री देवेन्द्रनाथ सर्मा :** क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सही है कि राज्य की द्वितीय योजना की प्रारूपित रूपरेखा में आसाम राज्य सरकार द्वारा नगर-आयोजन के लिये आवंटित राशि को घटाकर केवल चौबीस लाख रुपयों तक ही रहने दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या कारण है ?

†**योजना उपमंत्री (श्री एस० एन० मिश्र) :** (क) जी, हां ।

(ख) राज्य सरकार द्वारा मूलरूप में प्रस्तावित व्यय को, राज्य योजना के अन्य कार्यक्रमों को अधिक प्राथमिकता देने और उपलब्ध वित्तीय साधनों के सीमित होने के कारण ही, कम कर देने का निर्णय किया गया था ।

†**श्री देवेन्द्र नाथ सर्मा :** क्या द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में समूचे आसाम राज्य के लिये यह २४ लाख रुपयों की राशि पर्याप्त रहेगी ?

†**श्री एस० एन० मिश्र :** प्रश्न इस सम्बन्ध में आवश्यकताओं को पर्याप्त रूप में पूरा करने का नहीं है, बल्कि अधिक प्राथमिकता वाले कार्यक्रमों के लिये गुंजाइश करने का ही है ।

†**श्री देवेन्द्र नाथ सर्मा :** क्या राज्य की आवश्यकताओं के अनुपात में इस शीर्ष के अन्तर्गत इस राशि के बढ़ाने की भी कोई सम्भावना है ?

†**श्री एस० एन० मिश्र :** भविष्य के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन हमारे विचार से अभी तक उसकी वृद्धि का कोई विचार नहीं है ।

†**श्री देवेन्द्र नाथ सर्मा :** क्या इस द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल के दौरान में इस राशि को बढ़ाने की सरकार की कोई इच्छा है ?

†**श्री एस० एन० मिश्र :** मैं पहले ही कह चुका हूं कि अभी इस समय ऐसी किसी भी वृद्धि का विचार नहीं है ।

ऑल इंडिया रेडियो का भूतपूर्व महानिदेशक

†*२५४६. **श्री कामत :** क्या **लोहा और इस्पात** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सही है कि ऑल इंडिया रेडियो के भूतपूर्व महानिदेशक श्री लक्ष्मणन को सेवा से हटा दिया गया था;

(ख) यदि हां, तो किस आधार पर;

(ग) क्या उनको पुनः नियुक्त कर दिया गया है; और

(घ) यदि हां, तो कब और कहां ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**वाणिज्य और उद्योग तथा लोहा और इस्पात मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी)** : (क) जी, हां ।

(ख) एक जांच के फलस्वरूप, उनके विरुद्ध प्रशासकीय और वित्तीय अनियमितताओं सम्बन्धी कुछ आरोप प्रमाणित हो गये थे । संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिश पर उन्हें उस पद से हटा दिया गया था; लेकिन, उनका यह हटाया जाना, उनके पुन: रोजगार पाने में बाधा नहीं बनाया गया ।

(ग) जी, हां ।

(घ) ७ मार्च, १९५६ को, हिन्दुस्तान स्टील प्राइवेट लिमिटेड, कलकत्ता में ।

†**श्री कामत** : हिन्दुस्तान स्टील में इस नये पद पर इस अधिकारी की पुन: नियुक्ति मंत्री या सरकार के आदेश से, या एक विशेष बोर्ड द्वारा उसके मामले की जांच हो चुकने के बाद की गई थी ?

†**श्री टी० टी० कृष्णमाचारी** : हिन्दुस्तान स्टील, प्राइवेट लिमिटेड के प्रबन्ध संचालक ने इस अधिकारी की नियुक्ति की थी, और इस प्रकार की नियुक्तियां पुष्टीकरण के लिये मंत्री के सामने भी रखी जाती हैं । सम्बन्धित मंत्री ने उस मामले को गृह-कार्य मंत्रालय और मंत्रिमंडल की नियुक्ति-समिति को सौंप दिया था, हालांकि हिन्दुस्तान स्टील प्राइवेट लिमिटेड जैसे समवाय के मामले में ऐसा करने की कोई आवश्यकता नहीं थी । इस प्रकार, इस नियुक्ति का अनुसमर्थन यथासम्भव उच्चतम स्तर पर किया गया था ।

†**श्री कामत** : क्या इस अधिकारी की पुन: नियुक्ति कुछ निबन्धनों और शर्तों पर की गई थी, यदि हां, तो वे क्या हैं ?

†**श्री टी० टी० कृष्णमाचारी** : वे निबन्धन और शर्तें इस प्रकार हैं :—उसे १,३००–६०–१,६००–१००–१,८०० की वेतन श्रेणी में नियुक्त किया गया है और उसका वेतन १,४८० रुपये पर निश्चित कर दिया गया है । पहली बार उसकी नियुक्ति एक वर्ष के लिये की गई है ।

†**श्री कामत** : इस बात को देखते हुए कि इस अधिकारी को मंत्री द्वारा ही गम्भीर वित्तीय अनियमितताओं और ऐसे ही अन्य मामलों के आरोपों के कारण हटाया गया था, और अब उसे देश की सेवाओं के एक काफी उच्च पद पर दुबारा नियुक्त किया गया है, क्या मंत्री और सरकार ने यह महसूस किया है कि गम्भीर आरोपों के कारण सेवा से हाल ही निकाले गये अधिकारियों की ऐसी नियुक्तियों से सेवाओं के कर्मचारियों का मनोबल गिर सकता है और उनके उत्साह और दक्षता पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है?

†**श्री टी० टी० कृष्णमाचारी** : जहां तक इसके हटाये जाने के कार्य का सम्बन्ध है, **आधारभूत नियमों** की धारा १, पृष्ठ २१ पर नियम ४९ की मद ६ में कहा गया है : "असैनिक सेवा से हटाया जाने से भविष्य में रोजगार पाने के लिये अनर्ह नहीं होता" । इसीलिये, इस अधिकारी को पुन: रोजगार पाने का प्रश्न अवरुद्ध नहीं किया गया है । अधिकारी ने अपने हटाये जाने के विरुद्ध राष्ट्रपति के पास अपील की थी और राष्ट्रपति ने उस अपील के विषय में यह सुझाव दिया था कि अधिकारी को उसके पुराने पद पर, या उस विभाग में जिसमें वह इस समय नियुक्त था, नियुक्त तो नहीं किया जा सकता, लेकिन उसके रोजगार पाने के अन्य उपयुक्त अवसरों की तलाश की जा सकती है । और, मैं पहले ही बता चुका हूं कि इस मामले की पुष्टीकरण यथासम्भव उच्चतम स्तर पर किया गया था; और मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस नियुक्ति का अनुमोदन करने वाले सर्वोच्च प्राधिकारियों ने कर दिया है जिन के पास यह अनुमोदन करने से पहले वे सभी तथ्य मौजूद थे जो मेरे माननीय मित्र के दिमाग में हैं ।

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : उसे ठीक-ठीक किस प्रकार के दायित्व सौंपे गये हैं, और क्या सरकार को इस बात का पूर्ण संतोष है कि वह उसके लिये प्रविधिक रूप से अर्ह है और उसके पास हिन्दुस्तान स्टील में काम पाने योग्य कारबार की पर्याप्त समझ है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री टी० टी० कृष्णमाचारी :** आशा यह है कि एक वर्ष तक उसे अवसर देकर देखना चाहिये और एक वर्ष तक उसका कार्य देखा जायेगा ।

†**श्री एच० एन० मुकर्जी :** क्या हम मंत्री के कथन का यह अर्थ लगायें कि इस अधिकारी के विरुद्ध जांच का पहले जो भी परिणाम निकला हो, अब उसे उससे बिलकुल ही मुक्त कर दिया गया है और जहां तक उसकी सेवा के निबन्धनों और शर्तों का सम्बन्ध है अब उसे उससे कोई भी खतरा नहीं रहेगा ?

†**श्री टी० टी० कृष्णमाचारी :** मुझे केवल एक बार फिर नियम उद्धृत करना पड़ेगा । नियम में कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति जिसे सेवा से हटाया गया है उसे फिर से रोजगार दिया जा सकता है, क्योंकि उसका हटाया जाना उसे फिर से रोजगार देने को अवरुद्ध नहीं कर देता । जहां तक उसके भावी आचरण का सम्बन्ध है, उसके सम्बन्ध में निर्णय करना उन लोगों का कार्य है जिनके पास प्राधिकार हैं ।

†**श्री टी० बी० विट्ठल राव :** इस पद के लिये किसी व्यक्ति का चुनाव करते समय, क्या प्रबन्ध-संचालक निदेशक-बोर्ड का अनुसमर्थन प्राप्त कर लेने के बाद इसे अनुमोदन के लिये मंत्री के पास भेजता है, या वह प्रबन्ध-संचालक की ओर से सीधा मंत्री के पास भेजा जाता है ?

†**श्री टी० टी० कृष्णमाचारी :** कुछ ऐसे मामले भी होते हैं जिनमें कि उसे बोर्ड का अनुसमर्थन प्राप्त करना पड़ता है, और कुछ अन्य मामलों में यह शक्ति उसी में प्रत्यायोजित रहती है । जैसा भी हो, इस प्रकार के मामले में सरकार का निर्णय ही अन्तिम निर्णय होता है, और सरकार ने इस नियुक्ति का अनुमोदन कर दिया है । इसलिये, इन माननीय सदस्य के कथनानुसार जो भी प्रक्रिया सम्बन्धी अनियमितायें इसमें हुई होंगी, वे सभी माफ कर दी गई हैं ।

†**श्री राम चन्द्र रेड्डी :** क्या इसके महानिदेशक पद पर रहने की अवधि में इसके कारण कोई (वित्तीय) हानि हुई है, और यदि हां, तो क्या किन्हीं साधनों से ऐसी हानि को पूरा कर लिया गया है ?

†**श्री टी० टी० कृष्णमाचारी :** यह एक ऐसा प्रश्न है जिसे इस सम्बन्धित विभाग से पूछा जाना चाहिये ।

दिल्ली में निष्क्रांत सम्पत्ति के कटरे

†*२५४७. **श्री गिडवानी** : क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गन्दी बस्तियों को दूर करने के लिये भारत सरकार दिल्ली में निष्क्रांत सम्पत्तियों के कटरों को अपने कब्जे में ले रही है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा कब्जा किये जाने वाले इन कटरों का क्षेत्र अनुमानत: कितना है; और

(ग) ऐसे कटरों का अनुमानत: मूल्य कितना है ?

†**पुनर्वास मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना)** : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग). इन कटरों में से ७० का क्षेत्र लगभग ८६,००० वर्ग गज है । शेष १८० कटरों तथा वैयक्तिक सम्पत्तियों के क्षेत्र की सूचना इस समय उपलब्ध नहीं है । इन सम्पत्तियों के मूल्य का पता नहीं है और उसे यथासमय निर्धारित किया जायेगा ।

†**श्री गिडवानी** : क्या सरकार इन कटरों का मूल्य पुनर्वास मंत्रालय को देगी ताकि क्षतिपूर्ति निधि पर कोई दुष्प्रभाव न पड़े ?

†**श्री मेहर चन्द खन्ना** : क्षतिपूर्ति निधि पर दुष्प्रभाव पड़ने का कोई प्रश्न नहीं उठता क्योंकि अभी उनके मूल्य का निर्धारण नहीं किया गया है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : उनके लिये उतनी ही क्षतिपूर्ति दी जायेगी जितनी गन्दी बस्तियों के अन्य मालिकों को दी जायेगी ।

चाय के दाम

†*२५४८. **श्री विमला प्रसाद चालिहा** : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चाय के दाम स्थिर करने के लिये अभी तक क्या कार्यवाही की गई है और भविष्य में क्या करने का विचार है; और

(ख) इसका अभी तक क्या परिणाम निकला ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) और (ख). जिस दाम पर चाय बेची जा सकती है वह दाम कई बातों पर निर्भर करता है जैसे मांग और संभरण में वास्तविक अथवा पूर्वाशित सम्बन्ध उत्पादक देशों और खपत के देशों में उसका स्टाक खरीदने वाले देशों के बाजारों में रुपये की स्थिति आदि । विदेशी बाजारों में किसी एक देश द्वारा चाय के दाम स्थिर करने की क्षमता बहुत सीमित है ।

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : क्या सरकार को पता है कि लंका सरकार ने चाय निर्यात शुल्क में कमी की है, और यदि हां, तो लन्दन-बाजार में भारतीय चाय के दामों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, और इस बात को ध्यान में रखते हुए क्या लन्दन-बाजार में वस्तुतः हमारी चाय पर दुष्प्रभाव पड़ेगा ?

†**वाणिज्य और उद्योग तथा लोहा और इस्पात मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी)** : अन्य प्रतिस्पर्धी देशों द्वारा जो निर्यात शुल्क लगाया जाता है उस पर हम नजर रखते हैं । यदि अन्य देश के निर्यात शुल्क में कमी में हम पर दुष्प्रभाव पड़ेगा तो माननीय सदस्य इस बात के लिये सरकार पर निर्भर कर सकती हैं कि हम भी निर्यात शुल्क में उसी प्रकार कमी कर देंगे ।

†**श्री कासलीवाल** : इस वर्ष ऐसा लगता है कि चाय-उत्पादन बहुत हुआ है जब कि निर्यात में कमी हो रही है अतः निर्यात बढ़ाने के लिये चाय-निर्यात प्रगति परिषद् द्वारा क्या कार्यवाही की गई है या की जा रही है ?

†**श्री करमरकर** : निर्यात को ठीक बनाये रखने के लिये जो कदम उठाये गये हैं उनमें से कुछ इस प्रकार हैं :—

(१) सब से बड़े अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में अर्थात् ब्रिटेन में विभिन्न चाय जिन दामों पर बेची जाती थीं उनके अनुसार दाम निश्चित करने के लिये निर्यात शुल्क में हेर-फेर करते रहना; (२) बिना बेची हुई चाय को सीधे ब्रिटेन भेजने के लिये अधिकतम परिमाण का प्रतिबन्ध हटाना; (३) चाय बागान की भूमि में वृद्धि करके शनैः शनैः चाय का उत्पादन बढ़ाना; (४) मशीनें आदि उपलब्ध करा कर चाय निर्माण में सहायता देना; (५) भारत में तथा विदेशों में चाय की खपत बढ़ाना और विदेशों में चाय उत्पादक देशों के सहयोग से खपत बढ़ाना । कुछ कार्य ये हैं ।

व्यापार विवादों का निबटारा

*२५४९. **श्री के० सी० सोधिया** : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सन् १९२७ के जेनेवा सम्मेलन में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के झगड़ों को निबटाने के लिये जिस कार्य प्रणाली का सुझाव दिया गया था उसकी मुख्य-मुख्य विशेषतायें क्या हैं;

(ख) भारतीय और विदेशी व्यापारियों के बीच खड़े होने वाले झगड़े इस समय कैसे निबटाये जाते हैं;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) क्या सरकार इस बारे में कोई नया उपाय खोज रही है;

(घ) यदि हां, तो उसकी स्थूल रूपरेखा क्या हैं; और

(ङ) क्या उस नई प्रणाली को उस पर सभा की राय जानने के लिये, सभा के सामने रखा जायेगा ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) १९२७ के जेनेवा सम्मेलन के निर्णयों को भारत में १९३७ के पंच-निर्णय (संनिर्णय एवं सम्मेलन) अधिनियम के द्वारा लागू किया गया है । इन निर्णयों में वास्तव में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के झगड़ों को निबटाने के लिये कोई कार्य प्रणाली निर्धारित नहीं की गयी है वरन् यह तो अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के झगड़ों में किये गये पंच-निर्णयों को लागू करने का नियमन मात्र करता है ।

(ख) भारतीय और विदेशी व्यापारियों के बीच होने वाले झगड़ों का निबटारा इस समय अदालत या पंच निर्णय, या भारतीय और विदेशी सरकारी अभिकरणों की मध्यस्थता द्वारा किया जाता है। सरकार द्वारा बनायी गयी विभिन्न निर्यात सम्वर्द्धन परिषदें, भी इन झगड़ों के निबटारों में सहायता करती हैं ।

(ग) जी, नहीं । लेकिन सरकार व्यापरियों से यह अनुरोध कर रही है कि वे विदेशी व्यापारियों से संविदा करते समय उनमें पंच फैसला सम्बन्धी उपयुक्त धारायें रखा करें जिससे व्यापारिक झगड़े शीघ्र निबटाने में सुविधा हुआ करे ।

(घ) और (ङ). ये प्रश्न ही नहीं उठते ।

श्री के० सी० सोधिया : क्या १९५५-५६ में इस प्रकार के कोई झगड़े पैदा हुए थे और अगर हुए थे, तो उनकी कीमत क्या थी ?

श्री करमरकर : मेरे पास इस समय यह तफसील नहीं है ।

श्री के० सी० सोधिया : सरकार इस बारे में किस तरह से पता लगाती है कि कार्यवाही ठीक चल रही है या नहीं ?

श्री करमरकर : जहां तक हो सकता है, कार्यवाही ठीक ही चल रही है । हमारे डायरेक्टर-जनरल, कामर्शियल इन्टेलिजेंस इस बारे में काफी कोशिश करते हैं । इन झगड़ों को निबटाने के बारे में दिक्कत यह है कि उनके पास एन्फोर्समेंट की कोई पावर्ज नहीं हैं । यूनाइटिड नेशन्ज की मारफत कोई ऐसा इन्तजाम करने का प्रयत्न किया जा रहा है कि इस प्रकार के झगड़ों का निबटारा ठीक तरह से हो जाये ।

श्री आर० एस० तिवारी : माननीय मंत्री जी ने बताया है कि विदेशी और भारतीय व्यापारियों में जो झगड़ा होता है, तो अधिकारी मिल कर उस को तय करते हैं । मैं यह जानना चाहता हूं कि उन अधिकारियों की बैठक कहां होती है—भारत में या विदेश में ?

श्री करमरकर : हमारे डायरेक्टर-जनरल, कमर्शियल इन्टेलिजेंस, कलकत्ता में बैठते हैं । वहां प्रयत्न किया जाता है और विदेशों में हमारे प्रतिनिधि भी इस विषय में प्रयत्न करते हैं । जैसा कि मैंने अभी कहा है, सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि वे अधिकारी जो समाधान निकालते हैं, उसको अमल में लाने की पावर्ज उनके पास नहीं है ।

लोहा और इस्पात का आयात

*२५५०. **श्री रघुनाथ सिंह** : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि लोहा और इस्पात के आयात के लिये जापान के साथ कुछ बातचीत चल रही है; और

(ख) क्या इस सम्बन्ध में कोई जापानी शिष्टमंडल भारत आने वाला है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

औद्योगिक विकास मंत्री (श्री एम० एम० शाह) : (क) और (ख). जी, नहीं।

श्री रघुनाथ सिंह : क्या जापान से कुछ आयरन एंड स्टील यहां इम्पोर्ट होगा ?

श्री एम० एम० शाह : बात यह है कि दोनों गवर्नमेंट की बात-चीत नहीं चल रही है। भारत की एक प्राइवेट फर्म एक जापानी फर्म के साथ बात-चीत कर रही है। आशा है कि उससे एक लाख टन स्टील मिल जायगा।

†**श्री भागवत झा आजाद** : क्या माननीय मंत्री यह बता सकते हैं कि जो लोहा हम आयात कर रहे हैं उसके लिये क्या उन्हें आवश्यक परिवहन सुविधायें प्राप्त हो सकेंगी ?

†**वाणिज्य और उद्योग तथा लोहा और इस्पात मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी)** : हमें आशा है कि ये सुविधायें प्राप्त हो जायेंगी यद्यपि उसमें हमें कुछ कठिनाई होगी।

†**श्री जी० पी० सिन्हा** : इस समय हम जापान से कितने इस्पात का निर्यात करते हैं और कितना कच्चा लोहा जापान भेजते हैं ?

†**श्री एम० एम० शाह** : आयात लगभग ५०,००० टन है। कच्चे लोहे का निर्यात की मात्रा के लिये मुझे पूर्व-सूचना चाहिये।

†**श्री बी० एस० मूर्त्ति** : क्या मैं उस गैर-सरकारी फर्म का नाम जान सकता हूं और उसने सरकार से क्या सुविधायें मांगी हैं ?

†**श्री टी० टी० कृष्णमाचारी** : कोई सुविधा नहीं दी जाती है। कोई भी फर्म आयात कर सकती है बशर्ते कि उसे सरकार द्वारा आर्थिक सहायता न दी जाती हो।

†**श्री बी० एस० मूर्त्ति** : उस फर्म का नाम क्या है ?

†**श्री टी० टी० कृष्णमाचारी** : प्राय: नाम नहीं बताये जाते हैं।

दामोदर घाटी निगम प्राक्कलन

†*२५५३. **डा० राम सुभग सिंह** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दामोदर घाटी निगम के प्राक्कलनों में और वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो प्राक्कलन का नवीनतम योग कितना है; और

(ग) हाल ही में प्राक्कलन-वृद्धि के क्या कारण हैं ?

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी)** : (क) से (ग). एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ट १४, अनुबन्ध संख्या ७६**]

†**डा० राम सुभग सिंह** : विवरण से पता चलता है कि दामोदर घाटी निगम का प्राक्कलन बढ़ कर १०२·७९ करोड़ रुपये हो गया है जिसका कारण पुनर्वास व्यय में वृद्धि है। मैं जानना चाहता हूं कि दामोदर घाटी के निष्क्रांत लोगों में से कितने प्रतिशत का पुनर्वास किया गया है और उसका क्या व्यय है ?

†**श्री हाथी** : माईथान क्षेत्र के लोगों का पुनर्वास किया जा रहा है। अभी पंचेट क्षेत्र घाटी के अन्दर आने का प्रश्न नहीं पैदा हुआ है। माईथान क्षेत्र के विस्थापितों के पुनर्वास का कार्य बिहार सरकार ने अपने हाथ में ले लिया है। मैं ठीक-ठीक नहीं बता सकता कि वहां से कितने लोग आ गये हैं।

†**डा० राम सुभग सिंह** : इसके कारण प्राक्कलन में कितनी वृद्धि हुई है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री हाथी :** वह अधिक नहीं है। वास्तव में वृद्धि का मुख्य कारण तो यह है कि दामोदर घाटी निगम की पारेषण लाइन को कलकत्ते तक बढ़ाया गया है जिससे ६·७० करोड़ रुपये की वृद्धि हुई है। पुनर्वास के कारण अधिक वृद्धि नहीं हुई है। वह तो केवल एक करोड़ रुपये के लगभग है

†**श्री आर० पी० गर्ग :** क्या यह सच है कि मुख्य बांध तो पूरा होने वाला है किन्तु नहरों और पारेषण लाइनों में अभी दो तीन वर्ष लगेंगे ? यदि हां, तो इस दोषयुक्त योजना के क्या कारण हैं ?

†**श्री हाथी :** यह प्रश्न अनेक बार किया गया है। जहां तक माईथान का क्षेत्र सम्बन्ध है, दुर्गापुर बेरेज तो पहले ही तैयार है और माईथान में पानी एकत्र किया जायेगा वह पंचेट जायेगा और फिर दुर्गापुर बेरेज में जायेगा। वहां पर नहरें तैयार हो चुकी हैं और हम लगभग एक लाख एकड़ भूमि की सिंचाई कर सकेंगे।

†**श्री जांगड़े :** ऐसा क्यों हुआ है कि अधिकांश सिंचाई परियोजनाओं में, यद्यपि मूल्य सामान्य रहे हैं और सिंचाई का क्षेत्र भी उतना ही रहा है तथापि मूल प्राक्कलनों की अपेक्षा बाद के प्राक्कलनों में बहुत वृद्धि हुई है ?

†**श्री हाथी :** इसका कारण परियोजना क्षेत्र, उसकी क्षमता और उसके लाभ का विस्तार है। इस मामले में पहले हमने १५० मील की पारेषणा लाइन का अनुमान लगाया था जो अब ४७० मील हो गई है। बुकारो में हमने १५०,००० किलोवाट बिजली का विचार किया था और अब वहां लगभग २००,००० किलोवाट है। सिंचाई के क्षेत्र में भी लगभग ४० प्रतिशत वृद्धि हुई हैं। परियोजना की क्षमता और मूल्य में भी वृद्धि हुई है। कुछ मामलों में भूमि की लागत बढ़ जाने तथा अन्य कारणों से प्राक्कलन बढ़ गये हैं जिसका ब्योरा पहले प्राप्त न था।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :** क्या यह सच है कि कोनार परियोजना में बिजली योजना को त्याग दिया गया है और यदि हां, तो क्या सम्पूर्ण प्राक्कलन में उसका मूल्य घटा दिया गया है ?

†**श्री हाथी :** उसको त्यागा नहीं गया है किन्तु हमने अंतिम निश्चय नहीं किया है। इस प्राक्कलन में उसकी लागत भी शामिल है।

लोहा और इस्पात का कोटा

†***२५५६. मुल्ला अब्दुल्ला भाई :** क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि लोहा और इस्पात के कोटा के प्रमाण पत्र पंजीकृत सौदागरों को देने के कई वर्ष बाद उन्हें लोहा और इस्पात का कोटा दिया जाता है; और

(ख) क्या छोटे उद्योगों को भी नौ महीने बाद कोटा दिया जाता है ?

†**औद्योगिक विकास मंत्री (श्री एम० एम० शाह) :** (क) और (ख). जी नहीं।

मुल्ला अब्दुल्ला भाई : क्या मैं जान सकता हूं कि प्रोडक्शन (उत्पादन) का प्लानिंग कोटा इश्यू (जारी) करने से पहले होता है या बाद में ?

श्री एम० एम० शाह : पहले तो डिमांड (मांग) आती है और फिर सप्लाई (पूर्ति) की पोजीशन (स्थिति) देख कर एन्युअल (वार्षिक) कोटा दिया जाता है।

†**श्रीमति तारकेश्वरी सिन्हा :** क्या मैं जान सकती हूं कि पंजीकृत सौदागरों को, लोहा और इस्पात के मूल्य पर नियंत्रण को ध्यान में रख कर कोटा दिया जाता है, और यदि हां, तो नये सौदागरों के बारे में सरकार की क्या नीति है ? हमने सुना है कि नये लोगों को पंजीयन में बहुत दिक्कतें उठानी पड़ रही हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**वाणिज्य और उद्योग तथा लोहा और इस्पात मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी)** : नये पंजीकृत सौदागरों की नियुक्ति राज्य सरकारों की सिफारिशों पर की जाती है। अब हमें अधिक सामग्री उपलब्ध है अथवा उपलब्ध हो जायेगी। ऐसी दशा में यदि राज्य सरकारें पंजीकृत सौदागरों की संख्या बढ़ाना चाहें तो लोहा और इस्पात कंट्रोलर ऐसे लोगों को नियुक्त कर सकता है जिनकी सिफारिश राज्य सरकारें करें।

†**श्री जी० पी० सिन्हा** : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि पिछले वर्ष इस्पात के वितरण पर नियंत्रण से काला बाजार प्रारम्भ हो गया था, क्या सरकार पुराने सौदागरों के स्थान पर नये सौदागर नियुक्त करने पर विचार करेगी ?

†**श्री टी० टी० कृष्णमाचारी** : मैं नहीं समझता कि इस कारण से यह प्रभाव कैसे पड़ सकता है। यह विषय तो पूर्ण रूपेण राज्य सरकारों से सम्बन्धित है काले बाजार को दूर करना राज्य सरकारों का काम है। अतः स्थिति प्रायः वही रहेगी जिस का मैंने उल्लेख किया है।

†**श्री बी० एस० मूर्ति** : सामान रखने वालों के लिये क्या प्रत्येक राज्य को कोटा दिया जाता है ?

†**श्री टी० टी० कृष्णमाचारी** : हम व्यक्तिगत रूप में सौदागरों को कोटा नहीं देते बल्कि प्रत्येक राज्य को देते हैं। यदि कोई राज्य यह अनुभव करे कि उसमें अधिक सौदागर होने चाहियें तो वह उन्हें नियुक्त कर सकता है।

बिजली के भारी सामान का कारखाना, भोपाल

†*२५५७. **श्री भागवत झा आजाद** : क्या **उत्पादन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या भोपाल में प्रस्तावित भारी बिजली के समान के कारखाने की इमारत का नक्शा तैयार कर लिया गया है ?

†**उत्पादन मंत्री के सभासचिव (श्री आर० जी० दुबे)** : अभी नहीं।

†**श्री भागवत झा आजाद** : उक्त नक्शा कब तक तैयार हो जायेगा ?

†**श्री आर० जी० दुबे** : परामर्श दाताओं से किये गये करार के अनुच्छेद ३ के अनुसार, यह निश्चय किया गया है कि १२ नवम्बर, १९५६ तक वे आवश्यक जानकारी दे देवें। इन तथ्यों के प्राप्त होने पर नक्शे को अन्तिम रूप से तैयार करने के लिये आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

†**श्री भागवत झा आजाद** : सभासचिव ने जिस करार का जिक्र किया है क्या उसमें यह व्यवस्था भी की गई है कि निर्माण कब से प्रारम्भ होगा और कब तक उक्त कारखाना पूर्ण उत्पादन करेगा।

†**श्री आर० जी० दुबे** : मेरे विचार से यह जानकारी पुस्तकालय में उपलब्ध है। मैं अभी विस्तृत विवरण नहीं दे सकता हूं। विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन के प्राप्त होने अर्थात् १७ नवम्बर, १९५५ से, एक वर्ष के भीतर ही नक्शे के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही की जायेगी। इस बीच परामर्शदाताओं ने वह स्थान देख लिया है और आवश्यकताओं के सम्बन्ध में बता दिया है। प्रारम्भिक कार्य प्रगति कर रहा है।

†**श्री भागवत झा आजाद** : क्या नकशे बनाने के कार्यक्रम के साथ-साथ इसके सम्बन्ध में अन्य प्राक्कलन भी किये गये हैं ?

†**श्री आर० जी० दुबे** : मेरे विचार से ऐसा नहीं हुआ है।

†**श्री टी० बी० विट्ठल राव** : उत्पादन मंत्री ने भोपाल के हाल के दौरे में यह कहा था कि यह संयंत्र १९६० से उत्पादन करना प्रारम्भ करेगा। उन्होंने ऐसा किस आधार पर कहा जब कि यह योजना अभी परामर्श की स्थिति में ही है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री आर० जी० दुबे** : मेरे विचार से ये बातें करार में उल्लिखित हैं। खेद है यदि माननीय मंत्री यहां उपस्थित होते तो वह अपने कथन के सम्बन्ध में अधिक जानकारी दे सकते थे ।

श्री भक्त दर्शन : क्या मैं जान सकता हूं कि इस फैक्टरी को भोपाल में स्थापित करने से पहले देश के किन-किन स्थानों पर विचार किया गया था, और भोपाल में कौन से विशेष गुण थे जिनकी वजह से भोपाल को चुना गया ?

श्री आर० जी० दुबे : यह तो अलग सवाल है । अलग-अलग राज्यों में एक्सपर्टस (विशेषज्ञों) को भेजा गया था और उन्होंने देखा था और काफी सोच विचार के बाद सभी दृष्टियों से भोपाल को इस चीज के लिये उपयुक्त पाया गया ।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि यह एक सामुहिक निपटारा है, क्या सरकार प्राक्कलनों को अन्तिम रूप से निश्चय करने की आवश्यकता पर विचार कर रही है अन्यथा कीमतों में इतना उतार चढ़ाव होगा कि कारखाना बनेगा ही नहीं ?

†**उत्पादन उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र)** : यह सामुहिक निपटारा नहीं होगा । यह कारखाना सरकार द्वारा स्थापित किया जा रहा है और इसके व्यय को सरकार वहन करेगी टेक्नीकल परामर्शदाता सरकार को केवल परामर्श देंगे । वे इस कारखाने की स्थापना तथा सामग्री की प्राप्ति में सलाहकार के रूप में काम करेंगे किन्तु कारखाने का नियंत्रण और स्वामित्व पूरी तरह सरकार के हाथों में रहेगा ।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : मेरे प्रश्न का तात्पर्य कुछ और था ।

†**श्री नटराजन** : इस कारखाने की उत्पादन क्षमता क्या है ? वर्तमान मांग से उसका क्या अनुपात है ?

†**श्री सतीश चन्द्र** : टेक्नीकल परामर्शदाताओं से हुए करार की एक प्रतिलिपि पुस्तकालय में उपलब्ध है उसमें कुछ ब्यौरा दिया गया है ।

उड़ीसा राज्य के सूखा से प्रभावित क्षेत्र

†*२५५८. **श्री के० सी० जेना** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा राज्य में, विशेषत: तटवर्ती जिलों में, वर्ष प्रतिवर्ष पड़ने वाले सूखे को रोकने के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है;

(ख) क्या उड़ीसा की राज्य सरकार ने केन्द्रीय सरकार से, राज्य के सूखा पीड़ित जिलों के गरीब किसानों को सिंचाई सुविधायें उपलब्ध करने के लिये अधिक वित्तीय सहायता की प्रार्थना की है; और

(ग) यदि हां, तो उसका क्या फल हुआ ?

†**योजना उपमंत्री (श्री एस० एन० मिश्र)** : (क) सूखे के प्रभाव का सामना करने के लिये राज्य हीराकुड परियोजना के अलावा मध्यम और छोटी सिंचाई परियोजनायें हाथ में लेने का विचार कर रहा है । सलांदी सिंचाई परियोजना, जिस पर अनुमानित व्यय ४४५ लाख रुपये होंगे, से उस क्षेत्र को विशेष लाभ पहुंचेगा, जहां की कृषि अर्थ व्यवस्था विशेष रूप से शोचनीय है । उक्त योजनाओं से ४·७१ लाख एकड़ भूमि को लाभ पहुंचेगा ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

श्री के० सी० जेना : क्या मैं जान सक
डैम (बांध) बनने वाला है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री एस० एन० मिश्र : मैं इस खास बांध के बारे में अभी कोई सूचना नहीं दे सकता ।

श्री के० सी० जेना : अनावृष्टि के कारण बहुत से लोग बेकार हो गये हैं और किसी काम के लायक नहीं हैं । क्या उनको कोई धंधा देने के लिये केन्द्रीय सरकार, स्वतंत्र रूप से या राज्य सरकार के सहयोग से, सोच रही है ?

श्री एस० एन० मिश्र : इस समस्या के बारे में राज्य सरकार जिन स्कीमों को चालू करना चाहती है अगर उनकी सूचना हम लोगों को दे तो हम लोग उस पर गौर करेंगे ।

†**श्री एन० बी० चौधरी :** इन क्षेत्रों के सूखा तथा वर्षाभाव की स्थिति को ध्यान में रख कर, अन्य परियोजनाओं को दिये जाने वाले सामान्य अनुदानों तथा ऋणों के अलावा क्या सरकार सिंचाई परियोजना के विकास की ओर विशेष ध्यान देगी ?

†**श्री एस० एन० मिश्र :** मैं प्रश्न का तात्पर्य पूरी तरह नहीं समझ सका हूं ।

†**श्री एन० बी० चौधरी :** राज्य सरकार द्वारा अन्य परियोजनाओं के लिये दिये गये सामान्य अनुदानों और ऋणों के अलावा भी क्या इन क्षेत्रों में सिंचाई परियोजनाओं के लिये विशेष अंशदान दिया गया है ?

†**श्री एस० एन० मिश्र :** हाल में ही सरकार ने छोटी सिंचाई परियोजनाओं को क्रियान्वित करने के लिये १९५६-५७ के 'अधिक अन्न उपजाओ' कार्यक्रम के अन्तर्गत २० लाख रुपये के ऋण की प्रार्थना की है । उक्त ऋण स्वीकार किया जा चुका है ।

समाज कल्याण समस्याओं सम्बन्धी टेक्नीकल उप-समिति

†*२५६०. **श्री भीखा भाई :** क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और अनुसूचित आदिम जातियों के कल्याण के लिये योजना आयोग को परामर्श देने के लिये समाज कल्याण समस्याओं सम्बन्धी टेक्नीकल उप-समिति के अलावा अन्य कोई विशेष पेनेल नहीं बनाई गई है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का लोक-सभा पटल पर अनुसूचित जातियों के कल्याण से सम्बन्धित टेक्नीकल उपसमिति के सुझावों अथवा प्रतिवेदन की एक प्रति रखने का विचार है; और

(ग) क्या यह सच है कि उप-समिति में कोई आदिम जातियों का प्रतिनिधि नहीं है ?

†**योजना उपमंत्री (श्री एस० एन० मिश्र) :** (क) अनुसूचित क्षेत्रों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के कल्याण के लिये योजना आयोग को सलाह देने के लिये कोई समिति नहीं बनाई गई है । यह उल्लेखनीय है कि गवेषणा कार्यक्रम समिति के समाज कल्याण सम्बन्धी समिति की टेक्नीकल समिति अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और अनुसूचित आदिम जातियों के कल्याण के अभिप्राय से नहीं बनाई गई है । इस उप-समिति का कार्य विश्वविद्यालयों और गवेषणा संस्थाओं द्वारा प्रस्तुत समाज कल्याण समस्या पर गवेषणा की योजनाओं की जांच करना और उनके लिये गवेषणा कार्यक्रम समिति से सिफारिश करना है । उप-समिति में गवेषणा कार्य में अनुभवी प्राप्त अर्थशास्त्री और समाजशास्त्री हैं ।

(ख) और (ग). प्रश्न (क) के उत्तर में उप-समिति की रचना तथा कार्यों को बता दिया गया है । अतः यह प्रश्न उत्पन्न नहीं होते हैं ।

†**श्री भीखा भाई :** क्या यह सच है कि अनुसूचित जातियों के कल्याण के सम्बन्ध में योजना आयोग को सलाह देने के लिये एक विशेष पेनेल के अभाव में, विभिन्न मंत्रालयों द्वारा लोक कल्याण के लिये किये गये कार्यों का समुचित समन्वय नहीं किया जाता है तथा इससे आदिम जातियों के कल्याण कार्यों में हानिकर प्रभाव पड़ा है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री एस० एन० मिश्र :** हम ऐसा अनुभव नहीं करते हैं । वस्तुतः इस सम्बन्ध में एक सम्मेलन हुआ है जहां समुचित समन्वय पर विचार किया जायेगा ।

†**श्री भीखा भाई :** क्या यह सच है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना में अनुसूचित आदिम जातियों के क्षेत्र में उतना ध्यान नहीं दिया गया है जितना कि संविधान के उपबन्धों के अधीन दिया जाना चाहिये था ।

†**श्री एस० एन० मिश्र :** प्रश्न का क्या तात्पर्य है ?

†**अध्यक्ष महोदय :** माननीय सदस्य यह जानना चाहते हैं कि क्या प्रथम पंचवर्षीय योजना में अनुसूचित आदिम जातियों के क्षेत्रों में योजना में उल्लिखित तरीके के अनुरूप ध्यान नहीं दिया गया । उन्होंने एक सामान्य प्रश्न पूछा हैं । माननीय मंत्री जी कह सकते हैं कि उन्हें इस सम्बन्ध में कोई शिकायत नहीं मिली है ।

†**श्री बी० एस० मूर्ति :** उक्त टेक्नीकल उप-समिति में विभिन्न अनुसूचित जातियों के कल्याण कार्यों की आवश्यकता तथा अनुभव के सम्बन्ध में सलाह देने के लिये कोई अनुसूचित आदिम जाति के अथवा जो कई वर्षों से अनुसूचित आदिम जातियों के कल्याण के लिये काम कर रहे हैं ऐसे सदस्य क्यों नहीं हैं ?

†**श्री एस० एन० मिश्र :** जैसा कि मैं कह चुका हूं यह टेक्नीकल उपसमिति गवेषणा कार्यक्रम सम्बन्ध रखती है इसलिये इस उप-समिति का कार्य टेक्नीकल प्रकार का है। यदि अनुसूचित आदिम जातियों में, जिसका कि माननीय सदस्य ने अभी उल्लेख किया है टेक्नीकल विशेषज्ञ होते तो वे अवश्य इस उप-समिति में ले लिये जाते । वे इस लिये नहीं लिये गये हैं कि वे आदिम जातियों के हैं बल्कि एक व्यक्ति अपने विशेष ज्ञान के कारण ही इस प्रकार की समिति में लिया जाता है ।

छाद बेट

†*२५६१. **श्री डाभी :** क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समाचार में कहां तक सच्चाई है कि कच्छ सरकार के लोक निर्माण विभाग का एक अधिकारी छाद बेट के नक्शे इत्यादि को लेकर पाकिस्तान भाग गया है;

(ख) यदि हां, तो अधिकारी का नाम और पद क्या है; और

(ग) उक्त अधिकारी को ये कागज पत्र इत्यादि कहां से प्राप्त हो गये ?

†**वैदेशिक-कार्य उपमंत्री (श्री अनिल के० चन्दा):** (क) से (ग). तथ्य निम्नलिखित हैं । अहमद-फजल भाई सेठ जो कि कच्छ राज्य के भूतपूर्व सीमाशुल्क अधिकारी का पुत्र था, १९४८ में अपने अध्ययन के निमित्त कराची गया; क्योंकि वित्तीय दृष्टि से वह अपनी बहिन के ऊपर निर्भर था, जो कि कराची में रहती थी । शिक्षा समाप्त करने के पश्चात् वह पाकिस्तानी पारपत्र से भारत में स्थायी रूप से बसने के इरादे से कच्छ लौट आया । भारत सरकार ने अन्ततः दीर्घकालीन दृष्टांक (विज़ा) पर उसे भारत में रहने देने की अनुमति देने का निश्चय किया और वह कच्छ लोक निर्माण विभाग में पर्यवेक्षक (सुपर-वाइजर) के अस्थायी पद पर नियुक्त हो गया । अप्रैल, १९५६ में उसने घरेलू कार्य के लिये आकस्मिक छुट्टियां लीं और तब इस आधार पर कि उसे अन्य स्थान में अच्छा पद पाने की आशा है उसने त्यागपत्र दे दिया । यह ज्ञात होने पर कि वह पाकिस्तान चला गया है, उसे नौकरी से हटा दिया गया ।

कच्छ राज्य प्राधिकारियों ने यह अफवाह की, कि वह छाद-बेट के नक्शे कागजात इत्यादि ले गया है खूब जांच पड़ताल की और इसे बिल्कुल निराधार पाया । छाद बेट अथवा किसी विषय पर कोई कागजात गुम हुआ नहीं पाया गया ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री डाभी :** क्या पाकिस्तान सरकार छाद बेट पर अब भी अपना दावा करती है अथवा इस सम्बन्ध में अभी पत्र व्यवहार चल रहा है ?

†**श्री अनिल के० चन्दा :** इस प्रश्न का मुख्य प्रश्न से कोई सम्बन्ध नहीं है ।

†**श्री बी० एस० मूर्ति :** क्या सरकार ने उक्त अधिकारी की नियुक्ति के समय यह पता लगाया था कि क्या उसकी शिक्षा पाकिस्तान में पाकिस्तान के व्यय पर हुई थी ? यदि उसकी शिक्षा पाकिस्तान सरकार के व्यय पर हुई थी तो भारत सरकार ने उसे नौकरी क्यों दी ?

†**श्री अनिल के० चन्दा :** उसकी शिक्षा पाकिस्तान सरकार के व्यय पर नहीं हुई थी । वह केवल अध्ययन करने के लिये पाकिस्तान गया क्योंकि उसका पोषण करने वाली बहिन पाकिस्तान में रहती थी ।

†**श्री बी० एस० मूर्ति :** क्या वह पाकिस्तान में किसी सरकारी कर्मचारी की पत्नी है ?

†**श्री अनिल के० चन्दा :** सम्भव है । लेकिन मैं नहीं जानता कि वह पाकिस्तान में सरकारी कर्मचारी की पत्नी है ।

†**श्री यू० एम० त्रिवेदी :** क्या यह सच है कि उसके सभी सम्बन्धी पाकिस्तान में हैं ?

†**श्री अनिल के० चन्दा :** जहां तक मेरी जानकारी है उसकी मां अब भी भारत में ही है ।

दामोदर घाटी निगम

†*२५६२. **श्री एस० सी० सामन्त :** क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दामोदर घाटी निगम अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार, निगम ने घाटी क्षेत्रों में कोई विकास योजनायें हाथ में ली हैं ?

(ख) यदि हां, तो इसमें कितने अतिरिक्त कर्मचारी विलीन किये गये हैं ; और

(ग) यदि नहीं, तो कब तथा क्या योजनायें कार्यान्वित की जाने वाली हैं ?

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी) :** (क) जी, नहीं ।

(ख) निगम प्रारम्भ से ही विकास कार्य कर रहा है तथा इसके लिये आवश्यक कर्मचारी भी उसमें हैं । इसलिये इन योजनाओं में अतिरेक कर्मचारियों की नियुक्ति के लिये कम स्थान है । अब तक निगम में केवल २ अतिरेक व्यक्ति नियुक्त किये गये हैं । अगले ३ मास में १६ और व्यक्तियों को नियुक्त करने की आशा है ।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

†**श्री एस० सी० सामन्त :** क्या यह तथ्य नहीं है कि इन विकास परियोजनाओं में, कुछ दिन पूर्व नवीन व्यक्ति नियुक्त किये गये हैं जबकि मैथन परियोजना, जो कि लगभग पूर्ण हो चुकी है, के ६०० छंटनी किये गये व्यक्तियों में से केवल २०० अब तक विलीन किये गये हैं ?

†**श्री हाथी :** यह सच है कि काम पर रखे गये लगभग ८५९ कर्मचारी, मैथन में अतिरेक करार दिये गये हैं, परन्तु मुझे यह जानकारी नहीं है कि इन व्यक्तियों को निकाल कर अन्य व्यक्ति रखे गये हैं ।

†**श्री एस० सी० सामन्त :** क्या यह सच नहीं है कि माननीय मंत्री ने इन व्यक्तियों को एक मास का समय दिया है ? क्या इस प्रकार के कुछ आवेदन पत्र मंत्रालय में आये हैं कि नवीन व्यक्ति रखे गये हैं तथा दामोदर घाटी निगम ने अभी स्थायी पदों का निर्धारण नहीं किया है और व्यक्तियों को अपनी भविष्य की नियुक्ति की कोई जानकारी नहीं है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री हाथी :** लगभग एक मास पूर्व दामोदर घाटी निगम का कर्मचारी संघ सिंचाई और विद्युत् मंत्री से मिला था तथा मैं भी उस समय उपस्थित था। हमने निगम को स्थायी निर्धारण करने के तथा उस समय तक और विकास के कार्य न करने के आदेश दिये हैं। हमें पुनर्निर्धारण के पूर्ण प्रतिवेदन अभी प्राप्त नहीं हुए हैं।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :** तिलाया में छोटे उद्योगों के विकास का विचार था। एक छोटा ताला बनाने का कारखाना प्रारम्भ हो चुका है। क्या मैं जान सकती हूं कि योजनाओं को अन्तिम रूप दिया जा चुका है अथवा वे पूर्णरूपेण त्याग दी गयी हैं? क्या मैं यह भी जान सकती हूं कि उनमें कितने व्यक्ति नियुक्त किये गये हैं?

†**श्री हाथी :** तिलाया में कुछ योजनायें, जैसे मछली पालन का विकास, ताला बनाना तथा अन्य छोटे उद्योग लिये गये हैं। परन्तु इन व्यक्तियों को विलीन करना कठिन है। ये योजनायें, इन व्यक्तियों को अतिरेक घोषित करने से पूर्व ही चल रही हैं, परन्तु १६ से १८ व्यक्ति विलीन हो सकते हैं। ये बड़ी योजनायें नहीं हैं।

†**श्री बर्मन :** प्रश्न संख्या २५३७ में जनहित का मामला है। क्या प्रधान मंत्री उसका उत्तर देने की कृपा करेंगे?

†**अध्यक्ष महोदय :** प्रश्नावधि हो जाने पर भी, अन्य समय, सरकारी कार्य का समय ही है। माननीय प्रधान मंत्री यदि चाहें तो उत्तर दे सकते हैं।

चित्राल का पाकिस्तान में प्रवेश

†*२५३७. **श्री ब्रजेश्वर प्रसाद :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने पाकिस्तान में चित्राल के प्रवेश को मान्यता दे दी है;

(ख) क्या हन्ज़ा भी पाकिस्तान में प्रविष्ट कर चुका है; और

(ग) नागर तथा पुनिपाल प्रदेशों का पाकिस्तान से क्या सम्बन्ध है?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) :** (क) १८७६ से चित्राल पर काश्मीर के महराजा का प्रभुत्व था। बाद में बहुत से आन्तरिक परिवर्तन हुए परन्तु काश्मीर का प्रभुत्व वहां रहा तथा मैं कहूंगा अब भी है।

भारत सरकार को चित्राल के पाकिस्तान में प्रवश करने की कोई जानकारी नहीं है। पश्चिमी पाकिस्तान अधिनियम, १९५५ की स्थापना में कहा गया है कि बलोचिस्तान, पंजाब, तथा उत्तर-पश्चिम सीमान्त के आदिम जाति के क्षेत्र तथा अम्ब, चित्राल, दिर तथा स्वात के राज्य पश्चिमी पाकिस्तान प्रांत में शामिल होंगे। भारत सरकार द्वारा चित्राल की पूर्वस्थिति में परिवर्तन को मान्यता देने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता। मैं यह कह सकता हूं कि भूतपूर्व महाराजा द्वारा जम्मू तथा काश्मीर राज्य की प्रविष्टि में तथा भारत सरकार की स्वीकृति में, वह सभी क्षेत्र सम्मिलित हैं जो महाराजा के प्रभुत्व में थे। यह स्थिति अपरिवर्तित है।

(ख) और (ग). हन्ज़ा, नागर तथा पुनिपाल प्रदेश सर्वदा जम्मू तथा काश्मीर के अंग रहे हैं। इस समय वे पाकिस्तान के कब्जे में हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

प्रश्नों के लिखित उत्तर

बाढ़ नियंत्रण कार्य

†*२५२८. **श्री कृष्णाचार्य जोशी** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न बाढ़ नियंत्रण बोर्डों ने द्वितीय पंचवर्षीय योजना के बाढ़ नियंत्रण कार्यों सम्बन्धी प्रतिवेदन प्रस्तुत किये हैं;

(ख) क्या केन्द्र तथा राज्य बोर्डों के बीच कोई समन्वय है; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अब तक किस प्रकार का कार्य किया गया है ?

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी)** : (क) द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किये जाने वाले नवीन कार्यों का कोई प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुआ है परन्तु योजनाओं की परीक्षात्मक सूची आ रही है ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) केन्द्रीय ऋण सहायता, निधि आवंटन तथा कार्य की प्रगति की योजनाओं की स्वीकृति तथा अन्य सभी केन्द्र तथा राज्य के बीच समन्वय की अपेक्षा वाले प्रश्नों पर केन्द्रीय बाढ़ नियंत्रण बोर्ड की बैठकों में चर्चा की जाती है । ये बैठकें समय समय पर होती हैं ।

त्रावनकोर-कोचीन की द्वितीय पंचवर्षीय योजना

†*२५३०. **श्री वेलायुधन** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रावनकोर-कोचीन राज्य सरकार की द्वितीय पंचवर्षीय योजना में 'विशेष योजनाओं' की श्रेणी के अन्तर्गत राज्य में शिक्षित बेकारी की समस्या हल करने के लिये २२० लाख रुपये रखे गये थे; और

(ख) यदि हां, तो क्या यह योजना राष्ट्रीय विकास परिषद् ने स्वीकार कर ली है ?

†**योजना उपमंत्री (श्री एस० एन० मिश्र)** : (क) जी, नहीं । परन्तु त्रावनकोर-कोचीन राज्य सरकार ने बाद में, योजना आयोग द्वारा स्थापित 'शिक्षित बेकारों पर अध्ययन वर्ग' को शिक्षित बेकारी दूर करने की योजना पेश की थी । इस समय वर्ग इस पर विचार कर रहा है ।

(ख) राष्ट्रीय विकास परिषद् राज्य तथा केन्द्रीय योजनाओं को पूर्णरूपेण आकार निर्धारित करती है । इसलिये परिषद् को भेजी गई योजना की स्वीकृति अथवा अस्वीकृति का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है ।

नई दिल्ली में होटल की स्थापना

†*२५३१. **श्री वोडयार** :
श्री मोहन राव :

क्या **निर्माण, आवास तथा संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एक विदेशी भोजन-व्यवस्था उपक्रम नई दिल्ली में एक होटल स्थापित करने का विचार कर रहा है;

(ख) क्या सरकार ने इसकी स्थापना की अनुमति दे दी है; और

(ग) क्या यह हमारी मौलिक औद्योगिक नीति के विरुद्ध नहीं है कि अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की एक बड़ी विदेशी संस्था को भोजन व्यवस्था करने वाली भारतीय स्थापनाओं से प्रतिद्वन्द्विता करने की अनुमति दी जाये ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**निर्माण, आवास तथा संभरण मंत्री के सभा सचिव (श्री पी० एस० नास्कर)** : (क) सरकार को ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है ।

(ख) तथा (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

परियोजनाओं के कर्मचारी तथा केन्द्रीय जल और विद्युत् आयोग

†*२५३३. **श्री एल० एन० मिश्र** : क्या **सिंचाई और बिद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या परियोजनाओं और केन्द्रीय जल तथा विद्युत् आयोग के बीच कर्मचारियों के स्थानान्तरण का कोई उपबन्ध है; और

(ख) यदि हां, तो यह किस प्रकार किया जाता है ?

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी)** : (क) जी, नहीं । क्योंकि सिंचाई और विद्युत् इंजीनियरों की कोई सामान्य सेवा नहीं है ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

गुड़

†*२५३४. **श्री एम० इस्लामुद्दीन** : क्या **उत्पादन** मंत्री २० दिसम्बर, १९५५ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या १०१४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रत्येक क्षेत्र तथा प्रत्येक मंडी में, अच्छे विपणन तथा श्रेणीबद्धकरण, के लिये गुड़ की किस्म की न्यूनतम मान्यता निश्चित करने के सम्बन्ध में क्या प्रगति हुई है ?

†**उत्पादन मंत्री के सभा-सचिव (श्री आर० जी० दुबे)** : बोर्ड द्वारा समस्त भारतीय गुड़ की मंडियों का सर्वेक्षण एक दीर्घकालीन कार्य होगा । इसलिये बोर्ड ने इस कार्य को बाद में करने का विचार किया है । इस समय उसने गुड़ तथा चीनी का विपणन सर्वेक्षण करने के पश्चात् सरकार द्वारा बनाये गये गुड़ को श्रेणीबद्धकरण के नियमों का पालन करने का निर्णय किया है ।

हरित मणि

†*२५३९. **श्री बलवन्त सिंह मेहता** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हरित मणि का निर्माण करने के लिये कोई कारखाना स्थापित करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो मामला किस स्थिति पर है ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : (क) तथा (ख). हरित मणि अयस्क की प्रारम्भिक सफाई के लिये एक संयंत्र स्थापित करने की संभावना पर भारत सरकार खोज कर रही है, परन्तु मामले पर पत्र व्यवहार हो रहा है तथा अभी कोई प्रस्ताव नहीं बनाया गया है ।

मुद्रण यंत्र

†*२५४०. **ठाकुर लक्षमन सिंह चाड़क** : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में मुद्रण यंत्र रखने के लिये, विदेशी सार्थों तथा संगठनों से कितनी प्रगति की गई है;

(ख) १९५५ के अन्त तक भारत में कितने छोटे मुद्रण यंत्रों का उत्पादन हुआ है; और

(ग) क्या भारत सरकार ने मुद्रण यंत्रों के प्रकारों जिनका उत्पादन देश में मितव्ययता से हो सकता है की मांगों का सही निर्धारण करने के लिये कोई सर्वेक्षण किया था ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**औद्योगिक विकास मंत्री (श्री एम० एम० शाह)** : (क) यह स्पष्ट नहीं है कि माननीय सदस्य का आशय, देश में मुद्रण यंत्र के निर्माण से है अथवा विदेशों से संभरण की उपलब्धता से है। यदि वह देश में निर्माण के सम्बन्ध में जानने के इच्छुक हैं, तो सरकार संभावनाओं की खोज कर रही है।

(ख) लगभग ३९ फ्लेटन तथा प्लैट बैड प्रकार की मुद्रण प्रेस १९५५ में बनाई गई थी।

(ग) जी, हां। सर्वेक्षण हो रहा है।

निष्क्रांत सम्पत्ति के मकान

†*२५४१. **श्री राधा रमण** : क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार इस प्रस्थापना पर विचार कर रही है जिन गरीब विस्थापित व्यक्तियों के पास निष्क्रांत सम्पत्ति के मकान हैं, उनके मामले की जांच करने के लिये एक समिति स्थापित की जाये;

(ख) यदि, हां तो निर्देश-पदों का क्षेत्र क्या होगा; और

(ग) क्या जो मामले ठीक समझे जायेंगे, उन्हें किराये की छूट भी दी जायेगी?

†**पुनर्वास मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना)** : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

संसद-सदस्यों के लिये क्वार्टर

†*२५४४. **श्री मादिया गौडा** : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नार्थ तथा साउथ एवेन्यू में संसद्-सदस्यों के क्वार्टरों में जो अतिरिक्त सेवा का प्रबन्ध किया जाता है, उसके लिये प्रति वर्ष कितना रुपया लिया जाता है और इस प्रकार से कुल कितनी रकम प्राप्त हुई है;

(ख) इस अतिरिक्त सेवा पर वस्तुत: कुल कितना चल खर्चा हुआ है; और

(ग) क्या इसमें क्वार्टरों की मरम्मत का खर्चा भी शामिल है?

†**निर्माण, आवास और संभरण मंत्री के सभा-सचिव (श्री पी० एस० नास्कर)** : (क) और (ख). सभा-पटल पर एक विवरण रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट १४, अनुबन्ध संख्या ७७]**

(ग) जी, नहीं।

मोटर उद्योग

†*२५५१. **डा० रामा राव** : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : क्या सरकार ने भारत के मोटर उद्योग के विकास के बारे में सलाह देने को इंग्लैंड के एसोसियेटेड कमर्शियल वेहिकल्स के एक संचालक, श्री ए० जे० रोमर को बुलाया है ;

(ख) वह कब आये और उन्होंने कौन-कौन से स्थानों व कारखानों का दौरा किया ; और

(ग) क्या उन्होंने अपनी सलाह व राय दी है ?

†**औद्योगिक विकास मंत्री (श्री एम० एम० शाह)** : (क) जी, हां।

(ख) वह १९ अप्रैल, १९५६ को यहां आये, वह कहां कहां गये, इसका पूरा ब्योरा अभी उपलब्ध नहीं है। यह ख्याल है कि वह देश के मोटर के मुख्य-मुख्य निर्माण केन्द्रों को देखेंगे।

(ग) जी नहीं, अभी तक नहीं।

---

†मूल अंग्रेजी में

त्रावणकोर-कोचीन की द्वितीय पंचवर्षीय योजना

†*२५५२. **श्री पून्नस** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) त्रावनकोर-कोचीन राज्य के लिये द्वितीय पंचवर्षीय योजना के हेतु कुल कितनी धनराशि नियत की गई है;

(ख) उक्त राशि में से द्वितीय पंचवर्षीय योजना के प्रथम तीन महीनों के लिये कितनी धनराशि नियत की गई है; और

(ग) क्या राज्य में योजना की कार्यान्विति के लिये लोगों का सहयोग प्राप्त करने के हेतु पंचायतों, नगरपालिकाओं, आदि स्वायत्त सरकारी निकायों को अधिक शक्तियां दी जायेंगी ?

†**योजना उपमंत्री (श्री एस० एन० मिश्र)** : (क) ७,१९५·३१ रुपये ।

(ख) योजना के अन्तर्गत राशि का नियतन तिमाही आधार पर नहीं किया जाता है ।

(ग) यह राज्य सरकार का मामला है । योजना आयोग की सिफारिशें द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अध्याय ७ में दी गई हैं ।

रूरकेला इस्पात संयंत्र

†*२५५५. **श्री निरंजन जेना** : क्या **लोहा और इस्पात** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि रूरकेला के श्रमिकों और अस्थिर लोगों के पास रहने के लिये कोई जगह नहीं है; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

†**वाणिज्य और उद्योग तथा लोहा और इस्पात मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी)** : (क) जहां तक हिन्दुस्तान स्टील प्राइवेट लि० का सम्बन्ध है, रूरकेला में नियमित और दैनिक पारिश्रमिक के आधार पर काम में लगे हुये दो प्रकार के कर्मचारी हैं । नियमित कर्मचारियों के लिये रहने का प्रबन्ध कम्पनी करती है । काम में स्थायी रूप से लगे हुये कर्मचारियों में से अधिकांश आस पास के गांवों से आते हैं जहां उन्हें पहले से ही अथवा काम में लगने के बाद से जगह मिल चुकी है । ठेकेदारों द्वारा लगाये गये श्रमिकों को जगह देने की जिम्मेवारी हिन्दुस्तान स्टील प्राइवेट लि० पर नहीं है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

चमड़ा रंगने अथवा कमाने की सामग्री

†*२५६३. **श्री मादिया गौडा** : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि चमड़ा रंगने और कमाने की सामग्री के मामले में भारत कब तक आत्म-निर्भर हो जायेगा ?

†**औद्योगिक विकास मंत्री (श्री एम० एम० शाह)** : सरकार यह आशा करती है कि तृतीय पंचवर्षीय योजना के अंत तक वह चमड़ा उद्योग के लिये अपेक्षित अनेक प्रकार के रंगों को पर्याप्त मात्रा में बना सकेगी । जहां तक चमड़ा कमाने के लिये अपेक्षित सामग्री का सवाल है, जिनमें से मुख्य बबूल की छाल और उसका गूदा है, यह प्रयत्न किये जा रहे हैं कि देश के कुछ भागों में बबूल के पेड़ उगाये जायें और यह ख्याल है कि १९७४ तक बबूल की छाल के मामले में भारत लगभग आत्म-निर्भर हो जायेगा ।

टेलीविजन

*२५६४. **श्री भक्त दर्शन** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री २९ फरवरी, १९५६ के तारांकित प्रश्न संख्या ३५४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि बम्बई में टेलीविजन का एक यंत्र लगाने का निश्चय किया गया है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर) : दूसरी पंचवर्षीय योजना में प्रयोग के तौर पर एक टेलीविजन केन्द्र खोलने का प्रस्ताव है। इस सिलसिले में बम्बई में उस केन्द्र को रखने के बारे में विचार हो रहा है।

केन्या में आप्रवास

†*२५६५. **श्री कृष्णाचार्य जोशी :**
श्री बंसल :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्या के भारतीयों ने भारत सरकार के पास जातीय विभेद और केन्या में आप्रवास रोकने की हाल ही की नीति के खिलाफ कोई अभ्यावेदन भेजा है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने उनके अभ्यावेदन पर विचार किया है ?

†**वैदेशिक कार्य-उपमंत्री (श्री अनिल के० चन्दा)** : (क) केन्या में रहने वाले भारतीयों से ऐसा कोई अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ है किन्तु कुछ भारतीयों ने इस सम्बन्ध में नैरोबी में स्थित भारतीय आयोग से निवेदन किया है। भारत के थोड़े से वाणिज्यिक संगठनों ने अपने अभ्यावेदन अवश्य भेजे हैं।

(ख) इस विषय पर विशेष रूप से विचार किया जा रहा है।

स्वास्थ्य मंत्री का विदेशों को जाना

†*२५६६. **श्री कामत** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इस ग्रीष्म ऋतु में स्वास्थ्य मंत्री ने बाहर जाने की योजना बनाई है; और

(ख) यदि हां, तो उनके जाने का उद्देश्य क्या है ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : (क) और (ख). जी, हां। स्वास्थ्य मंत्री जेनेवा और संयुक्त राज्य अमेरिका जायेंगी। जेनेवा में वह अन्तर्राष्ट्रीय रेड क्रास की बैठकों में भाग लेंगी। अमेरिका जाने के लिये उन्हें फोर्ड फाउन्डेशन (प्रतिष्ठान) और कुछ विश्वविद्यालयों ने निमंत्रण दिया है। वहां वह अनेक संस्थाओं को देखेंगी।

तेलगु भाषा में प्रसारण

†*२५६७. **डा० रामा राव** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें मारीशस में रहने वाले आंध्रवासियों से इस सम्बन्ध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुये हैं कि विदेशी प्रसारणों में आकाशवाणी से तेलगु भाषा में प्रसारण किये जायें ; और

(ख) यदि हां, तो क्या उन पर कोई कार्यवाही की गई है ?

†**सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर)** : (क) जी, हां।

(ख) किसी प्रादेशिक भाषा में एक पृथक विदेशी प्रसारण सेवा चालू करने का प्रश्न मुख्यत: एक आर्थिक प्रश्न है। क्योंकि ऐसी सेवाओं पर बड़ा खर्चा पड़ता है, अत: इस समय यह निश्चय किया गया है कि उन्हीं भाषाओं में विदेशी प्रसारण किये जायें, जिनके समझने वाले विदेशों में काफी अधिक मात्रा में हों।

---

†मूल अंग्रेजी में

भूमि सुधार

†*२५६८. **श्री संगण्णा :** क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को भिन्न राज्यों से भूमि-सुधार की प्रगति सम्बन्धी प्रतिवेदन समय-समय पर प्राप्त होते हैं ;

(ख) यदि हां, तो प्रत्यक राज्य में भूमि-सुधार किस अवस्था में है; और

(ग) क्या किसी राज्य द्वारा किसी भूमि सुधार नीति के देश के हित के विपरीत पाई जाने की स्थिति में केन्द्र द्वारा किसी प्रकार के निदेश दिये जाते हैं ?

†**योजना उपमंत्री (श्री एस० एन० मिश्र) :** (क) जी, हां ।

(ख) विभिन्न राज्यों में भूमि-सुधार की प्रगति की समीक्षा योजना आयोग द्वारा समय-समय पर प्रकाशित प्रगति-प्रतिवेदनों में की गई है । उपलब्ध जानकारी के आधार पर, इस सम्बन्ध में प्रत्येक राज्य की स्थिति, सभा पटल पर रखे गये विवरण में संक्षेप में दी गई है । **[देखिये परिशिष्ट १४, अनुबन्ध संख्या ७८]**

(ग) भूमि-सुधार के लिये राज्य सरकारों के वैधिक प्रस्तावों के बारे में केन्द्र सरकार द्वारा कभी-कभी सुझाव दिये जाते हैं ।

भरत उद्योग

†*२५६९. **श्री देवेन्द्र नाथ सर्मा :** क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आसाम में भरत उद्योग के विकास के लिये राज्य सरकार द्वारा कोई योजना प्रस्तुत की गई थी; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या-क्या कार्यवाही की गई थी ?

†**उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो) :** (क) जी हां, १९५३-५४ में ।

(ख) १९५३-५४ में राज्य सरकार को २०,००० रुपये का ऋण और २८,५०० रुपये का अनुदान मंजूर किया गया था ।

निवेली अग्रिम परियोजना

†*२५७०. **श्री एस० वी० रामस्वामी :** क्या **उत्पादन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि निवेली अग्रिम परियोजना की मौजूदा स्थिति क्या है ?

†**उत्पादन उपमंत्री (श्री सतीशचन्द्र) :** निवेली में की जा रही जांच अब काफी आगे पहुंच गई है । प्रति मिनट कुल मिलाकर १९,००० गैलन पानी का निकास करने वाले पम्पों के कार्य के फल-स्वरूप पानी की सतह भूमि की सतह से २१८ फीट नीचे हो गई है । ऐसी आशा की जाती है कि प्रति मिनट २७,००० से २८,००० गैलन पानी के निकास से पानी की सतह भूमि की सतह से २६० फीट नीचे हो जायेगी जो कि हमारा लक्ष्य है । ९ और पम्प लगाने के लिये कार्यवाही की जा रही है ।

लिगनाइट के काफी नमूने जर्मनी को और ईंधन गवेषणा संस्था को रासायनिक परीक्षण और नमूनों की कार्बनीकरण और ब्रिकेट की क्षमता की परीक्षा करने के लिये भेजे गये हैं । इसी बीच लिग-नाइट की खुदाई, विद्युत् शक्ति बनाने और खाद का उत्पादन-इन बातों के लिये प्रारम्भिक योजना बनाने का कार्य आरम्भ कर दिया गया है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति को निमंत्रण

*२५७१. **श्री भक्त दर्शन :** क्या **प्रधान मंत्री** ४ मई, १९५६ के तारांकित प्रश्न संख्या १९५१ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति को भारत आने का जो निमन्त्रण दिया गया था, क्या वह स्वीकार कर लिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो वह भारत कब आयेंगे ?

वैदेशिक-कार्य उपमंत्री (श्री अनिल के० चन्दा) : (क) और (ख). जुलाई, १९५५ में प्रधान मंत्री ने संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति को भारत आने का निमंत्रण भेजा था। अपने उत्तर में राष्ट्रपति ने लिखा था कि जिम्मेवारियां अधिक होने की वजह से उनके लिये अमरीका छोड़ कर आना बहुत मुश्किल होगा। उस पर प्रधान मंत्री ने यह आशा जाहिर की कि राष्ट्रपति पर काम का भारी बोझ होने के बावजूद, उनके लिये भविष्य में भारत आना मुमकिन हो सकेगा। बदकिस्मती से, इसके फौरन बाद ही राष्ट्रपति बीमार पड़ गये। आशा है कि वह किसी समय बाद में भारत आ सकेंगे।

वियतनाम में चुनाव

†*२५७२. **श्री कामत :**
डा० जे० एन० पारिख :
डा० रामा राव :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को वियतनाम में अन्तर्राष्ट्रीय आयोग को जारी रखने के सम्बन्ध में १९५४ के (हिन्द-चीन विषयक) जनेवा सम्मेलन के दो सह-सभापतियों अथवा ब्रिटिश अथवा सोवियत राष्ट्र संघ सरकार से कोई पत्र प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो उस में कौन-कौन सी मुख्य बातें हैं; और

(ग) वियतनाम में चुनाव सम्बन्धी नवीनतम स्थिति और अन्तर्राष्ट्रीय आयोग का भविष्य क्या है ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) :** (क) जी, हां।

(ख) सह-सभापतियों के संदेशों की प्रतियां सभा पटल पर रखी जाती हैं। **[देखिये परिशिष्ट १४, अनुबन्ध संख्या ७९]**

(ग) सह-सभापतियों ने उत्तर और दक्षिण वियतनाम के अधिकारियों से कहा है कि वे इस बात की सूचना दें कि वियतनाम में राष्ट्रव्यापी चुनाव आयोजन के बारे में वार्ता करने और वियतनाम के एकीकरण के लक्ष्य को पूरा करने के एक उपाय के रूप में राष्ट्रव्यापी चुनाव आयोजित करने के लिये कितना समय आवश्यक होगा। सह-सभापतियों के उक्त संदेश के फलस्वरूप जो घटनायें घटी हैं उन पर आयोग विचार कर रहा है और उसका काम जारी है।

दिल्ली राज्य पुनर्वास विभाग

†२३९२. **श्री शिवमूर्ति स्वामी :** क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली राज्य सरकार अपने पुनर्वास विभाग के ग्रामीण विभाग को केन्द्रीय सरकार को दे देने का इरादा रखती है;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है; और

(ग) इस परिवर्तन के लिये क्या कारण हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

पुनर्वास मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना) : (क) से (ग). जनवरी, १९५५ में विस्थापित व्यक्ति (क्षतिपूर्ति और पुनर्वास) अधिनियम की धारा १२ के अन्तर्गत सभी अविवादग्रस्त ग्रामीण निष्क्राम्य सम्पत्तियों के सामूहिक अर्जन के फलस्वरूप दिल्ली राज्य के अतिरिक्त अभिरक्षक के अन्तर्गत कुछ ही निष्क्राम्य सम्पत्तियां रह गईं और न्यायिक कार्यवाही की समाप्ति के बाद इनका भी अर्जन किया जाना है। विष्क्राम्य सम्पत्ति के प्रबन्ध और प्रशासन के बारे में, चाहे वह अर्जित हो या न हो, एक सी नीति रहे, इसके लिये दिल्ली के प्रादेशिक बन्दोबस्त अधिकारी के अन्तर्गत अनर्जित सम्पत्ति को भी रखना वांछनीय समझा गया। उक्त अधिकारी केन्द्रीय सरकार का एक अफसर है। दिल्ली राज्य से मंत्रणा के दौरान इस परिवर्तन के सम्बन्ध में निर्णय किया गया और वह १ फरवरी, १९५६ से लागू हो गया है।

पेप्सू को अनुदान

†२३९३. **श्री राम कृष्ण** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रथम पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत पेप्सू राज्य को कुल कितनी राशि दी गई थी;

(ख) प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधि में पेप्सू राज्य ने वास्तव में कुल कितनी राशि व्यय की;

(ग) पेप्सू के द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अनुमानित व्यय की कुल राशि कितनी है जिसे उसने योजना आयोग को प्रस्तुत किया है; और

(घ) द्वितीय पंचवर्षीय योजना के लिये राज्य को कुल कितनी अनुमानित राशि दिये जाने की प्रस्थापना है ?

†**योजना उपमंत्री (श्री एस० एन० मिश्र)** : (क) १,१३०·५ लाख रुपये

राज्य योजना	...	९४८·४८ लाख रुपये
अभाव वाले क्षेत्र सम्बन्धी कार्यक्रम		३८·७ ,,
ग्रामीण विद्युतीकरण	...	१०९·० ,,
नगरीय और ग्रामीण जल संभरण		३४·० ,,

(ख) व्यय की प्रगति इस प्रकार है :

१९५१-५२ (वास्तविक)	६२·६ लाख रुपये
१९५२-५३ (वास्तविक)	९३·० ,,
१९५३-५४ (वास्तविक)	१५१·३ ,,
१९५३-५४ (वास्तविक)	२४१·८ ,,
१९५५-५६ (पुनरीक्षित)	२७८·६ ,,

(ग) ४१·८ करोड़ रुपये; और

(घ) ३६·३३ करोड़ रुपये।

प्रथम पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत न्यूनतायें

†२३९४. { **श्री कामत** :
श्री एन० राचय्या :

क्या **योजना** मंत्री ४ मई, १९५६ के तारांकित प्रश्न संख्या १९४० पर पूछे गये पूरक प्रश्नों के उत्तर क सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि जिन राज्यों में न्यूनतायें हुई हैं उन सभी के सम्बन्ध में वह विवरण, जिसके बारे में आश्वासन दिया गया था, कब सभा पटल पर रखा जायेगा ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**योजना उपमंत्री (श्री एस० एन० मिश्र)** : जिस विवरण के बारे में आश्वासन दिया गया था वह १९५४-५५ के प्रगति प्रतिवेदन में निहित है जिसे २८ मई, १९५६ तक सभा पटल पर रख दिया जायेगा ।

आसाम राज्य में नाइट्रो-चाक खाद के कारखाने

†२३९५. **श्री देवेन्द्र नाथ सर्मा** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत आसाम राज्य में नाइट्रो-चाक खाद बनाने के कारखाने स्थापित करने के लिये आसाम सरकार ने एक योजना प्रस्तुत की है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की क्या कार्यवाही करने की प्रस्थापना है ?

†**योजना उपमंत्री (श्री एस० एन० मिश्र)** : (क) कोई निश्चित योजना प्राप्त नहीं हुई है; हां, आसाम राज्य की द्वितीय पंचवर्षीय योजना के प्रारूप में ऐसी किसी संभावना का उल्लेख किया गया था ।

(ख) ऐसे कारखानों के लिये अधिक उपयुक्त अन्य स्थान चुने गये हैं, इसलिये अब कोई कार्यवाही करने का विचार नहीं है ।

अभावग्रस्त क्षेत्र

†२३९६. **श्री कृष्णाचार्य जोशी**: क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि अभावग्रस्त क्षत्रों में स्थायी सुधार करने सम्बन्धी कार्यक्रम पर अब तक कुल कितनी राशि व्यय की गई है ?

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी)** : अभावग्रस्त क्षेत्रों में स्थायी सुधार के कार्यक्रम के लिये १९५५-५६ तक मंजूर किये गये केन्द्रीय ऋण की कुल राशि २७,६४,२४,८०० रुपये है। १९५६-५७ के लिये अब तक कोई ऋण मंजूर नहीं किया गया है।

केन्द्रीय जल तथा विद्युत् आयोग

†२३९७. **श्री एल० एन० मिश्र** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्यों द्वारा प्रारम्भ की गई परियोजनाओं का कार्य करने के लिये केन्द्रीय जल तथा विद्युत् आयोग उसके प्रशिक्षित कर्मचारियों की सेवायें उपलब्ध करता है ; और

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीय जल तथा विद्युत् आयोग के कर्मचारी किन परियोजनाओं में कार्य कर रहे हैं ?

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी)** : (क) इस मामले में राज्यों की आवश्यकताओं की पूर्ति करने का यथाशक्य प्रयास केन्द्रीय जल तथा विद्युत् आयोग द्वारा किया जाता है ।

(ख) (१) हीराकुड बांध परियोजना ।
(२) भाखड़ा-नंगल परियोजना, पंजाब ।
(३) काकरापार परियोजना, बम्बई ।
(४) सिंचाई विभाग, हिमाचल प्रदेश ।
(५) लोक निर्माण काम विभाग, मनीपुर ।
(६) सिंचाई विभाग, विन्ध्य प्रदेश ।
(७) बाढ़ नियंत्रण विभाग, आसाम ।
(८) हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड, विशाखापत्तनम् ।
(९) हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड, रूरकेला (उड़ीसा) ।
(१०) सौराष्ट्र विद्युत बोर्ड ।

---

†मूल अंग्रेजी में

बेरोजगारी

†२३९८. **मुल्ला अब्दुल्ला भाई** : क्या **योजना** मंत्री यह बतानें की कृपा करेंगे कि बेरोज़गारी के निवारण के लिये मध्य प्रदेश सरकार द्वारा केन्द्र को जिन योजनाओं का सुझाव दिया गया था उन सबके अन्तर्गत क्या प्रगति की गई है ?

†**योजना उपमंत्री (श्री एस० एन० मिश्र)** : बेरोज़गारी को कम करने के लिये मध्य प्रदेश सरकार द्वारा २२–१२–५३ को योजना आयोग को प्रस्तुत की गयी योजना में, सड़क निर्माण, सिंचाई की छोटी योजनायें, चिकित्सा और जन स्वास्थ्य, उद्योग और विद्युत् आदि के लिये ९·३ करोड़ रुपये की अनुमानित व्यय का कार्यक्रम था । आयोग ने विद्युत् और प्राथमिक शिक्षा के लिये कम किये गये एक उपबन्ध को स्वीकार किया । ३१–३–५५ तक, जिस तिथि तक जानकारी उपलब्ध है, मैट्रिक से कम शिक्षा प्राप्त १,२४१ शिक्षकों और ४२६ मैट्रिक शिक्षकों को नियुक्त किया गया था जबकि इन शिक्षकों की नियुक्ति के लक्ष्य क्रमश: १,५०० और ५०० थे । ३७ नगरों को विद्युत् का सम्भरण करने वाली योजना लागू की जा रही है और इस योजना के अन्तर्गत प्रत्यक्ष रीति से नियुक्त किये प्रशिक्षित और दक्ष कर्मचारियों की संख्या, उक्त तिथि को, ३०,००० थी ।

गोआ सत्याग्रह

†२३९९. **श्री एन० एल० जोशी** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि गोआ के सत्याग्रह आन्दोलन के सिलसिले में आजकल कितने भारतीय, पुर्तगालियों की हिरासत में हैं ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : जहां तक सरकार की जानकारी है, पुर्तगाली बस्तियों में आज कल ४२ भारतीय सत्याग्रही जेल में हैं, या नज़रबन्द हैं ।

सामुदायिक परियोजना क्षेत्रों में सामाजिक शिक्षा

†२४००. **श्री मादिया गौडा** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विकास-आयुक्तों के चौथे सम्मेलन में सामुदायिक परियोजना क्षेत्रों में से प्रत्येक में तीन वर्ष के लिये सामाजिक शिक्षा का क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है; और

(ख) इस प्रकार निर्धारित किये गये लक्ष्य की किस हद तक पूर्ति की गयी है ?

†**योजना उपमंत्री (श्री एस० एन० मिश्र)** : (क) और (ख). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । [**देखिये परिशिष्ट १४, अनुबन्ध संख्या ८०**]

अभ्यस्त अपराधी

†२४०१. **श्री मादिया गौडा** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में "अभ्यस्त अपराधियों" के पुनर्वास के लिये कितनी राशि आवंटित की गई है ?

†**योजना उपमंत्री (श्री एस० एन० मिश्र)** : द्वितीय पंचवर्षीय योजना में भूतपूर्व-अपराधजीवी आदिम जातियों के पुंनर्वास के लिये ४·०५ करोड़ रुपयों की व्यवस्था की गई है। परन्तु "अभ्यस्त अपराधियों" के पुनर्वास के लिये अलग से कोई भी राशि नहीं रखी गई है ।

स्टोरेज बैटरियां

†२४०२. **श्री एच० जी० वैष्णव** : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में १९५३ वर्ष में कितने कारखाने "स्टोरेज बैटरियों" के उत्पादन में लगे हुए थे ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) उनकी कुल संस्थापित क्षमता कितनी थी;

(ग) क्या १९५४ वर्ष में कोई कारखाना बन्द हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो इसे बन्द करने के फलस्वरूप कुल संस्थापित क्षमता में कितनी कमी आ गई थी ?

†**वाणिज्य और उद्योग तथा लोहा और इस्पात मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी)** : (क) पुर्ज़ों को जोड़ कर बैटरियां तैयार करने, या पुरानी बैटरियों को ठीक करके चलाने योग्य बनाने वाली, छोटे पैमाने की गैर-पंजीयत इकाइयों को छोड़ कर, भारत में १९५३ में उन्नीस इकाइयां स्टोरेज बैटरियों के निर्माण में लगी हुई थीं ।

(ख) इन उन्नीस इकाइयों की कुल संस्थापित क्षमता लगभग ३·८२ लाख बैटरियां प्रति वर्ष की थी ।

(ग) जी, हां; एक इकाई बन्द कर दी गई थी ।

(घ) लगभग ६०,००० बैटरियां प्रति वर्ष की ।

मैसूर राज्य की सिंचाई और विद्युत् परियोजनायें

†२४०३. **श्री मादिया गौडा** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रथम पंचवर्षीय योजना काल में मैसूर राज्य में कौन-कौन सी सिंचाई और विद्युत् परियोजनायें आरम्भ की गईं;

(ख) क्या उन्हें पूरा करने के लिये कोई लक्ष्य निर्धारित किया गया है; और

(ग) द्वितीय पंचवर्षीय योजना में उन्हें पूरा करने के लिये, उनमें से प्रत्येक के लिये कितनी राशि मंजूर की गई है ?

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी)** : (क). (१) प्रथम पंचवर्षीय योजना काल में निम्नलिखित विद्युत्-परियोजनायें आरम्भ की गई थीं :

१. सामान्य पूंजी-निर्माण-कार्य ।
२. महात्मा गांधी जल-विद्युतीय निर्माण-कार्य ।
३. बारम्बारता परिवर्तन (फ्रीक्वेंसी कन्वर्शन) ।
४. विद्युत्-वाहक तारों का विस्तार ।
५. विद्युत् शक्ति कम करने वाले केन्द्रों का संस्थापन ।
६. वितरण—नगरों और गांवों को सम्भरण ।
७. सिंचाई नलों को विद्युत् सम्भरण ।
८. विद्युत् परियोजनाओं का सर्वेक्षण ।
९. तुंगभद्र परियोजना ।
१०. रोजगार के अवसरों की वृद्धि के लिये विद्युत्-सम्बन्धी सुविधाओं के विस्तार के लिये योजनायें ।

(२) प्रथम पंचवर्षीय योजना में निम्नांकित सिंचाई परियोजनायें आरम्भ की गई थीं :

मुख्य सिंचाई परियोजनायें

१. भद्रा जलाशय परियोजना ।
२. तुंग बांध ।
३. नुगा जलाशय परियोजना ।
४. जुनीघेल्ला तालाब ।

---

†मूल अंग्रेजी में

५. कृष्ण राज्य सागर और सहायक निर्माण-कार्यों का सामान्य व्यय ।
६. अम्लिगोला जलाशय ।
७. करियाला तालाब ।
८. नारायणपुर बांध (वेदवती) ।
९. अन्य योजनायें ।
१०. तुंगभद्रा परियोजना ।
११. तुंगभद्र ऊंची सतह वाली नहर ।

(ख) जी, हां ।

(ग) **विद्युत् परियोजनायें**

प्रश्न के भाग (क) (१) के उत्तर के विषय ४, ९ और १० में उल्लिखित योजनाओं को छोड़ कर, सभी विद्युत् योजनायें अब पूरी हो चुकी हैं ।

द्वितीय पंचवर्षीय योजना में इन तीनों योजनाओं के लिये निम्नांकित व्यवस्था की गई है :

परियोजना का नाम	**द्वितीय योजना में व्यवस्था**
१. विद्युत्-वाहक तारों का विस्तार	५० लाख रुपये ।
२. तुंगभद्र परियोजना	१२४ लाख रुपये ।
३. रोजगार के अवसरों में वृद्धि करने के लिये विद्युत् सम्बन्धी सुविधाओं के विस्तार की योजनायें	१२५ लाख रुपये ।

सिंचाई परियोजनायें

परियोजना का नाम	**द्वितीय पंचवर्षीय योजना में (राज्य सरकार वार) व्यवस्था लाख रुपयों में**
(१) भद्रा जलाशय परियोजना	१,१०२
(२) तुंग बांध	१७
(३) नुगा जलाशय परियोजना	१२
(४) अम्लिगोला जलाशय	४२·६४
(५) करियाला तालाब	१·५०
(६) नारायणपुर बांध (वेदवती)	१·६५
(७) अन्य योजनायें	सूचना प्राप्य नहीं ।
(८) तुंगभद्र परियोजना	,,
(९) तुंगभद्र ऊंची सतह वाली नहर	१००

सरकार द्वारा क्रय

†२४०४. **श्री मादिया गौडा** : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री २६ अप्रैल, १९५६ के अतारांकित प्रश्न संख्या १५१९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अगस्त, १९५३ से फरवरी, १९५६ तक के काल के लिये कुल कितने आर्डर दिये गये हैं और ऊनी मोजे व बनियानों आदि खरीदी गई वस्तुओं का कुल मूल्य कितना है;

(ख) कुटीर और छोटे पैमाने के उद्योगों की किन व्यापारिक संस्थाओं ने इन वस्तुओं का सम्भरण किया; और

(ग) बड़े पैमाने के उद्योगों के उत्पादों के मुकाबले इन खरीदों के लिये कीमतों में क्या वरीयता दी गई है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**निर्माण, आवास और संभरण मंत्री के सभासचिव (श्री पी० एस० नास्कर)** : (क)

आर्डरों की संख्या	६२९
मूल्य	१६८·२ लाख रुपये ।

(ख) ऐसी कुटीर और छोटे पैमाने की औद्योगिक इकाइयों की एक सूची सभा पटल पर रखी गई है । **[देखिये परिशिष्ट १४, अनुबन्ध संख्या ८१]**

(ग) इन खरीदों के मामले में कीमतों की वरीयता आवश्यक नहीं है । कुटीर उद्योग इकाइयां और छोटे पैमाने के उद्योग की ऊनी मोजे व बनियान तैयार करने वाली इकाइयां खुद ही प्रतियोगीदरों पर देने और अपनी वस्तुओं के गुणों के बल पर आर्डर हासिल करने में समर्थ हैं ।

प्रमुख उद्योग

†२४०६. **श्री देवेन्द्रनाथ सर्मा** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सही है कि आसाम सरकार ने द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान में अपने सरकारी क्षेत्र में कुछ प्रमुख उद्योगों के विकास के लिये कुछ प्रस्ताव भेजे हैं; और

(ख) यदि हां, तो उन प्रस्तावों के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

†**योजना उपमंत्री (श्री एस० एन० मिश्र)** : (क) और (ख). आसाम सरकार ने द्वितीय पंच-वर्षीय योजना काल के लिये कई औद्योगिक योजनायें सुझाई थीं, जिनमें से कुछ सरकारी क्षेत्र की हैं और कुछ अन्य में राज्य द्वारा हाथ बंटाने या सहायता देने की बात है । योजना आयोग ने इन योजनाओं पर विचार किया था; और निम्नलिखित को योजना में सम्मिलित करने के लिये अनुमोदित किया गया है :

(१) **कताई मिल** : यह मिल मुख्यतः आसाम के हाथ-करघा बुनाई उद्योग को सूत जुटाने के लिये होगी । यह मिल पूर्णतया सार्वजनिक क्षेत्र में स्थापित की जायेगी या इसे निजी व्यवसायियों के सहयोग से स्थापित किया जायेगा—इसका निर्णय अभी नहीं किया गया ।

(२) **चीनी मिल** : प्रस्ताव यह है कि एक चीनी मिल स्थापित की जाये, जो यदि सम्भव हो तो एक सहकारी उपक्रम रहे और यदि आवश्यक हो तो उसे पूर्ण रूप से सरकारी क्षेत्र में रखा जाये । इसे सरकारी क्षेत्र में रखने पर, मंशा यह है कि उसे बाद में अन्तिम रूप से किसी सहकारी समिति को सौंप दिया जायेगा ।

(३) **जूट मिल** : आसाम में एक जूट मिल स्थापित करने के लिये लाइसेंस प्राप्त समवाय की अंश पूंजी में राज्य सरकार भी भाग लेगी ।

(४) **कते रेशम की मिल** : इस योजना का मंशा आसाम में उपलब्ध रेशम की कतरन के भारी परिमाण का उपयोग करना है ।

द्वितीय योजना में इन योजनाओं के लिये १३३ लाख रुपयों की कुल व्यवस्था की गई है ।

मैसूर को केन्द्रीय सहायता

†२४०७. **श्री एन० राचय्या** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रथम पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत मैसूर सरकार को शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन, ग्रामोद्धार और उद्योगों के लिये कुल कितनी राशि दी गई है;

(ख) क्या प्रत्येक मद के अन्तर्गत आवंटित समूची राशि अब तक खर्च की जा चुकी है;

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं; और

(घ) प्रत्येक शीर्ष के अन्तर्गत क्या प्रगति की गई है !

---

†मूल अंग्रेजी में

†**योजना उपमंत्री (श्री एस० एन० मिश्र)** : (क) से (घ). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । [**देखिये परिशिष्ट १४, अनुबन्ध संख्या ८२**]

अखबारी कागज

†२४०८. **श्री आर० पी० गर्ग** : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आजकल देश में कितना अखबारी कागज तैयार किया जाता है;

(ख) देश के समाचारपत्रों में ऐसे कितने कागज की खपत होती है; और

(ग) पिछले दो वर्षों में कितना अखबारी कागज बाहर से मंगाया गया ?

†**वाणिज्य और उद्योग तथा लोहा और इस्पात मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी)** :

(क) लगभग ५०० टन प्रति मास ।

(ख) ठीक-ठीक जानकारी तो नहीं मिलती परन्तु अनुमान है कि देश के अखबारों में प्रति वर्ष साठ हजार टन अखबारी कागज लग जाता है ।

(ग)	१९५४-५५	७८,७९१ टन
	१९५५-५६	७८,८५३ टन

हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड

२४०९. **श्री के० सी० सोधिया** : क्या **उत्पादन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड ने १९५५ में जिन व्यक्तियों को दो खरादें बेची थीं, नाम क्या हैं;

(ख) यह खरादें किन दरों पर बेची गई हैं;

(ग) इन खरादों की अनुमानित वार्षिक बिक्री कितनी है;

(घ) इस कारखाने में कितने खरादें तैयार करने की व्यवस्था है,

(ङ) इस बात का प्रबन्ध किस प्रकार किया गया था; और

(च) क्या इन खरादों में कोई विदेशी पुर्जे भी प्रयुक्त किये गये थे ?

उत्पादन उपमंत्री (श्री सतीशचन्द्र) : (क) (१) भारत इलेक्ट्रोनिक (प्राइवेट) लिमिटेड, बंगलौर ।

(२) हिन्दुस्तान इन्सेक्टीसाइड्स (प्राइवेट) लिमिटेड, नई देहली ।

(ख) प्रत्येक ३२ हजार रुपये में ।

(ग) १९५६-५७ में १३५ ।

(घ) ३ पारियों (शिफ्ट) के आधार पर ९५० ।

(ङ) (१) सर्वश्री ओर्लिकान मशीन टूल वर्क्स, व्यूहर्ल एण्ड कम्पनी, (स्विट्जरलैंड) की मार्फत ।

(२) आई० एस० डी० लन्दन द्वारा ।

(३) भारत में आयात करने वाले व्यापारियों द्वारा ।

(च) जी हां ।

जर्मनी से युद्ध क्षतिपूर्ति

†२४११. **श्री कामत** : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री २३ अप्रैल, १९५५ के तारांकित प्रश्न संख्या १६७० पर पूछे गये अनुपूरक प्रश्न के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १५ अगस्त १९४७ के बाद से जर्मनी से कोई युद्ध क्षतिपूर्ति मांगी गयी है; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**वाणिज्य और उद्योग तथा लोहा और इस्पात मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी)** : (क) और (ख). जी, नहीं। भारत सरकार ने २४ जनवरी, १९४६ को जर्मनी से युद्ध क्षतिपूर्ति के सम्बन्ध में पेरिस करार पर हस्ताक्षर किये थे। उस के अनुसार साथी देशों के युद्धक्षति अभिकरण, ब्रसल्स की मार्फत जर्मनी से भारत को क्षतिपूर्ति मिल रही है।

तावा बहुमुखी परियोजना

†२४१२. **श्री कामत** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तावा बहुमुखी परियोजना (मध्य प्रदेश) की कार्यान्विति के अवस्थानबद्ध कार्यक्रम पर विचार किया गया है और उसे अन्तिम रूप दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में १९५६-५७ में किये जाने वाले काम की मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) इस वर्ष में इस पर कितना खर्च होने की सम्भावना है ?

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी)** : (क) जी, नहीं। परियोजना के अन्तिम प्रतिवेदन और अनुमान अभी नहीं मिले।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(ग) कुछ नहीं।

त्रावनकोर-कोचीन राज्य की पहली पंचवर्षीय योजना

†२४१३. **श्री पुन्नूस** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) त्रावनकोर-कोचीन राज्य की पहली पंचवर्षीय योजना के लिये कितनी राशि दी गयी थी;

(ख) १ अप्रैल, १९५६ से पहले इस योजना पर कितनी राशि खर्च हुई;

(ग) प्रत्येक परियोजना और योजना पर कितना खर्च हुआ; और

(घ) कितनी राशि खर्च नहीं हुई और उसके खर्च न किये जाने के क्या कारण हैं ?

†**योजना उपमंत्री (श्री एस० एन० मिश्र)** : (क) ३०·०३ करोड़ रुपये।

(ख) २४·९४ करोड़ रुपये; और

(ग) और (घ). यह जानकारी उस विवरण में है जो सभा पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट १४, अनुबन्ध संख्या ८३]**

नेताजी सुभाष चन्द्र बोस

†२४१४. **श्री कामत** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री १६ फरवरी, १९५६ को पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या ८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेता जी के भाषणों के ग्रामोफोन रिकार्ड और उनकी आवाज की फिल्में, जिनका उल्लेख उत्तर के भाग (ख) में किया गया था, डबिंग और रिकार्ड भरने के लिए उधार मांगी गयी हैं; और

(ख) यदि नहीं, तो इस सम्बन्ध में क्या स्थिति है ?

†**सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर)** : (क) जी, नहीं।

(ख) आशा है कि फिल्म जून, १९५६ के अन्त तक मिल जायेगी और रिकार्ड प्राप्त किये जा रहे हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

दैनिक संक्षेपिका

[शनिवार २६ मई, १९५६]

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर		२७६७–८७
तारांकित प्रश्न संख्या		
२५२९	प्लास्टिक उद्योग	२७६७–६८
२५३२	बाढ़ से संरक्षण की योजनायें	२७६८–६९
२५३५	बटनों का आयात	२७६९–७०
२५३६	नेताजी सुभाष चन्द्र बोस	२७७०–७२
२५३८	त्रिपुरा में खादी और ग्रामोद्योग	२७७२–७३
२५४२	पाकिस्तान में शरण लेने वाले डाकू	२७७३–७४
२५४३	उड़ीसा में काफी के बागान	२७७४–७५
२५४५	आसाम राज्य की द्वितीय योजना का प्रारूप	२७७५
२५४६	आल इंडिया रेडियो में भूतपूर्व महानिदेशक	२७७५–७७
२५४७	दिल्ली में निष्क्रांत सम्पत्ति के कटरे	२७७७–७८
२५४८	चाय के दाम	२७७८
२५४९	व्यापार विवादों का निबटारा	२७७८–७९
२५५०	लोहा और इस्पात का आयात	२७७९–८०
२५५३	दामोदर घाटी निगम प्राक्कलन ...	२७८०–८१
२५५६	लोहा और इस्पात का कोटा	२७८१–८२
२५५७	बिजली के भारी सामान का कारखाना, भोपाल ...	२७८२–८३
२५५८	उड़ीसा राज्य के सूखा से प्रभावित क्षेत्र	२७८३–८४
२५६०	समाज कल्याण समस्याओं सम्बन्धी उपसमिति...	२७८४–८५
२५६१	ब्राड बेट	२७८५–८६
२५६२	दामोदर घाटी निगम	२७८६–८७
२५३७	चित्राल का पाकिस्तान में प्रवेश	२७८७
प्रश्नों के लिखित उत्तर		२७८८--२८०२
तारांकित प्रश्न संख्या		
२५२८	बाढ़ नियंत्रण कार्य	२७८८
२५३०	त्रावणकोर-कोचीन की द्वितीय पंचवर्षीय योजना ...	२७८८
२५३१	नई दिल्ली में होटल की स्थापना...	२७८८–८९
२५३३	परियोजनाओं के कर्मचारी तथा केन्द्रीय जल और विद्युत् आयोग ...	२७८९
२५३४	गुड़	२७८९
२५३९	हरित मणि	२७८९
२५४०	मुद्रण यंत्र ...	२७८९–९०
२५४१	निष्क्रांत सम्पत्ति के मकान	२७९०

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर—(क्रमशः)		
तारांकित प्रश्न संख्या		
२५४४	संसद्-सदस्यों के लिये क्वार्टर	२७९०
२५५१	मोटर उद्योग	२७९०
२५५२	त्रावणकोर-कोचीन की द्वितीय पंचवर्षीय योजना	२७९१
२५५५	रूरकेला इस्पात संयंत्र	२७९१
२५६३	चमड़ा रंगने अथवा कमाने की सामग्री ...	२७९१
२५६४	टेलीविजन ...	२७९१–९२
२५६५	केन्या में आप्रवास	२७९२
२५६६	स्वास्थ्य मंत्री का विदेशों को जाना	२७९२
२५६७	तेलगु भाषा में प्रसारण	२७९२
२५६८	भूमि सुधार	२७९३
२५६९	भरत उद्योग ...	२७९३
२५७०	नेवेली अग्रिम परियोजना	२७९३
२५७१	संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति को निमंत्रण	२७९४
२५७२	वियतनाम में चुनाव ...	२७९४
अतारांकित प्रश्न संख्या		
२३९२	दिल्ली राज्य पुनर्वास विभाग	२७९४–९५
२३९३	पेप्सू को अनुदान	२७९५
२३९४	प्रथम पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत न्यूनतायें ...	२७९५–९६
२३९५	आसाम राज्य में नाइट्रोचाक खाद के कारखाने	२७९६
२३९६	अभावग्रस्त क्षेत्र ...	२७९६
२३९७	केन्द्रीय जल तथा विद्युत् आयोग ...	२७९६
२३९८	बेरोजगारी ...	२७९७
२३९९	गोआ सत्याग्रह	२७९७
२४००	सामुदायिक परियोजना क्षेत्रों में सामाजिक शिक्षा ...	२७९७
२४०१	अभ्यस्त अपराधी ...	२७९७
२४०२	स्टोरेज बैटरियां	२७९७–९८
२४०३	मैसूर राज्य की सिंचाई और विद्युत् परियोजनायें	२७९८–९९
२४०४	सरकार द्वारा क्रय	२७९९–२८००
२४०६	प्रमुख उद्योग	२८००
२४०७	मैसूर को केन्द्रीय सहायता ...	२८००–०१
२४०८	अखबारी कागज ...	२८०१
२४०९	हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड ...	२८०१
२४११	जर्मनी से युद्ध क्षतिपूर्ति	२८०१–०२
२४१२	तावा बहुमुखी परियोजना	२८०२
२४१३	त्रावनकोर-कोचीन राज्य की पहली पंचवर्षीय योजना	२८०२
२४१४	नेताजी सुभाष चन्द्र बोस	२८०२

M69LSD—4-9-57—190—GIPF.

शनिवार
26 मई 1956

लोक-सभा

वाद-विवाद

Preservation Unit
Digitized
Parliament Library

(भाग--२ प्रश्नोत्तर के अतिरिक्त कार्यवाही)

खण्ड ५, १९५६

(९ मई से ३० मई, १९५६)

1st Lok Sabha

सत्यमेव जयते

बारहवां सत्र, १९५६

(खण्ड ५ में अंक ६१ से ६७ तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय

नई दिल्ली

विषय-सूची

[वाद-विवाद; भाग २—खण्ड ५; ९ मई से ३० मई, १९५६]

	पृष्ठ
अंक ६१—बुधवार, ९ मई, १९५६	
सभा-पटल पर रखे गये पत्र	३२७९
कार्य मंत्रणा समिति—	
पैंतीसवां तथा छत्तीसवां प्रतिवेदन	३२८०
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति	
बावनवां प्रतिवेदन	३२८०
अनुपस्थिति की अनुमति ...	३२८०–८१
तारांकित प्रश्न के उत्तर की शुद्धि	३२८१
कार्य मंत्रणा समिति—	
चौतीसवां प्रतिवेदन	३२८१–८२
सभा का कार्य	३२८२–८४
भारतीय टंक अधिनियम के अन्तर्गत जारी की गई	
प्रारूप अधिसूचनाओं के बारे में प्रस्ताव	३२८४–९०
संविधान (दसवां संशोधन)—	
संयुक्त समिति को सौंपने का प्रस्ताव	३२८४–९०
कृषि उत्पाद (विकास तथा भाण्डागार-व्यवस्था) निगम विधेयक—	
विचार करने का प्रस्ताव	३३१७–२५
दैनिक संक्षेपिका ...	३३२६
अंक ६२—गुरुवार, १० मई, १९५६	
सभा-पटल पर रखा गया पत्र	३३२७
सदस्यों का बन्दीकरण तथा निरोध ...	३३२७–२८
भारतीय रड क्रास सोसाइटी (संशोधन) विधेयक ...	३३२८–२९
कृषि उत्पाद (विकास तथा भाण्डागार-व्यवस्था) निगम विधेयक—	
विचार करने का प्रस्ताव	३३२९–८५
दैनिक संक्षेपिका ...	३३८६
अंक ६३—शुक्रवार, ११ मई, १९५६	
राज्य-सभा से सन्देश	३३८७
मनीपुर राज्य पहाड़ी लोग (प्रशासन) विनियमन (संशोधन) विधेयक	३३८७
समितियों के लिये निर्वाचन—	
प्राक्कलन समिति	३३८८
लोक लेखा समिति	३३८८
राज्य-सभा के सदस्यों का लोक लेखा समिति में सम्मिलित किये जाने के	
बारे में प्रस्ताव	३३८८
कार्य मंत्रणा समिति—	
पैंतीसवां और छत्तीसवां प्रतिवेदन ...	३३८९–९१

पृष्ठ

सभा का कार्य ३३९१–९२

कृषि उत्पाद (विकास तथा भाण्डागार-व्यवस्था) निगम विधेयक––

विचार करने का प्रस्ताव ... ३३९२–३४२७

खण्ड २ से ५५ और १ तथा अनुसूची ३३९९–३४२५

संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव ... ३४२५

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति––

बावनवां प्रतिवेदन ३४२७

व्यक्ति की अधिकतम आय के बारे में संकल्प ३४२७–५०

दैनिक संक्षेपिका ३४५१

अंक ६४––सोमवार १४ मई, १९५६

सभा-पटल पर रखे गये पत्र ३४५३–५४

विधेयक पर राष्ट्रपति की अनुमति ३४५४

अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति––

चौथा प्रतिवेदन ३४५४

राज्य पुनर्गठन विधेयक ... ३४४४–५६

संविधान (नवां संशोधन) विधेयक ३४५६

जीवन बीमा निगम विधेयक ३४५६

त्रावनकोर-कोचीन आय-व्ययक––

सामान्य चर्चा ३४५७–३५००

अनुदानों की मांगें ... ३५००–३२

त्रावनकोर-कोचीन विनियोग विधेयक ३५४७–४८

दैनिक संक्षेपिका ... ३५४९

अंक ६५––मंगलवार, १५ मई, १९५६

द्वितीय पंचवर्षीय योजना के बारे में वक्तव्य ३५५१–५४

सभा-पटल पर रखे गये पत्र ३५५४

राज्य-सभा से सन्देश ३५५४

लोक प्रतिनिधित्व (द्वितीय संशोधन) विधेयक––

विचार करने का प्रस्ताव, प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में ३५५४–३६०२

दैनिक संक्षेपिका ... ३६०३

अंक ६६––बुधवार, १६ मई, १९५६

सभा-पटल पर रखे गये पत्र ३६०५

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति––

त्रेपनवां प्रतिवेदन ३६०५

सभा का कार्य––

द्वितीय पंचवर्षीय योजना पर चर्चा ३६०६–१०

भारतीय आयकर (संशोधन) विधेयक ... ३६१०–११

लोक प्रतिनिधित्व (द्वितीय संशोधन) विधेयक––

विचार करने का प्रस्ताव, प्रवर समिति द्वारा

प्रतिवेदित रूप में ३६११–६१

पृष्ठ

खण्डों पर विचार--

खण्ड ४, ५ और ७ ... ३६१४–२९

खण्ड २, ३, ६ और ८ से ४० ३६२९–५४

खण्ड ४१, ४२ और ४७ ३६५४–६१

राज्य-सभा से सन्देश ३६६२

दैनिक संक्षेपिका ३६६३

अंक ६७--गुरुवार, १७ मई, १९५६

संविधान (दसवां संशोधन) विधेयक ३६६५–६६

लोक प्रतिनिधित्व (द्वितीय संशोधन) विधेयक, प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में ३६६६–३७१६

खण्ड ४१ से ८३ तक ... ३६६६–३७१५

पारित करने का प्रस्ताव, संशोधन रूप में ३७१६

दैनिक संक्षेपिका ... ३७१७

अंक ६८--शुक्रवार, १८ मई, १९५६

सभा-पटल पर रखे गये पत्र ३७१९

राज्य-सभा से संदेश ... ३७१९–२०

औद्योगिक विवाद (संशोधन) विधेयक ... ३७२०

प्राक्कलन समिति--

सत्ताईसवां प्रतिवेदन ३७२०

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्था (खड्गपुर) विधेयक ३७२०

त्रावनकोर-कोचीन राज्य विधान-मण्डल (शक्तियों का प्रत्यायोजन) विधेयक ३७२१–२२

लोक प्रतिनिधित्व (द्वितीय संशोधन) विधेयक, प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में ... ३७२२–३५

पारित करने का प्रस्ताव संशोधित रूप में ३७२२

जीवन बीमा निगम विधेयक--

विचार करने का प्रस्ताव, प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में ३७३५–५३

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति--तिरपनवां प्रतिवेदन ३७५४

भारतीय दण्ड संहिता (संशोधन) विधेयक (धारा ४९४ का संशोधन) ... ३७५४

खान संशोधन, विधेयक (धारा ३३ और ५१ का संशोधन) ३७५४–६२

विचार करने का प्रस्ताव ३७५४

भारतीय बाल दत्तक-ग्रहणन विधेयक ३७६३–६४, ३७६५–७३

विचार करने का प्रस्ताव ३७६३

सभा का कार्य ३७६४–६५

नियम समिति--

चौथा प्रतिवेदन ३७६५

दैनिक संक्षेपिका ३७७४–७५

अंक ६९--सोमवार, २१ मई, १९५६ **पृष्ठ**

स्थगन प्रस्ताव ३७७७–७८
सभा का कार्य ... ३७७८–७९
सभा-पटल पर रखे गये पत्र ३७७९–८०
राज्य-सभा से सन्देश ३७८०–८६
प्राक्कलन समिति--
अट्ठाईसवां प्रतिवेदन ... ३७८६
जीवन बीमा निगम विधेयक--
विचार करने का प्रस्ताव, प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में ३७८६–३८३५
खण्डों पर विचार--
खण्ड २ ३८३१--३५
दैनिक संक्षेपिका ३८३६

अंक ७०--मंगलवार, २२ मई, १९५६

स्थगन-प्रस्ताव--
भुखमरी के कारण कुछ नागाओं की कथित मृत्यु ३८३७–३९
सदस्यों की रिहाई ३८३९
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना--
अल्जीरिया के सम्बन्ध में सरकार की नीति ... ३८३९–४२
जीवन बीमा निगम विधेयक, प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में--
खण्ड ४, १९ और २२ ३८४३–५८
खण्ड ११ और १२ ३८५८–६८
खण्ड १४ ३८६८–७०
खण्ड २५ और २९क ... ३८७०–८५
सभा-पटल पर रखे गये पत्र ३८८५
दैनिक संक्षेपिका ३८८६

अंक ७१--बुधवार, २३ मई, १९५६

स्थगन प्रस्ताव और अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना--
खडगपुर और काजीपेट जंकशनों पर रेलवे श्रमिकों की हड़ताल ... ३८८७–९३
सभा-पटल पर रखे गये पत्र ३८९३–९४
राज्य-सभा से सन्देश ३८९४
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति--
चौवनवां प्रतिवेदन ३८९४
भारतीय डाक और तार अधिनियम के बारे में याचिका ... ३८९४
संविधान (दसवां संशोधन) विधेयक ३८९४
पूर्वी पाकिस्तान से हिन्दुओं के सामूहिक निष्क्रमण के बारे में वक्तव्य ३८९४–९८
जीवन बीमा निगम विधेयक, प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में ३८९८–३९४१
खण्ड ४३ ३८९८–३९०५

पृष्ठ

खण्ड १६, ३५, ३६ और अनुसूचियां ३९०६–३०

खण्ड ५ से १०, १३, १५, १७, १८, २०, २१, २३, २४, २६ से ३४, ३७ से ४२, ४४ से ४९ और १ ... ३९३०–४१

संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव ३९४१

द्वितीय पंचवर्षीय योजना के बारे में संकल्प ३९४१–६०

कार्य मंत्रणा समिति––

सैंतीसवां प्रतिवेदन ३९६०

दैनिक संक्षेपिका ३९६१–६२

अंक ७२––शुक्रवार, २५ मई, १९५६

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना––

काजू के कारखानों में तालाबन्दी ३९६३–६४

द्वितीय पंचवषीय योजना के बारे में संकल्प ३९६४–७०, ३९७१–९४

सभा का कार्य ३९७०–७१

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति––

चौवनवां प्रतिवेदन ... ३९९४

व्यक्ति की आय पर उच्चतम सीमा सम्बन्धी संकल्प ३९९४–४००७

आयकर विभाग के कार्य की जांच के बारे में संकल्प ४००८–१३

गन्ने के बारे में आधे घण्टे की चर्चा ४०१३–२०

दैनिक संक्षेपिका ४०२१

अंक ७३––शनिवार, २६ मई १९५६

सभा-पटल पर रखे गये पत्र ४०२३, ४०२५–२६

प्राक्कलन समिति––

उनतीसवां और तीसवां प्रतिवेदन ... ४०२३

भारतीय डाक और तार अधिनियम के बारे में याचिका ... ४०२४

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषयों की ओर ध्यान दिलाना––

त्रिपुरा में चावल के भाव में वृद्धि ... ४०२४

पाकिस्तानी सेनाओं द्वारा भारतीय राज्य-क्षेत्र में लगातार गोलीबारी ... ४०२४–२५

कार्य मंत्रणा समिति––

सैंतीसवां प्रतिवेदन ४०२६–२७

मालिक-मजदूर झगड़े सभा के सामने लाने के बारे में विनिर्णय ४०२७–२८

द्वितीय पंचवर्षीय योजना के बारे में संकल्प ४०२८–७२

राज्य-सभा से संदेश ... ४०७२–७४

लोक प्रतिनिधित्व (द्वितीय संशोधन) विधेयक ४०७४

दैनिक संक्षेपिका ४०७५–७६

पृष्ठ

अंक ७४--सोमवार, २८ मई, १९५६

सभा-पटल पर रखे गये पत्र	४०७७-७९
विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति	४०७९
प्राक्कलन समिति--	
इक्तीसवां प्रतिवेदन ...	४०७९
सभा का कार्य	४०८०-८१
त्रावणकोर-कोचीन राज्य विधान-मण्डल (शक्तियों का प्रत्यायोजन)	
विधेयक	४०७९, ४०८१-४१०१
विचार करने का प्रस्ताव	४०७९
खण्ड २, ३ और १	४०९३-४१०१
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव	. ४१०१
भारतीय आयकर (संशोधन) विधेयक ...	४१०२-०७
विचार करने का प्रस्ताव	४१०२
खण्ड १ और २ ...	४१०७
पारित करने का प्रस्ताव ...	४१०७
खड्गपुर में हड़ताल की स्थिति के बारे में चर्चा	४१०८-३३
राष्ट्रीय अनुशासन योजना के बारे में आध घंटे की चर्चा ...	४१३४-३९
दैनिक संक्षेपिका ...	४१४०-४१

अंक ७५--मंगलवार, २९ मई, १९५६

सभा-पटल पर रखे गये पत्र	४१४३-४४
प्राक्कलन समिति--	
बत्तीसवां प्रतिवेदन ...	४१४४
लोक लेखा समिति--	
सोलहवां प्रतिवेदन	४१४४
सभा की बैठकों से सदस्यों को अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति--	
पन्द्रहवां प्रतिवेदन	४१४४
काजू के कारखानों में तालाबन्दी के बारे में वक्तव्य	४१४४-४५
सदस्यों का बन्दीकरण और रिहाई	४१४५
सभा का कार्य	४१४५-४६
संविधान (दसवां संशोधन) विधेयक--	
संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार करने का प्रस्ताव	४१४६-८६
खण्ड २ से ४ और १	४१८०-८६
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव ...	४१८६
निवारक निरोध अधिनियम की कार्यान्विति के बारे में प्रस्ताव ...	४१८७-९३
पीलिया जांच समिति के प्रतिवेदन पर की गई कार्यवाही के बारे में आधे घंटे की चर्चा ...	४१९३-९८
राज्य-सभा से संदेश	४१९८
दैनिक संक्षेपिका	४१९९-४२००

पृष्ठ

अंक ७६—बुधवार, ३० मई, १९५६

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना तथा स्थगन प्रस्ताव—

कालका रेलवे स्टेशन पर उपद्रव ४२०१–०८

सभा-पटल पर रखे गये पत्र ४२०८–०९

प्राक्कलन समिति—

तैंतीसवां प्रतिवेदन ४२०९

याचिका समिति—

नवां प्रतिवेदन ४२१०

अनुपस्थिति की अनुमति ... ४२१०

अतारांकित प्रश्न के उत्तर की शुद्धि ४२१०

मनीपुर राज्य पहाड़ी लोग (प्रशासन) विनियमन (संशोधन) विधेयक ... ४२१०–११

लोक प्रतिनिधित्व (द्वितीय संशोधन) विधेयक—

राज्य-सभा द्वारा किये गये संशोधनों पर सहमति ४२११–१६

सभा का कार्य ४२१६–१७

निवारक निरोध अधिनियम का कार्यान्विति के बारे में प्रस्ताव ... ४२१७–४५

पूर्वी पाकिस्तान से हिन्दुओं के भारत की ओर सामुहिक निष्क्रमण के बारे में चर्चा ४२४५–६३

राज्य-सभा से संदेश ४२६३

भारतीय प्रशासनिक सेवा के लिये आपातकालीन भर्ती के बारे में नियमों पर चर्चा ४२६३–७३

कर्मचारी भविष्य-निधि अधिनियम के बारे में आधे घंटे की चर्चा ४२७३–७६

प्रतिलिप्याधिकार विधेयक ४२७६

दैनिक संक्षेपिका ... ४२७७–७९

बारहवें सत्र की कार्यवाही का सारांश ४२८०–८१

M148LSD—190—8-4-58—GIPF.

लोक-सभा वाद-विवाद

(भाग २—प्रश्नोत्तर के अतिरिक्त कार्यवाही)

लोक-सभा

शनिवार, २६ मई, १९५६

लोक-सभा साढ़े दस बजे समवेत हुई

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

प्रश्नोत्तर

(**देखिए** भाग १)

११-३१ म० पू०

सभा-पटल पर रखा गया पत्र

विस्थापित व्यक्ति (प्रतिकर और पुनर्वास) नियम, १९५५ में संशोधन

†**पुनर्वास मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना)** : मैं विस्थापित व्यक्ति (प्रतिकर और पुनर्वास) अधि-नियम, १९५४ की धारा ४०, उपधारा (३) के अन्तर्गत, विस्थापित व्यक्ति (प्रतिकर और पुनर्वास) नियम, १९५६ में कुछ अग्रेतर संशोधन करने वाली अधिसूचना संख्या एस० आर० ओ० ११६१, दिनांक १९ मई, १९५६ की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं। [**पुस्तकालय में रखी गई। देखिए संख्या एस—१९५/५६**]

प्राक्कलन समिति

उनत्तीसवां और तीसवां प्रतिवेदन

†**श्री बी० जी० मेहता** (गोहिलवाडा) : अध्यक्ष महोदय, मैं रेलवे मंत्रालय सम्बन्धी एस्टीमेट्स समिति की उनत्तीसवीं और तीसवीं रिपोर्ट पेश करता हूं।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

भारतीय डाक और तार अधिनियम के बारे में याचिका

†**श्री विश्वनाथ रेड्डी** (चित्तूर) : मैं भारतीय डाक और तार अधिनियम और उसके अधीन बनाये गये नियमों के बारे में, एक व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षर की हुई याचिका को उपस्थापित करता हूं।

अविलम्बनीय लोक-महत्व के विषयों की ओर ध्यान दिलाना

त्रिपुरा में चावल के भाव में वृद्धि

†**श्री बीरेन दत्त** (त्रिपुरा—पश्चिम) : नियम २१६ के अन्तर्गत मैं अविलम्बनीय लोक-महत्व के निम्न विषय की ओर खाद्य और कृषि मंत्री का ध्यान दिलाता हूं और यह प्रार्थना करता हूं कि वह उसके सम्बन्ध में एक वक्तव्य दें :

"चावल के भाव में बढ़ती जिसके परिणामस्वरूप त्रिपुरा में भुखमरी की दशा उत्पन्न हुई है।"

†**खाद्य और कृषि उपमंत्री (श्री एम० वी० कृष्णप्पा)** : यह ठीक है कि त्रिपुरा में चावल का भाव बढ़ गया है। वह राज्य तीन ओर से पूर्वी पाकिस्तान के राज्य क्षेत्र से घिरा हुआ है। पूर्वी पाकिस्तान में इस वर्ष चावल की फसल नहीं हुई जिसके कारण त्रिपुरा से काफी चावल चोरी छिपे पूर्वी पाकिस्तान भेजा गया। राज्य में भाव बढ़ जाने का यही मुख्य कारण है।

१७ रुपये ८ आने प्रति मन के फुटकर भाव से चावल के वितरण के लिये अगरताला और राज्य के छः उप-विभागीय प्रधान स्थानों में उचित मूल्य वाली सरकारी दुकानें खोलने की व्यवस्था की गई है।

राज्य सरकार के पास पहले से ही ३,००० टन धान था। भारत सरकार ने राज्य सरकार को उसकी आवश्यकतानुसार पूरा चावल देना स्वीकार कर लिया है जिससे कि उचित मूल्य वाली दुकानों से रियायती भाव पर चावल बांटा जा सके। कलकत्ते से ३,००० टन चावल तीन स्पेशल गाड़ियों से पहले ही भेजा जा चुका है और त्रिपुरा सरकार को २,००० टन मिल भी चुका है। आपात का सामना करने के लिये कुछ थोड़ी राशि विमान द्वारा भी भेजी गयी है। विशेष गाड़ियों द्वारा और चावल भेजने का कार्यक्रम बनाया जा चुका है।

अभी राज्य सरकार प्रतिदिन प्रति वयस्क १२ औंस की दर से चावल दे रही है किन्तु प्रति वयस्क १६ औंस तक राशन बढ़ाने का उसका विचार है। राज्य सरकार द्वारा चालू की गयी वितरण व्यवस्था और त्रिपुरा में पहले ही प्राप्त अपर्याप्त चावल से त्रिपुरा की जनता की आवश्यकता पूरी हो जायगी।

†**श्री बी० एस० मूर्त्ती** (एलुरु) : चावल के होते हुए पाकिस्तान में चोरी छिपे चावल ले जाना रोकने के लिये क्या व्यवस्था की गयी है ?

†**श्री एम० वी० कृष्णप्पा** : हमने एक आदेश प्रख्यापित किया है जिससे पाकिस्तान क्षेत्र के निकट पांच मील के घेरे में चावल के लाने ले जाने पर रोक लगा दी गयी है।

पाकिस्तानी सेनाओं द्वारा भारतीय राज्य क्षेत्र में लगातार गोलीबारी

†**श्री वल्लाथरास** (पुदुकोटै) : नियम २१६ के अन्तर्गत मैं अविलम्बनीय लोक-महत्व के निम्न विषय की ओर प्रधान मंत्री का ध्यान दिलाता हूं और यह प्रार्थना करता हूं कि वह उसके सम्बन्ध में एक वक्तव्य दें :

"भारतीय राज्य-क्षेत्र में लगभग २३-५-१९५६ से पाकिस्तानी सशस्त्र सेनाओं द्वारा लगातार गोलीबारी।"

---

†मूल अंग्रेजी में।

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : मुझे जो सूचना मिली है मैं उसे पढ़ कर सुना देता हूं :

"दिनांक २२ को बाडापुंजी शिविर के दो सशस्त्र सिपाही लाटु क्षेत्र में हमारी महिशासन सीमा चौकी से डेढ़ मील की दूरी पर देओतोली पुंजी में गश्ती के लिये गये और खाइयों में अपने मोर्चे पर जा बैठे। कुछ समय बाद उनमें से एक नौ बजे अपनी खाई के बाहर निकला और उस पर पाकिस्तानी कुमारसैल चौकी से दो गोलियां चलाई गयीं। वह तुरन्त अपने स्थान पर आ गया और उसने जवाब में दो गोलियां चलाईं। १२-१५ बजे पाकिस्तान की ओर से एक गोली आई और जवाब में हमारी ओर से दो गोलियां चलाई गयीं। शाम ३ बजे फिर पाकिस्तान की ओर से तेजी से गोलीबारी शुरू हुई और हमारी ओर से लाइट मशीनगन और राइफलों से जवाब दिया गया। शाम को ४-३० तक इक्का-दुक्का गोलियां चलती रहीं जिसमें कोई आहत नहीं हुआ।

दिनांक २३ को रात ११ बजे कसियारा नदी से हमारी ओर सेहलभाग और लखीबजार क्षेत्रों पर पाकिस्तान ने गोलीबारी की जबकि हमारी लखीबजार चौकी ने दो गोलियां चलायीं।

दिनांक २४ को प्रात: ६-२५ और ७-४५ बजे पाकिस्तान ने बडापुंजी पर क्रमश: एक और छ: गोलियां चलायीं। उन्होंने महिशासन चौकी पर भी तीन गोलियां चलायीं।

तब से अब तक किसी गोलीबारी और किसी के आहत होने का समाचार नहीं मिला है। जिला और सरकारी स्तर पर शिकायत की गयी है।"

†**श्री एस० सी० देव** (कछार-लुशाई पहाड़ियां) : इस गोलीबारी का क्या कारण है ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : उत्तेजना।

†**श्री एस० सी० देव** : क्या सरकार और सुरक्षा सेना तैनात करने पर विचार कर रही है, क्योंकि कुछ समय पहले भी कछार-सिलहट सीमा पर गोलीबारी हुई थी।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : दोनों पक्ष बराबर रहे हैं। मैं नहीं समझता कि यदाकदा थोड़ी-बहुत गोलीबारी से डरने की क्या बात है। मैं समझता हूं कि हम बराबरी पर खड़े हैं।

†**श्री कासलीवाल** (कोटा—झालावाड) : जब कभी इस प्रकार का वक्तव्य दिया जाये, इसकी पूर्व-सूचना की एक प्रति नोटिस-बोर्ड पर भी रखी जाये। हम नहीं जानते कि ऐसे वक्तव्य दिये जायेंगे। अल्प-सूचना प्रश्न होने पर उसकी एक प्रति नोटिस-बोर्ड पर रखी जाती है।

†**अध्यक्ष महोदय** : जब कभी ऐसा कार्य स्वीकार किया जायेगा, मैं उसे कार्यसूची में सम्मिलित करने का प्रयत्न करूंगा। वह मेरे पास है और मैंने सोचा था कि माननीय सदस्यों को जो दिया गया था उसी की एक प्रति यह होगी।

सभा-पटल पर रखा गया पत्र

निवारक-निरोध अधिनियम की क्रियान्विति के बारे में आंकड़े

†**संसद् कार्य मंत्री (श्री सत्यनारायण सिंह)** : मैं गृह-कार्य मंत्री की ओर से, ३१ दिसम्बर, १९५५ से ३१ मार्च, १९५६ तक की अवधि में निवारक निरोध अधिनियम, १९५० की क्रियान्विति

---

†मूल अंग्रेजी में।

[श्री सत्यनारायण सिंह]

के बारे में आंकड़ों की पुस्तिका की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं । **[पुस्तकालय में रखी गयी । देखिये संख्या एस—१९७/५६]**

कार्य-मंत्रणा समिति

सैंतीसवां प्रतिवेदन

†**संसद्-कार्य मंत्री (श्री सत्यनारायण सिंह)** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा कार्य-मंत्रणा समिति के सैंतीसवें प्रतिवेदन से, जो सभा में २३ मई, १९५६ को उपस्थापित किया गया था, सहमत है ।"

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

†**श्री कामत** (होशंगाबाद) : मैं अपना संशोधन प्रस्तुत करता हूं ।

†**श्री सत्यनारायण सिंह** : मेरा सुझाव है कि श्री कामत, कार्य-मंत्रणा समिति में लिये जायें जिससे कि विनिश्चय में उनका हाथ रहे ।

†**श्री कामत** : सभा के समक्ष ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है । प्रस्ताव और मेरे संशोधन सभा के समक्ष हैं ।

त्रावनकोर-कोचीन राज्य विधान मंडल (शक्तियों का प्रत्यायोजन) विधेयक सम्बन्धी मेरे पहल संशोधन के बारे में मैं यह बताना चाहता हूं कि अगस्त, १९५१ में इस प्रकार के प्रथम विधेयक पर अर्थात् पंजाब राज्य विधान मंडल (शक्तियों का प्रत्यायोजन) विधेयक पर इस सभा में वाद-विवाद हुआ था किन्तु मेरे विचार में वर्तमान विधेयक उस विधेयक से कहीं अधिक गंभीर विधेयक है। इस विधेयक का परिणाम यह होगा कि मद्रास के राज्य विधान सभा में मालाबार जिले के सदस्यों का कोई अस्तित्व नहीं रहेगा । इस विधेयक की यह एक बहुत गंभीर प्रतिक्रिया होगी । अतः इस विधेयक के अन्तिम रूप से पारित किये जाने के पूर्व हमें उस पर और गंभीरता से विचार करना चाहिये । इसलिये मेरी समझ में इस विधेयक के लिये तीन घंटे का समय दिया जाना चाहिये ।

मेरा दूसरा संशोधन यह है कि भारतीय प्रशासनिक सेवा की आपातकालीन भर्ती सम्बन्धी नियमों के लिये "अधिक से अधिक" एक घंटे की बजाय "कम से कम" एक घंटा नियत किया जाये । वह समय बढ़ाना आपके स्वविवेक पर निर्भर है । मैं नहीं चाहता कि विद्यमान प्रस्ताव से आपकी शक्तियां जकड़ दी जायें । इसलिये मेरा सुझाव है कि इस चर्चा के लिये कम से कम एक घंटा और यदि संभव हो तो डेढ़ घंटा नियत किया जाये ।

अन्त में तीसरा मद, अर्थात् पूर्वी पाकिस्तान से सामूहिक निष्क्रमण के सम्बन्ध में, मेरा सुझाव यह है कि उस पर चर्चा के समय दोनों मंत्री—अर्थात् अल्प-संख्यक-कार्य मंत्री और पुनर्वास मंत्री—उपस्थित रहें ।

†**अध्यक्ष महोदय** : संशोधन प्रस्तुत हुआ ।

†**श्री ए० एम० थामस** (एरणाकुलम्) : कार्य-मंत्रणा समिति के सदस्य के नाते मैं बताना चाहता हूं कि समिति ने किन दशाओं में इन बातों के लिये समय नियत किया है । त्रावनकोर-कोचीन राज्य विधान मंडल (शक्तियों का प्रत्यायोजन) विधेयक कोई बहुत पेचीदा विधेयक नहीं है । उसमें केवल

---

†मूल अंग्रेजी में ।

दो या तीन खंड हैं किन्तु मैं यह मानता हूं कि उसमें विधायिनी शक्तियों के प्रत्यायोजन सम्बन्धी सिद्धान्त का प्रश्न है। अतः एकमात्र संगत प्रश्न यह है कि राष्ट्रपति को शक्तियों का प्रत्यायोजन करना कहां तक उचित है। कार्य-मंत्रणा समिति ने इस पर चर्चा के लिये दो घंटे समय पर्याप्त समझा। सरकार ने केवल एक घंटे का सुझाव दिया था। अतः मैं इस विधेयक के लिये अधिक समय देने की कोई जरूरत नहीं समझता।

दूसरा विषय इस सभा के सामने दो या तीन बार लाया जा चुका है। मैं समझता हूं कि आधे घंटे की चर्चा की मांग की गयी थी। निश्चय ही इसके लिय एक घंटा दिया जायेगा।

†**श्री कामत** : वह एक घंटे से कम है।

†**श्री ए० एम० थामस** : यदि उसमें कोई संदेह हो तो वह स्पष्ट किया जा सकता है। मेरे विचार से यह प्रस्ताव बिना किसी संशोधन के पारित किया जाना चाहिये।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** (बसिरहाट) : श्री कामत ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात सभा के समक्ष रखी है और वह यह कि मालाबार सदस्यों का कोई अस्तित्व न रहेगा। अतः इस विषय पर थोड़ी-बहुत चर्चा आवश्यक है। इसलिये यदि संभव हो तो सभा को समय बढ़ाना चाहिये।

†**श्री ए० एम० थामस** : वह इस विधेयक में उत्पन्न नहीं होगा। राज्य-पुनर्गठन विधेयक सामने आने पर वह विषय उठाया जायेगा।

तत्पश्चात् अध्यक्ष महोदय ने श्री कामत का संशोधन सभा के समक्ष मतदान के लिये रखा जो अस्वीकृत हुआ।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है कि :

"कि यह सभा कार्य-मंत्रणा समिति के सैंतीसवें प्रतिवेदन से, जो सभा में २३ मई, १९५६ को उपस्थापित किया गया था, सहमत है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

मालिक-मज़दूर झगड़े सभा के सामने लाने के बारे में विनिर्णय

†**श्री एन० सी० चटर्जी** (हुगली) : गत २३ मई को श्री ए० के० गोपालन ने सिकन्दराबाद डिवीज़न और खडगपुर में रेल कर्मचारियों की हड़ताल के सम्बन्ध में एक स्थगन प्रस्ताव रखा था, जिस पर रेलवे मंत्री ने एक लम्बा वक्तव्य देते हुए यह मत प्रकट किया कि जब तक रेल कर्मचारियों की वर्तमान हड़ताल पूरी तौर से और बिना शर्त बन्द नहीं की जाती तब तक वह उनकी शिकायतों पर विचार करन अथवा वह विषय न्याय-निर्णयन के लिये सौंपने की उनकी प्रार्थना स्वीकार करने के लिये तैयार नहीं हैं।

आपने श्री गोपालन का स्थगन प्रस्ताव अनियमित घोषित कर दिया और आपके विनिर्णय से सभा के कुछ सदस्यों को और विशेषकर विरोधी दल के सदस्यों को घोर क्षोभ हुआ है। किन्तु हमें आशंका है कि भविष्य में पूर्व दृष्टान्त के तौर पर आपके निर्णय का उपयोग किया जायेगा और जब तक कि तुरन्त उसका स्पष्टीकरण नहीं किया जाये, तब तक हमारी स्थिति बड़ी कठिन होगी। हम समझते हैं कि जब तक स्थिति स्पष्ट नहीं की जाती तब तक हम अपना कर्त्तव्य और उत्तरदायित्व

---

†मूल अंग्रेजी में।

[श्री एन० सी० चटर्जी]

पूरा नहीं कर सकेंगे। आपने कहा था कि मालिक-मज़दूरों के बीच का झगड़ा सभा के समक्ष चर्चा और निबटारे के लिये नहीं लाया जाना चाहिये। हम आपके विनिर्णय को चुनौती नहीं देना चाहते।

अगली पंचवर्षीय योजना में गैर-सरकारी उद्योग क्षेत्र के प्रस्थापित विस्तार को ध्यान में रखते हुए राज्य ही श्रम का सब से बड़ा मालिक होने जा रहा है इसलिये संसद्-सदस्यों का यह अधिकार और कर्त्तव्य है कि वे मालिक-मज़दूरों के बीच झगड़े या मतभेद के सम्बन्ध में अविलम्बनीय लोक-महत्व के विषय सभा के सामने रखें। हड़ताल वैध नहीं थी अथवा राज्य मालिक है इस तथ्य के आधार पर चर्चा अनियमित घोषित नहीं की जानी चाहिये और सम्बन्धित मंत्रालय से पूछताछ पर रोक नहीं लगायी जानी चाहिये। हमें विश्वास है कि आप संसद्-सदस्यों के अधिकारों और मर्यादाओं में कमी नहीं करना चाहते हैं। अतः हमारा निवेदन है कि सभी के हित में स्थिति स्पष्ट की जाये।

†**अध्यक्ष महोदय** : मेरा यह मतलब नहीं था कि कर्मचारियों और रेलवे प्रशासन के बीच का मतभेद सभा के समक्ष न लाया जाये। मेरा मतलब केवल यह था कि प्रत्येक छोटा-मोटा मतभेद निबटारे के लिये सभा के सामने न लाया जाये। मैं मानता हूं कि इस मामले में सरकार मालिक है। अविलम्बनीय लोक-महत्व का प्रत्येक विषय सभा के सामने हमेशा ही रखा जा सकता है और उसके गुण-दोषों के आधार पर ही उसका निबटारा किया जायेगा।

द्वितीय पंचवर्षीय योजना के बारे में संकल्प

†**अध्यक्ष महोदय** : सभा में अब श्री जवाहरलाल नेहरू के २३ मई, १९५६ के संकल्प पर विचार किया जायेगा।

†**श्री रामचन्द्र रेड्डी** (नेल्लोर): कल मैंने यह सुझाव दिया था कि सिंचाई सुविधाओं के विकास के लिये तथा इनकी अधिक व्यवस्था करने के लिये, कुछ अन्य चीज़ों के लिये किये गये आवंटन को कम करके, वह राशि सिंचाई में व्यय की जाए। इनमें से एक विषय राष्ट्रीय विस्तार सेवा था जिसको लगभग २२७ करोड़ रुपये दिये गये हैं। मेरा सुझाव है कि इसमें से १०० करोड़ कम किये जा सकते हैं तथा सिंचाई में लगाये जा सकते हैं।

मेरा सुझाव यह भी है कि नमक उत्पादन शुल्क लगा करके १०० करोड़ रुपया और उगाहा जा सकता है। मेरा तीसरा सुझाव यह है कि मद्यनिषेध लागू नहीं किया जाये क्योंकि १०० करोड़ रुपये की आय इससे हो जायेगी। यह ३०० करोड़ रुपया सिंचाई परियोजनाओं पर लगा देना चाहिये। माननीय वित्त मंत्री कह सकते हैं कि बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं में दिया गया १०५ करोड़ रुपया भी सिंचाई परियोजनाओं को दिया गया है। यदि ऐसी व्यवस्था है तो इस धन का समान वितरण होना चाहिये।

मैं यह भी कहना चाहता हूं कि मंत्रालयों में आपस में समन्वय होना चाहिये। हम अम्बर चर्खे के बारे में बहुत कुछ सुन रहे हैं तथा यह भी सुन रहे हैं कि दूसरे मंत्रालय इसका विरोध कर रहे हैं। इसीलिये मेरा सुझाव है कि मंत्रालयों में आपसी समन्वय अवश्य होना चाहिये।

इन सब बातों पर विचार करते समय, मेरा ध्यान बेकारी के प्रश्न की ओर भी है। योजना में नगरीय-क्षेत्रों की बेकारी दूर करने के सम्बन्ध में उपबन्ध किया गया है। परन्तु देहाती-क्षेत्र में बकारी दूर करने के सम्बन्ध में कुछ नहीं किया गया है। मेरा तो विचार है कि सिंचाई सुविधाओं

---

†मूल अंग्रेजी में।

से देहाती-क्षेत्रों की बेकारी की समस्या भी दूर हो जायेगी तथा देहाती क्षेत्रों से नगरीय-क्षेत्रों में आने वाले व्यक्तियों की संख्या घट जायेगी ।

मैं खाद्यान्नों के मूल्यों के सम्बन्ध में यह कहना चाहता हूं कि थोड़े से मूल्य बढ़ाने पर ही उपभोक्ता चिल्लाना प्रारम्भ कर देते हैं परन्तु मूल्य कम होने पर देहाती-क्षेत्रों पर बुरा प्रभाव पड़ता है । इसी आधार पर यह आवश्यक है कि सरकार मूल्य नीति पर सदैव ध्यान रखे जिससे दोनों पक्ष संतुष्ट रहें ।

योजना में, हमारे प्रतिरक्षा के संसाधनों के विकास पर कम ध्यान दिया गया है । मैं नहीं जानता कि प्रतिरक्षा-क्षेत्र में उत्पादित सभी वस्तुओं को गुप्त क्यों रखा जाता है । असैनिक क्षेत्र की ओर इन संसाधनों को लगाया जा सकता है जिससे आयुध कारखानों में छंटनी को रोका जा सके । इसीलिये असैनिक संगठनों तथा प्रतिरक्षा संगठनों में भी समन्वय होना चाहिये ।

मैंने कल देहातों में बेकार पड़ी भूमि के सम्बन्ध में बताया था । ऐसा प्रतीत होता है कि इस बेकार पड़ी भूमि के वितरण की कोई योजना नहीं है । देहाती-क्षेत्रों में ऋतु श्रमिक होते हैं तथा वर्ष के अधिकांश भाग में वह बेकार पड़े रहते हैं । इसलिये सरकार को बेकार पड़ी भूमि के वितरण के प्रश्न पर ध्यान देना चाहिये ।

भूदान कार्यक्रम चल रहा है । परन्तु इस भूदान में भी वितरण के सम्बन्ध में असंतोष है । इसलिये जिला प्राधिकारियों को इनका शीघ्र उचित वितरण करने का प्रबन्ध करना चाहिये । इन दोनों पद्धतियों से ग्रामीण जनता प्रसन्न रहेगी तथा उनको जानकारी हो जायेगी कि सरकार उनके लिये कुछ कर रही है ।

मैं एक और बात कहना चाहता हूं । कुछ सदस्यों का कहना है कि भ्रष्टाचार चल रहा है । मुझे विश्वास है कि भ्रष्टाचार अब नहीं रहेगा क्योंकि अब कर्मचारी अपना आचार ठीक रखेंगे ।

†**वित्त मंत्री (श्री सी० डी० देशमुख)** : मैं इस प्रक्रम पर चर्चा में कुछ हस्तक्षेप करना चाहता हूं । आशा है कि इससे कुछ प्रश्नों का स्पष्टीकरण होगा और भ्रांति दूर होगी । मैं प्रतिवेदन के प्रथम चार अध्यायों के सम्बन्ध में ही चर्चा करूंगा । मेरे माननीय मित्र योजना उपमंत्री जो इस चर्चा को समाप्त करेंगे, वे अन्य बातों के सम्बन्ध में यथा शिक्षा, जनता के सहयोग का महत्व, बेकारी की समस्या, भूमि सुधार, मजूरी नीति, प्रशासन, बाढ़-नियंत्रण, रक्षा, भ्रष्टाचार इत्यादि के सम्बन्ध में की गई व्यवस्था के बारे में बता सकेंगे । मेरे विचार से कार्य परामर्शदात्री समिति के निर्णयानुसार इन आठ अध्यायों पर अगले सत्र में भी चर्चा चलती रहेगी इससे मैं यह अनुमान लगाता हूं कि योजना मंत्री अगले सत्र में इसका उत्तर देंगे । योजना निर्माता उन लेखकों की तरह हैं जिन्हें अक्सर अपने लेखों के प्रूफ पढ़ने को कहा जाता है । हम कई महीनों से योजना के निर्माण, व्याख्या और योजना के प्रस्तावों के औचित्य को बताने में लगे हुए हैं और कभी-कभी हमारे लिये कोई नई बात कहना वस्तुतः कठिन हो जाता है ।

जहां तक प्रथम चार अध्यायों के विषय का प्रश्न है, मेरा विचार है कि हम पूर्ण विनम्रता से यह दावा कर सकते हैं कि हमने योजना सम्बन्धी सिद्धान्त, दृष्टिकोण, उद्देश्य, नीति, इत्यादि के सम्बन्ध में यथाशक्ति कहने का प्रयत्न किया है ।

इस प्रकार की चर्चा में जब कोई व्यक्ति उठाए गये प्रश्नों का उत्तर देता है तो कुछ अधूरी बात कहने तथा विषयान्तर होने का खतरा बना रहता है किन्तु यह अपरिहार्य हो जाता है ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

[श्री सी० डी० देशमुख]

प्रारम्भ में मैं इस आरोप को लेता हूं कि प्रथम पंचवर्षीय योजना की सफलताओं को बढ़ा-चढ़ा कर बताया गया है। मेरे विचार से योजना में कहीं भी यह दावा नहीं किया गया है कि प्रथम योजना के फलस्वरूप उल्लेखनीय सफलता मिली है। हमने केवल यह दावा किया है कि राष्ट्रीय आय में १८ प्रतिशत की वृद्धि हुई है और प्रति व्यक्ति आय ११ प्रतिशत बढ़ी है और प्रति व्यक्ति उपयोग में ९ प्रतिशत की वृद्धि हुई है। पांच वर्षों की अवधि में १८ प्रतिशत की वृद्धि अधिक नहीं है। भारत की औसत आय इतनी कम है कि पांच वर्षों की अवधि में कोई उल्लेखनीय प्रगति नहीं हो सकती है। इसलिये माननीय सदस्य दैनिक आय में वृद्धि का हिसाब लगाने में स्वतन्त्र हैं चाहे यह डेढ़, २ या ३ आने प्रतिदिन ही क्यों न हो। यह हिसाब उस राशि के सम्बन्ध में लगाया गया है जो कि अल्प है। कुछ भी हो द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्त तक यदि सब कुछ सामान्य रहा तो राष्ट्रीय आय में, प्रथम पंचवर्षीय योजना के प्रारम्भ से ४७ प्रतिशत वृद्धि हो जायेगी।

हमारे पास इस बात के संकेत हैं कि आय का वितरण किसी दिशा में भी एकपक्षीय नहीं हुआ है। यद्यपि कल मैंने इस बात पर सहमति प्रगट की थी कि ऐसी सारी विकास योजनाओं की प्रवृत्ति ——जब तक अत्यधिक सतर्कता न बर्ती जाए——धनी को अधिक धनी तथा गरीबों को अधिक गरीब बनाने की होती है।

पिछले कुछ वर्षों में कपड़ों तथा खाद्यान्नों का उपभोग बढ़ा है। एक माननीय सदस्य ने कहा है कि यदि एक-दो औंस बढ़ भी गया तो क्या हुआ। खाद्यान्नों का उपभोग १४·५ से बढ़कर १७ हो गया है। १४ में २·५ की वृद्धि उपेक्षनीय वृद्धि नहीं है। यही बात कपड़े के सम्बन्ध में भी कही जा सकती है। माननीय सदस्यों ने कहा है कि कीमतों में वृद्धि हुई है। कुछ स्फीति के भी संकेत मिले हैं। तथापि इन सब से यह ज्ञात होता है कि इस विक्रय शक्ति का उपभोग किया जा रहा है अर्थात् उपभोग का स्तर बढ़ा है। इन बातों से यह संकेत मिलता है कि देश की बढ़ी हुई आय को स्थायी रखने के लिये वस्तुतः हमें उत्पादन में अधिक वृद्धि करने की आवश्यकता है।

अब जहां तक अन्य लाभों का सम्बन्ध है, १६० लाख एकड़ नये क्षेत्र में सिंचाई की गई, ६० लाख एकड़ भूमि में बड़े निर्माण कार्यों द्वारा तथा १०० लाख एकड़ में छोटे निर्माण कार्यों द्वारा सिंचाई हुई। विद्युत में १९५०-५१ में ६५,७५० लाख किलोवाट से बढ़ कर १९५५-५६ में ११०,००० लाख किलोवाट हो गयी। इसलिये इस बात से कोई इन्कार नहीं कर सकता है कि अर्थ-व्यवस्था की निर्माण शक्ति में निरंतर वद्धि हो रही है। प्रथम पंचवर्षीय योजना के कुछ लाभ बाद में दृष्टिगोचर होंगे यथा कृषि-प्रणाली और टैकनीक में सुधार इत्यादि। हम यह भी आशा कर सकते हैं कि परिवहन और संचार साधनों के विकास से गृहोपयोगी वस्तुओं के बाजार का उत्तरोत्तर विकास होगा।

सर्व प्रथम, हमने ही इस बात को स्वीकार किया कि हमारे लिये आत्म-संतुष्टि की कोई गुंजायश नहीं है तथा हमारे समक्ष इससे भी अधिक बड़ा और कठिन काम शेष है। मेरे विचार से इस तथ्य को अस्वीकार करना कि प्रथम पंचवर्षीय योजना ने हमारी अर्थ-व्यवस्था को एक क्रियात्मक प्रवृत्ति प्रदान की है, अपने साहस को नष्ट करना होगा। सामाजिक विकास परियोजनायें और राष्ट्रीय विस्तार कार्यक्रम——यद्यपि मैं दूसरे के महत्व के सम्बन्ध में अन्तिम वक्ता से असहमत हूं ——ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंचाने की एक टेकनीक है।

इस प्रकार प्रथम योजना ने आर्थिक और सामाजिक प्रगति की इच्छा को बल प्रदान किया है। माननीय सदस्यों ने पूछा है कि हमारी प्रगति अन्य देशों की प्रगति की अपेक्षा कैसी है। हमारे पास या तो ऐसे विश्वसनीय आंकड़ें नहीं हैं जिनकी हमारे आंकड़ों से तुलना की जा सके अथवा हमारी प्रणाली ऐसी नहीं है कि जिसकी तुलना अन्य देशों की योजनाओं की प्रणाली से की जा सके।

मेरे विचार से यह स्वीकार करना होगा कि सर्वाधिकारवादी देशों में राष्ट्रीय आय तथा उत्पादन इत्यादि के सम्बन्ध में अधिक उल्लेखनीय प्रगति हुई है। परन्तु कुछ ऐसी भी शर्तें हैं, जिनको, इस प्रगति को स्वीकार करने से पहले, पूरा करना होगा। हमने, चाहे यह अच्छा हो या बुरा हो, वयस्क मताधिकार के साथ संसदीय लोकतन्त्र की सीमाओं के भीतर रह कर कार्य करना स्वीकार कर लिया है और हमें जनता को सदैव संसदीय लोक-तन्त्र के जरिये ही अपने साथ ले चलना होगा। इसलिये, अधिक तेजी से प्रगति करने के लिये जिन कार्यों का किया जाना आवश्यक है, हम उनको करने के लिये दूसरे देशों के समान ही स्वतन्त्र नहीं हैं, और वह कार्य है उपभोग के स्तर को नीचा करना, क्योंकि, अन्ततोगत्वा उपभोग के स्तर को नीचे गिराकर, पूंजी-निर्माण में वृद्धि और इस प्रकार प्राप्त धन का नियोजन और पूंजी-नियोजन की गति में क्रमशः वृद्धि कर के ही अर्थ-व्यवस्था को उन्नत बनाया जा सकता है।

[**उपाध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

ये आंकड़े सर्वविदित हैं। हम अपनी राष्ट्रीय आय का ७·५ से ८ प्रतिशत तक विनियोजित करते हैं और हम योजना अवधि के अन्त तक १०·५ प्रतिशत तक पहुंचाने का उद्देश्य बना रहे हैं। ऐसे भी देश हैं जो अपनी राष्ट्रीय-आय का २०, २५ और ३० प्रतिशत तक विनियोजन करने का दावा करते हैं। मेरे विचार से ऐसी तुलना करना अनचित है। इनमें से कई आंकड़े पहली या दूसरी योजना से सम्बन्धित नहीं हैं वरन् तीसरी और चौथी और पांचवीं योजना से सम्बन्धित हैं। जैसा कि मैं पहले कह चुका हूं, हमारा एक बड़ा पड़ौसी देश जिसनें लगभग हमारे साथ ही योजना बनाई थी उसके आंकड़े हमारे समान नहीं हैं। मैंने चीन की राष्ट्रीय-आय से सम्बन्धित आंकड़े कभी नहीं देखे हैं। मैं उन माननीय सदस्यों से उन आंकड़ों को मुझे देने, और यह बताने को कहूंगा कि चीन की कुल राष्ट्रीय-आय कितनी है। वह कितनी राशि विनियोजित कर रहा है और उसकी राष्ट्रीय-आय किस दर से बढ़ रही है। इसलिये मैं कहता हूं कि तुलना का कोई आधार नहीं है।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** (बसिरहाट) : क्या यह जानकारी सरकारी स्तर पर उपलब्ध नहीं है अथवा क्या सरकार उसे पाने में असफल रही है ?

†**श्री सी० डी० देशमुख** : यह जानकारी सरकारी स्तर पर भी उपलब्ध नहीं है। क्योंकि सरकार ने राष्ट्रीय-आय का हिसाब लगाने के लिये कोई व्यवस्था नहीं की है। हमने उस प्रकार की जानकारी पाने के लिये जो कि हम अपनी योजना में देते हैं, अपने राजदूत के द्वारा पूछताछ की थी——वस्तुतः हमने एक प्रश्नावलि भेजी थी——यद्यपि उन्होंने बहुमूल्य जानकारी प्रस्तुत की है किन्तु उसमें राष्ट्रीय-आय के सम्बन्ध में कोई जानकारी नहीं दी गई थी।

वस्तुतः मैं प्रशंसा अथवा दोषारोपण नहीं कर रहा हूं, अपितु प्रथम पंचवर्षीय योजना के एक महत्वपूर्ण प्रश्न अर्थात् योजना के लिये संसाधनों की व्यवस्था का द्वितीय पंचवर्षीय योजना पर होने वाले प्रभाव पर विचार करने का प्रयत्न कर रहा हूं। मैं संसाधनों के प्रश्न को पुनः लेता हूं। जिस व्यक्ति पर भी ऐसे महत्वपूर्ण योजना के लिये राजस्व की व्यवस्था करने का दायित्व होगा वे इस पर अत्यधिक ध्यान देगा कि राष्ट्रीय-आय की वृद्धि जनसंख्या के विभिन्न वर्गों में किस प्रकार वितरित होगी क्योंकि इस प्रश्न के उत्तर पर ही करारोपण का यथार्थ रूप निर्भर करेगा। दुर्भाग्यवश हम अपनी सांख्यकी व्यवस्था इस सम्बन्ध में पूर्ण नहीं बना सके हैं। हमारे यहां के लोग प्रश्नों का उत्तर सुहृदयतापूर्वक नहीं देते हैं। प्रत्येक व्यक्ति बैंक से लेन-देन नहीं रखता है और कई क्षेत्रों के सम्बन्ध में तो हम वस्तुतः अंधकार में हैं। निस्संदेह ज्यों-ज्यों राष्ट्रीय-आय समिति के अन्तर्गत राष्ट्रीय

†मूल अंग्रेजी में ।

[श्री सी० डी० देशमुख]

नगूना सर्वेक्षण के कार्य में वृद्धि होगी लोगों को ऐसी जांच पड़ताल की आदत पड़ जायेगी और हमें अधिकाधिक जानकारी मिलने लगेगी। तब तक हमें वर्तमान उपलब्ध जानकारी का ही भरसक लाभ उठाना चाहिये। प्रथम पंचवर्षीय योजना से प्राप्त परिणामों के सम्बन्ध में मुझे इतना ही कहना है।

अगला सामान्य प्रश्न, योजना के ढांचे और योजना के अन्तिम रूप के सम्बन्ध में, जिस रूप में वह इस समय सभा के समक्ष रखी गई है, के बीच अन्तर क्या है। योजना का ढांचा संविधान की तरह नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम पहिले ही सीमा बांध लेते हैं कि हम इससे आगे नहीं बढ़ेंगे। यह इस प्रकार का ढांचा नहीं है। 'ढांचा' शब्द गलत है आप इसे 'योजना की रूपरेखा' कहिये। जैसा कि मैं कह चुका हूं हम कुछ सीमाओं के अन्दर काम कर रहे हैं। ढांचे (फ्रेम) के चार कोने होते हैं। मैं कह सकता हूं कि हम संसदीय-लोकतंत्र की सीमाओं के अन्दर काम कर रहे हैं। अब यदि संविधान के उपबन्धों तथा हमारे कार्यों के बीच में भेद है तो हमें इसका दंड मिलना चाहिये। किन्तु योजना का ढांचा, खाका अथवा रूपरेखा का उसके नाम से कोई अधिक महत्व नहीं है। योजना का ढांचा वस्तुतः एक प्रयास की तरह है जिसे सांख्यकी तथा विशेषज्ञ वृद्ध-योजना कहते हैं। अर्थात् बड़े पैमाने पर बड़े ढंग पर योजना बनाना। इस वृद्ध-योजना में हमारे उद्देश्य का आभास इस तरह मिलता है कि यदि ढांचे की प्रति कृति भिन्न होती तो हम अन्य मार्ग भी पकड़ सकते थे, यह एक बात है।

दूसरे योजना का ढांचा तैयार करते समय हमारे पास यथोचित सामग्री उपलब्ध नहीं थी। अन्यथा हमने योजना के ढांचे से कुछ अधिक ही बनाया होता। जिन योजना-निर्माताओं ने इसे निर्मित किया उन्होंने केन्द्रीय सरकार के कुछ मंत्रालयों के साथ सम्पर्क किया था। कुछ मंत्रालयों से उनको उनके उद्देश्यों तथा उन पर होने वाले वित्तीय-व्यय के सम्बन्ध में कुछ आभास मिला। अन्य मंत्रालयों की जानकारी प्रस्तुत नहीं थी। राज्य सरकारों के साथ उनका कोई सम्पर्क ही नहीं हुआ, यह बहुत महत्वपूर्ण बात है। यह बात आधी योजना के सम्बन्ध में है।

इसलिये उन्होंने औसत के आधार पर तथा पहिली योजना के आधार पर इस योजना को निर्मित किया। तथा भावी आवश्यकताओं के सामान्य विचार तथा २०, २५ वर्षों के भावी योजनाओं के आधार इत्यादि पर हमने यह योजना बनाई है। जब हमने योजना का विस्तृत विवरण तैयार किया, तो हमें गांवों, जिला परिषदों, जिला प्राधिकारियों, राज्य सरकारों, स्थानीय संस्थाओं, पोत प्रन्यास की तरह स्वायत्तशायी संस्थाओं, केन्द्रीय मंत्रालयों, उनके बोर्डों, तथा वैज्ञानिक संस्थाओं इत्यादि कई योजना प्राधिकारियों द्वारा निर्मित योजनाओं पर विचार करना पड़ा। उक्त सब योजनाओं का समन्वय करके उनका एकीकरण करना और तब उसमें इस प्रकार के परिवर्तन करना कि गैर-सरकारी क्षेत्र को क्या मिलेगा, बहुत जटिल कार्य है। किन्तु योजना-निर्माताओं, सरकार और अधिकारियों ने अपनी पूरी सच्चाई और परिश्रम से उन सब योजनाओं का अध्ययन किया और यह योजना उसी का परिणाम है।

हमें योजना के ढांचे में दिये गये प्रतिशतों का इस योजना पुस्तिका में दिये गये प्रतिशतों से तुलना करके अधिक समय व्यय नहीं करना चाहिये। मैं इस अन्तर के सम्बन्धित आरोपों की सार्थकता से परिचित हूं। जहां तक योजना की रूपरेखा का सम्बन्ध है, दो महत्वपूर्ण परिवर्तन किये गये हैं। पहिला, गैर-सरकारी क्षेत्र को योजना के ढांचे की तुलना में कुछ अधिक रियायतें दी गई हैं और दूसरे—चाहे वह सरकारी-क्षेत्र में हो अथवा गैर-सरकारी क्षेत्र में—योजना के ढांचे की तुलना में भारी मशीनों के लिये अपेक्षाकृत कम व्यवस्था की गई है।

जहां तक पहिले आरोप का सम्बन्ध है, औद्योगिक नीति के वक्तव्य के प्रकाश में इसे अधिक अच्छी तरह समझा जा सकता है। दूसरे, हमें तथ्यों पर तत्कालीन पुरानी औद्योगिक नीति के आधार

पर विचार करना पड़ता था। उदाहरण के लिये अल्यूमीनियम अथवा फोटो-मेंगनीज को लीजिये जिसका जिक्र श्री गोपालन ने किया था। इन वस्तुओं के सम्बन्ध में औद्योगिक नीति सम्बन्धी वक्तव्य के आधार पर कार्य किया गया था और मामला इतना आगे बढ़ गया था कि हम पीछे नहीं लौट सकते थे; अर्थात् इन वस्तुओं के सम्बन्ध में कुछ व्यक्तियों अथवा कुछ दलों को कारखाने खोलने की अनुमति दे दी गयी थी और वचन दे दिये गये थे। लेकिन, उदाहरणार्थ, अल्यूमीनियम अब सरकारी-क्षेत्र में ले लिया गया है। निस्संदेह इसका अग्रेतर विकास अब सरकारी-क्षेत्र में ही होगा और माननीय सदस्यों को इतने से सन्तोष करना चाहिये।

भारी मशीनों के सम्बन्ध में इस समस्या पर सामान्य रूप से दो दृष्टिकोण हो सकते हैं। या तो हम सामान्य रूप से ऐसी क्षमता विकसित करें जोकि विशेष आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके अथवा हम विशेष आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये विशेष उत्पादन एकक खोलें। पर्याप्त मांग होने पर अन्ततः हम इन दोनों प्रणालियों का मिश्रण कर सकते हैं। ऐसी चीजों के लिये जिनकी निरंतर और बड़े परिमाण में आवश्यकता होगी, उत्पादन के विशेष एकक खोलने होंगे। अन्य वस्तुओं के लिये हमें ऐस उपक्रमों पर निर्भर रहना पड़ेगा जोकि विभिन्न वस्तुओं को विभिन्न समय हमारी आवश्यकतानुसार बना देंगे। राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम में इस क्षेत्र में जो परियोजनायें शामिल हैं वे दूसरे प्रकार की हैं--यथा भारी ढलाई घर (हेवी फोन्ड्रीज) भारी ताप कुहन (हेवी फोर्ज) और भारी निर्माण सम्बन्धी छड़ें (हेवी स्ट्रक्चरल शेफ्ट) जिनमें औद्योगिक संयम के मुख्य उपकरण बनते हैं। बदलती हुई स्थिति के साथ ही उनके ऊपर डाला गया भार भी बढ़ाया या घटाया जा सकता है। यह भी समान रूप से आवश्यक है कि इसकी विशेष क्षमता का अधिक विकास किया जाये जिससे कि वह महत्वपूर्ण उद्योगों की जिनमें विशेष प्रकार की सामग्री की निरंतर मांग बनी रहने की संभावना है, मांग पूरी कर सके। गैर-सरकारी क्षेत्र में पहिले से ही कपड़ा उद्योग, पटसन उद्योग चीनी उद्योग तथा अन्य कई उद्योगों की मांगों को पूरी करने की क्षमता बढ़ रही है। यह स्पष्ट है कि कार्य की पुनरावृत्ति करने और वर्तमान उपक्रमों को समाप्त कर नये स्थापित करने से कोई लाभ नहीं है। इस्पात तथा कुछ अन्य बुनियादी उद्योगों के लिये भारी संयंत्र और मशीनें, निर्मित करने का दृढ़ निश्चय औद्योगिक नीति संकल्प के परिशिष्ट में शामिल कर लिया गया है, और हम स्वीकार करते हैं कि इनका विकास सरकारी-क्षेत्र में किया जाना चाहिये।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : श्री टी० टी० कृष्णमाचारी नें कुछ समय पूर्व यह कहा है कि गैर-सरकारी क्षेत्र में जहां पहिल वर्ग में कुछ मशीनों का विकास किया है, वहां भी कुछ अभाव रह गया है। क्या यह अभाव सरकारी-क्षेत्र द्वारा पूरा किया जायेगा अथवा गैर-सरकारी क्षेत्र इसे पूरा करेगा ?

†**श्री सी० डी० देशमुख** : यह इस बात पर निर्भर है कि कमी किस प्रकार की है। उदाहरण स्वरूप, यदि वर्तमान मशीनों की वृद्धि करके--सारे नियंत्रणों, विनियमों तथा लाभ पर नियंत्रण के रहते हुए भी--वे इनका अल्प-व्यय में उत्पादन कर सकें तो उन्हें विकसित न होने देने का कोई कारण नहीं है। हम प्रौद्योगिक रूप से अधिक कठिन वस्तुओं के निर्माण पर ध्यान आकर्षित कर रहे हैं और उद्देश्य को संक्षेप में इस प्रकार कहा जा सकता है कि किसी भी समय, विशेष रूप में तृतीय योजना की अवधि में, हम आशा करते हैं कि हम नये लोहे और इस्पात के कारखानों के अधिकांश हिस्से निर्माण करने में समर्थ हो जायेंगे। इस प्रकार यह हमारी महत्वाकांक्षाओं का पुञ्जीभूत रूप होगा।

---

†मूल अंग्रेजी में।

[श्री सी० डी० देशमुख]

जहां तक द्वितीय पंचवर्षीय योजना की अवधि का सम्बन्ध है, संयत्र के अधिकांश भागों को, जिनकी हमें इतनी अधिक और शीघ्र आवश्यकता है उन्हें अभी निर्मित कर सकना संभव नहीं है। हम वचन दे चुके हैं और इन वायदों में यह व्यवस्था की गई है कि जहां तक संभव होगा हम इन हिस्सों को अपने देश में निर्मित करेंगे, चाहे हम बुनियादी उद्योगों के लिये अधिक जटिल और भारी मशीनों का निर्माण न कर सकें। मेरे विचार से हम तृतीय योजना की अवधि में इस कार्य को करने के लिये भली प्रकार से प्रस्तुत हो जायेंगे। इसलिये हम उपलब्ध समय का जो कि विषय की जटिलता के विचार से अधिक नहीं है--टेक्नीकल और निर्माण सम्बन्धी कार्यों में, तथा विदेशों से प्रशिल्पिक तथा परामर्शदाताओं की नियुक्ति करने तथा विस्तृत योजनायें बनाने में उपयोग कर सकते हैं। इसी के आधार पर हमने भारी मशीनों को शामिल करने की व्यवस्था की है। जैसा कि *प्रधान मंत्री* ने कहा है योजना में लचीलापन भी है। आगे बढ़ने पर इन बातों में सुधार करना भी संभव है। योजना के ढांचे के सम्बन्ध में मैं इतना ही कहना चाहता हूं।

जहां तक प्राथमिकताओं का प्रश्न है, उनके बारे में अधिक बातें नहीं कही गई हैं। केवल मेरे पूर्ववक्ता ने एक बात का जिक्र किया है। मैं उनके इस सुझाव से सहमत नहीं हूं कि एक अरब रुपया राष्ट्रीय विस्तार कार्य से लेकर सिंचाई में लगाया जाय और आय के नये साधन ढूंढ़े जायें। नये साधन तो ढूंढे ही जायेंगे किन्तु एक अरब रुपया तो नमक पर कर लगा कर हासिल किया जा सकता है और एक अरब मद्यनिषेध को लागू न करके बचाया जा सकता है। इस बचत पर तो सभा सहमत है किन्तु नमक के कर पर भी जब कभी सभा सहमत होगी तब वित्त मंत्रालय इस साधन से अवश्य लाभ उठायेगा।

†**श्री रामचन्द्र रेड्डी** : सरकार की नीति तो बदल सकती है।

†**श्री सी० डी० देशमुख** : आप का कथन तो बड़ा चातुर्यपूर्ण है किन्तु शायद आपका अभिप्राय मद्यनिषेध के पक्ष में है। हां, तो मैं कह रहा था कि मैं राष्ट्रीय विस्तार का रुपया सिंचाई के लिये नहीं लेना चाहता। सिंचाई से कृषि-उत्पादन में वृद्धि अवश्य होती है किन्तु इस उत्पादन का हमने पहले ही कम अनुमान लगाया है। मेरा तो विश्वास है कि अनुमान की अपेक्षा उत्पादन कहीं अधिक सिद्ध होगा जिसका कारण सिंचाई अथवा उर्वरक नहीं बल्कि खेती के उन्नत तरीके हैं, विशेषत: अच्छे बीजों का होना और उनमें वृद्धि करना है। अच्छे बीजों का परिणाम मैंने स्वयं देखा है। मैंने एक राष्ट्रीय विस्तार फार्म देखा है जिसमें स्थानीय गेहूं के साथ-साथ बढ़िया किस्म के गेहूं बोये गये थे। वहां स्थानीय गेहूं प्रति एकड़ आठ मन के करीब हुए थे जब कि बढ़िया बीज के गेहूं पच्चीस-तीस मन प्रति एकड़ हुए थे। ऐसे प्रयत्न विशेष रूप से मक्का की खेती में अधिक सफल हुए हैं जो ८८ मन प्रति एकड़ तक हुई है। अत: मैं समझता हूं कि राष्ट्रीय विस्तार आन्दोलन द्वारा कृषि-उत्पादन में बहुत वृद्धि होगी।

†**श्री नम्बियार** (मयूरम्) : क्या उत्पादन में चालीस-पचास प्रतिशत वृद्धि हो जायेगी ?

†**श्री सी० डी० देशमुख** : मैं कोई प्रतिशत निश्चित रूप से नहीं बता सकता। शायद श्री अशोक मेहता ने यह प्रश्न किया था कि १८ प्रतिशत से एकदम ४० प्रतिशत वृद्धि हो जायेगी और इस के लिये परिवहन आदि का क्या होगा ? मेरे विचार से लक्ष्य से कम उत्पादन होना गम्भीर अवश्य है किन्तु लक्ष्य से बहुत अधिक उत्पादन होना उससे भी गम्भीर है।

†मूल अंग्रेजी में।

हमारे विचार से कृषि उत्पादन प्रति वर्ष बीस लाख टन से अधिक नहीं बढ़ेगा और पांच वर्ष में एक करोड़ टन वृद्धि का अर्थ १८ प्रतिशत वृद्धि है। यदि हमारी वृद्धि प्रति वर्ष दुगनी भी होने लगे तब भी योजना की अपेक्षा बीस और तीस लाख टन के बीच वृद्धि होगी।

†**कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख)** : केवल योजना ही नहीं इतनी वृद्धि तो वस्तुतः हो चुकी है।

†**श्री सी० डी० देशमुख** : मेरा अभिप्राय द्वितीय योजना के उपबन्ध से है जब कि मेरे मित्र प्रथम योजना का जिक्र कर रहे हैं। प्रथम योजना में भी लगभग अठ्ठारह प्रतिशत वृद्धि हुई थी।

†**डा० पी० एस० देशमुख** : प्रति वर्ष वृद्धि १ करोड़ २० लाख ७५ हजार टन थी।

†**श्री सी० डी० देशमुख** : उसकी तुलना में अब बीस-तीस लाख टन वृद्धि और हो सकती है। हमने ४५ लाख टन के यातायात और खपत का उपबन्ध किया है अतः हम इस विषय में चिन्तित नहीं हैं। यह वृद्धि अथवा कमी वर्षा पर निभर करती है। मैं वृद्धि के प्रश्न को गम्भीर नहीं समझता।

जब अन्न उत्पादन में वृद्धि होगी तो हम उसका एक उपयोग कर सकते हैं। या तो हम यह निश्चय करलें कि हमारी आन्तरिक शक्ति पर इस वृद्धि से कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ेगा और यदि ऐसा न हो तो हम इसका यह अर्थ निकाल सकते हैं कि इस वृद्धिगत अन्न की खपत देश में नहीं होगी और जैसा कि प्रधान मंत्री ने कहा है हम उसका निर्यात कर सकते हैं। निर्यात के लिये विश्व के बाजार में हम दूसरों से होड़ लगा सकते हैं। हम देखते हैं कि विश्व में गेहूं और चावल दोनों के भाव हमारे देश के भावों से अधिक हैं। हम बीस-तीस लाख टन अनाज का प्रति वर्ष निर्यात कर सकते हैं और यदि हम निर्यात करें तो बीस लाख टन अनाज से ८० करोड़ रुपया कमाया जा सकता है और पांच वर्ष में हमें ४ अरब रुपये की प्राप्ति हो सकती है। अतएव वृद्धिगत उत्पादन का हम इस प्रकार निबटारा कर सकते हैं।

अब मैं संसाधन के प्रश्न को लेता हूं। कल मैंने आय की विभिन्नताओं एवं असमानताओं के सम्बन्ध में इस प्रश्न पर कुछ कहा था। मेरा मत यही है कि योजना आयोग ने काफी विस्तार से वे तरीके बताये हैं जिनके आधार पर वित्तीय प्राधिकारी ८ अरब से लेकर १० अरब तक आय-वृद्धि कर सकते हैं।

करारोपण तथा उधार और बचत में एक सम्बन्ध रहता है। कुछ सदस्यों ने यह कहा है कि कर में भी वृद्धि हो सकती है और उधार तथा बचत में भी हो सकती है किन्तु मेरी धारणा यह है कि एक सामान्य नागरिक जो कुछ धन बचाता है उसके लिये अतिरिक्त करों को देने के बाद कुछ बचाना संभव नहीं होगा। ऐसी दशा में हमें अपनी आय की दोहरी गणना की शंका रहती है। उदाहरण के लिये दो या तीन अरब रुपयों के आंकड़े लीजिये जिनके बारे में प्रोफेसर कॉलडर का कहना है कि ये रुपये करारोपण से प्राप्त हो सकेंगे।

†**श्री ए० एम० थामस** (एरणाकुलम्) : अतिरिक्त करारोपण से नहीं, बल्कि इतना धन तो कर देने वाले टाल देते हैं जिससे आय को हानि हो रही है।

†**श्री सी० डी० देशमुख** : मैं विस्तृत आंकड़े बाद में लूंगा। अभी तो मैं एक उदाहरण दे रहा हूं। प्रोफेसर कालडर के आंकड़े न सही, वैसे ही मान लीजिये कि २ अरब रुपये के कर लगाये जाते

†मूल अंग्रेजी में।

[श्री सी० डी० देशमुख]

हैं। ऐसी हालत में उनके कारण उधार और बचत पर दुष्प्रभाव पड़ेगा। हमें यह विचार करना होगा कि कौन से वर्गों पर कर लगाया जा रहा है, इससे प्रति वर्ष वे कितना उधार लेते हैं और बचत आंदोलन में उनका क्या भाग है। हम जानते हैं कि इससे अधिकांश रूप में नगर क्षेत्रों के लोग रुपया उधार लेते हैं। इतना अवश्य है कि कुछ राज्यों ने ग्राम-क्षेत्रों में बचत के रूप में काफी धनोपार्जन किया है। मद्रास इसमें अधिक सफल हुआ है और ये तरीके अन्य क्षेत्रों में भी अपनाये जाते हैं। छोटी बचत में उत्तर प्रदेश को बहुत सफलता मिली है किन्तु हमें बचत का जाल सारे ग्राम-क्षेत्रों में फैला देना है। जो क्षेत्र अभी बिल्कुल नये हैं वहां बचत की और भी अधिक संभावना है। किन्तु जब हम नगर-क्षेत्रों को लेते हैं तो हमें उन वर्गों के बारे में सोचना पड़ता है जो हमें सीधे रूप में कर देते हैं और उधार तथा बचत में भी योग देते हैं इसलिये उनके बारे में हमें दोहरी गणना नहीं करनी चाहिये कि वे अधिक कर भी देते रहेंगे और बचत भी करते रहेंगे। यही बात मैं स्पष्ट करना चाहता हूं।

करारोपण के बारे में एक बात श्री त्रिपाठी ने भी कही है। वे कहते हैं कि श्रमिकों की मजदूरी बढ़ा दीजिये और उनसे कर के रूप में वही धन वसूल करने में अधिक आसानी हो जायेगी। संभवतः वे यह भूल गये हैं कि आय-कर के स्तर अलग-अलग हैं। शायद उनका अभिप्राय यह नहीं था। मैं तो श्री अशोक मेहता के सिद्धान्त का समर्थन करता हूं। यदि आय चारों ओर बिखरी हुई हो तो उसे हासिल करना बड़ा कठिन हो जाता है इस सिद्धान्त को मैं ठीक नहीं समझता। चाहे आय कितनी ही बिखरी हुई क्यों न हो हमें कोई हानि नहीं है।

†**श्री के० पी० त्रिपाठी** (दरांग) : बिखरी हुई आय के कारण पाश्चात्य देशों में उन्हें वसूल करने में क्या आसानी नहीं होती ?

†**श्री सी० डी० देशमुख** : पाश्चात्य देशों में कर की मूल दरें यहां से कहीं अधिक हैं। वहां तो प्रणाली ही दूसरी है। मैं तो इस देश की स्थिति के अनुसार अपने विचार प्रकट कर रहा हूं। हमारे यहां ३६ करोड़ जनता में केवल तीस-चालीस लाख मजदूर हैं जब कि पाश्चात्य देशों में वहां की जन-संख्या के अनुपात में श्रमिकों की संख्या बहुत है। इसके अतिरिक्त हमारे यहां रियायतें बहुत दी गई हैं। हम श्रमिकों से कोई आयकर नहीं लेते। यदि भविष्य में हम अपनी कराधान प्रणाली में कोई परिवर्तन करें तो बात दूसरी है अन्यथा केवल वित्त मंत्री को सुविधा देने के लिये मजदूरों की मजूरी बढ़ाने में कोई हित नहीं है। यह सुझाव आकर्षक अवश्य है फिर भी मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता। किन्तु, इसका यह अर्थ नहीं कि मजदूरों को जितना मिलना चाहिये उतना उन्हें न दिया जाय। इस विषय पर मैं अधिक नहीं कहना चाहता क्योंकि यह मेरा क्षेत्र नहीं है। इस बारे में श्रम मंत्री अधिक प्रकाश डाल सकते हैं। वे श्रम परिषद् के सभापति भी थे। मैं तो यह कहना चाहता हूं कि कर वसूल करने के छोटे साधनों में सुविधायें होनी चाहियें। मैं श्री अशोक मेहता के इस कथन से सहमत हूं कि इस योजना से जनता के पास बहुत सा अनावश्यक धन एकत्र हो जायेगा और उसे एकत्र करने की ओर हमें ध्यान देना चाहिये।

†**श्री के० पी० त्रिपाठी** : मेरा दूसरा सुझाव यह था कि मजूरी बढ़ा कर मजदूरों के लिये भविष्य निधि खोली जा सकती है जिससे वह रुपया सरकार के पास जमा हो सके।

†**श्री सी० डी० देशमुख** : यह तो मजूरी बढ़ाने का दूसरा ढंग है। वे अपने परिश्रम से कितना कमा सकते हैं उतना तो ठीक है और उनके लिये हम भविष्य निधि का प्रबन्ध भी कर सकते हैं किन्तु मैं इस सिद्धान्त को नहीं मानता कि उनकी मजूरी इसलिये बढ़ा दी जाये कि कर वसूल करने में आसानी

†मूल अंग्रेजी में ।

हो सके। मैं यह अवश्य मानता हूं कि जनता के पास जो अनावश्यक धन एकत्र हो उसे वसूल करने का प्रयत्न किया जाये। इसका अभिप्राय यह है कि जो धनी हैं उन्हें अधिक धनी न बनाने दिया जाये और उनके पास यदि धन एकत्र हो जाये तो उसे वसूल किया जाये। इसमें मेरी नियोग्यता केवल यह है कि मैं यह बताने की स्थिति में नहीं हूं कि योजना के पहले वर्ष, दूसरे वर्ष, तीसरे वर्ष, चौथे वर्ष या पांचवें वर्ष में मैं क्या करूंगा। सम्पदा शुल्क कब लगाये जायेंगे, परिदान कर के सम्बन्ध में हमारा दृष्टिकोण क्या होगा, धन पर करारोपण के लिये हम किस सीमा तक जाने के लिये तैयार हैं, पूंजी लाभ के सम्बन्ध में क्या विचार हैं; मुझे आशा है कि उचित समय पर मैं इन सभी प्रश्नों का उत्तर दे सकूंगा। योजना आयोग ने अपने प्रतिवेदन में जो कुछ कहा है उससे अधिक स्पष्ट शब्दों में मैं कुछ नहीं कह सकता हूं।

कर अपवंचन के सम्बन्ध में प्रोफेसर कालडर ने जो आंकड़े दिये हैं उन पर काफी ध्यान दिया गया है। मुझे आशा है कि जब मैं लोक-सभा पटल पर प्रतिवेदन की एक प्रतिलिपि रखूंगा तो उस समय इस सम्बन्ध में अपनी गणना से सम्बन्धित केन्द्रीय राजस्व बोर्ड की एक टिप्पणी भी रख सकूंगा।

यह सदस्यों का अपना दृष्टिकोण है कि वे इस सम्बन्ध में संदेह, अविश्वास, मनमाना या अन्य कैसा भी रवैया अपनी इच्छानुसार अपनायें, अर्थ शास्त्री तथा अन्य विशेषज्ञ भी इन आंकड़ों का अध्ययन कर रहे होंगे और हमें आशा है कि अन्त में परिणाम सत्यमेव जयते होगा।

मैं उन तर्कों की यहां इसलिये चर्चा नहीं कर रहा हूं कि ये तर्क बहुत ही विवाद-ग्रस्त हैं और ऐसे भाषण में उनकी चर्चा नहीं की जा सकती है। परन्तु मैं यह इसलिये कह रहा हूं कि हमारे विचार में प्रोफेसर कालडर द्वारा जो प्राक्कलन प्रस्तुत किए गए हैं वे अत्यधिक हैं। वह शुद्ध प्रदा के प्राक्कलनों से गणना करते हैं।

†**श्री ए० एम० थामस** : प्रोफेसर कालडर को केन्द्रीय राजस्व बोर्ड ने आंकड़े दिये होंगे और उनके आधार पर उन्होंने गणना की होगी।

†**श्री सी० डी० देशमुख** : जी नहीं, भारतीय सांख्यिकी संस्था ने ये आंकड़े दिए थे।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : अपने प्राक्कथन में उन्होंने कहा है कि आंकड़े राजस्व विभाग ने दिये हैं।

†**श्री सी० डी० देशमुख** : कोई विशिष्ट आंकड़ा ठीक है या गलत हम इस सम्बन्ध में अपने आप को भ्रांत क्यों कर रहे हैं? मैं केवल लोक-सभा के समक्ष दूसरा पहलू रखना चाहता हूं। आखिर लोक-सभा को यह मालूम करने से क्या लाभ होगा कि ये आंकड़े अत्यधिक हैं। मान लीजिये हम यह देखते हैं कि कुछ कम आंकड़े लेने चाहियें; क्या वे ये नहीं कहेंगे : "हां, अब हमें मालूम है हमारी परिस्थिति क्या है"? यह हट क्यों है कि प्रोफेसर कालडर अवश्य ही ठीक कह रहे हैं और इसलिये ३०० करोड़ रुपये की रकम अवश्य ही मान लेनी चाहिये? कुछ भी हो, मुझे इस विषय में अपनी बात कहने का अधिकार है क्योंकि इस सम्बन्ध में परिणामों का प्रशासी उत्तरदायित्व मुझ पर होगा और इसलिये कम से कम मैं इस बात का दावा कर सकता हूं कि मुझे बोलने की अनुमति दी जाये। इसलिये बिना किसी वाद-विवाद में जाते हुए मैं यह बताना चाहता हूं कि प्रोफेसर कालडर ने अर्थ-व्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में शुद्ध प्रदा के प्राक्कलनों से आंकड़े लिये हैं, यदि प्रोफेसर कालडर एक और वक्तव्य दे दें तो मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी, ये वे आंकड़े हैं जिन्हें हम वैज्ञानिक रूप से प्रस्तुत करेंगे। वेतन, हित, लाभ तथा किराया कितना होने की सम्भावना है, फिर अन्तिम मदों पर वह कुछ प्रतिशतताओं का प्राक्कलन

†मूल अंग्रेजी में।

[श्री सी० डी० देशमुख]

करते हैं। श्री कालडर ने यह मालूम किया है कि कर की भागी मजूरी तथा वेतन के अतिरिक्त कुल आय १,१४२ करोड़ रुपये होनी चाहिये, जैसा कि इस समय अगणित किया गया है, न कि ५७२ करोड़ रुपये। हम यह अनुभव करते हैं कि इस तर्क में अनुमान बहुत है और यह धारणा कि सभी प्रकार की आय के सम्बन्ध में कर टालने की आय का अनुपात एक ही होता है प्रश्नास्पद है। यह हो सकता है कि ५,००० या ६,००० या १०,००० रुपये के इर्द-गिर्द की बहुत-सी सीमान्त आय-कर से बच जाती हों, परन्तु यदि यही बात हो तो भी इससे बहुत अधिक राशि प्राप्त न होगी। दूसरे शब्दों में, यदि आप कर से बचने वाली आय के आंकड़े के सम्बन्ध में सहमत भी हो जायें तब भी आपको यह गणना करनी होगी कि यदि वे आय निर्धारित की जायें तो कितना कर मिलेगा और यह बात उस क्षेत्र पर निर्भर होगी जो कर टालता होगा। इसलिये इस प्रकार सूक्ष्म दृष्टि से योजनायें बनाने से सदैव ठीक उत्तर नहीं मिल पाता है। मैंने एक या दो बार स्वयं ३० करोड़ रुपये का प्राक्कलन बताया था। हो सकता है कि यह रकम ४० करोड़ रुपये हो। परन्तु यदि यह इससे भी बहुत अधिक हो तो मुझे अत्यधिक आश्चर्य होगा। चाहे कुछ हो, हमें जो राशि प्राप्त हो सकेगी वह अवश्य ही हमारे काम आएगी। यह कोई भी नहीं कहता है कि कर टालने वाली आय पर कर न लगाया जाए और माननीय सदस्य श्री कामत ने जिस प्रकार का संकल्प प्रस्तुत किया है उस पर अभी हमें अपने विचार प्रकट करने हैं। यह एक ऐसा विषय है जिसका विरोध नहीं किया गया है। इसलिये मेरे विचार में अभी भी हमारे सामने यह समस्या शेष रह जाती है कि संसाधनों को कैसे बढ़ाया जाये। इस सम्बन्ध में मेरे और कुछ कहने का लाभ न होगा।

एक या दो अन्य बातें हैं। उधार तथा बचत के सम्बन्ध में हमें अधिक समय लेने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि मैं यह अनुभव करता हूं कि उधार की प्रत्याशित राशि हमें प्राप्त हो जायेगी। मुझे यह भी आशा है कि एक बार उचित गति से कार्य प्रारम्भ होने पर हमने छोटी बचत के सम्बन्ध में जो राशि निश्चित की है, बिना किसी को परेशान किये कम से कम उतनी राशि प्राप्त करना सम्भव होगा। मैं इस सुझाव को अस्वीकार करता हूं कि हमें अनिवार्य रूप से ऋण लेने जैसी कोई कार्यवाही अपनानी चाहिये। जहां तक आप अनिवार्य रूप से ऋण लेंगे आप बचत नहीं कर सकते हैं। आप अनिवार्य ऋण तथा बचत दोनों बातें नहीं रख सकते हैं। मुझे ऐसी कोई योजना सोचने में बहुत कठिनाई अनुभव हो रही है जिसमें स्वैच्छिक ऋण तथा अनिवार्य ऋण दोनों ही बातें होंगी। या तो वे केवल स्वेच्छिक ही हो सकते हैं या केवल अनिवार्य हो सकते हैं।

†**श्री ए० एम० थामस** : एक बार वित्त मंत्री ने यह कहा था कि यदि धन एकत्रित न हो सका तो वह असाधारण उपायों से काम लेंगे।

†**श्री सी० डी० देशमुख** : यह विशिष्ट असाधारणता उसमें सम्मिलित नहीं है।

अब मैं कुछ शब्द वैदेशिक संसाधनों के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं। जैसा कि माननीय सदस्य जानते हैं, विदेशी विनिमय में अन्तर १,१०० करोड़ रुपये का है और हमारा विचार है कि संचित पौंड पावना में से २०० करोड़ रुपये का उपयोग किया जा सकता है। इसलिये विदेश से संसाधनों की शुद्ध आय के रूप में ९०० करोड़ रुपये प्राप्त करने होंगे। यदि हम अपने कृषि उत्पादन को उस सीमा तक बढ़ा सकें या सुधार कर सकें जिस सीमा तक उपयोग के लिये उसकी आवश्यकता है तो इससे हमें अपने आयात में कमी करने या निर्यात द्वारा कुछ धन कमाने में सहायता भी मिल सकती है। जो अन्य उपाय वहां दिये गये हैं वे इस प्रकार हैं—अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं से ऋण, संसार की सामान्य मंडियों से ऋण, अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं से अनुदान, महाजनों से ऋण, आदि, आदि। जिस बात के बारे में हमारे

†मूल अंग्रेजी में।

और दूसरी ओर के कुछ सदस्यों के बीच सैद्धांतिक मतभेद है, वह विदेशी नियोजन की बात है। मैं स्वयं यह महसूस करता हूं कि यह केवल धन का ही प्रश्न नहीं है, अपितु प्रौद्योगिकीय उन्नति इत्यादि का भी है मैं समझता हूं कि दोनों बातें आपस में मिली जुली हैं और यदि थोड़ा बहुत विदेशी नियोजन हो जाता है, तो उसको मना करना हमारे लिये ठीक नहीं है। जो आंकड़े हमने प्रस्तुत किये हैं, वे ज्यादा नहीं हैं और गत सात वर्षों में इस देश में जितना विदेशी धन लगा है, उसको देखते हुए वह संख्या बिल्कुल ठीक है। मेरे विचार में वह संख्या १३० करोड़ रुपये थी।

एक यह सुझाव दिया गया है कि हमें विदेशी विशेषज्ञों (विदेशों को धन भेजने) में कमी करके अथवा उन लोगों से जो इस देश मे लाभ उठाते हैं और जो विदेशों को लाभांश भेजना चाहते हैं उनसे अनिवार्य ऋण लेकर अथवा पुनर्दिशावर्तन रोक कर संसाधनों में वृद्धि करनी चाहिये। ये सारे उपाय निराशा के द्योतक हैं और एक आदरणीय देश को इनको नहीं अपनाना चाहिये। दूसरे, व्यापार की दृष्टि से इसका अर्थ यह है कि हम राजनीति के एक दूसरे ही स्तर पर आना चाहते हैं। क्या हम कभी अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों से, उदाहरणत: विश्व बैंक और अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि से सम्बन्ध तोड़ सकते हैं। हम उनके सदस्य हैं और जब तक हम उनके सदस्य होंगे, हमें उनके नियमों को मानना पड़ेगा। एक उदाहरण लीजिये। हम पुनर्निर्माण और विकास के मामलों में ही विश्व बैंक और अन्तर्राष्ट्रीय मद्रा-निधि के सदस्य नहीं बन सकते और लाभांशों को बाहर भेजने से नहीं रोक सकते तथा विदेशियों से अनिवार्य ऋण नहीं ले सकते, यद्यपि एक सदस्य-देश की विनिमय-स्थिरता कायम रखने के लिये पूंजी का बाहर भेजा जाना विनियमित किया जा सकता है। लेकिन यदि हम इन संगठनों के नियमों का उल्लंघन करेंगे, तो हमें इन अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं से ऋण लेने का कोई अधिकार नहीं रहेगा और इस प्रकार से कुछ संसाधन प्राप्त करने के बजाय हमें इन संसाधनों का नुकसान हो जायेगा। कुछ भी सहो, हमें यह विश्वास है कि इन उपायों का अपनाया जाना बुद्धिमानी का काम नहीं है और जैसा कि मैंने कहा यह देश के लिये अपमान की बात है, यद्यपि जहां तक परिस्थितियों का प्रश्न है, वे इतनी निराशाजनक नहीं है कि इस प्रकार का मार्ग न अपनाया जा सके।

†**श्री मात्तन** (तिरुवल्ला) : क्या आप विदेशियों से यहां धन लगाने के लिये कह रहे हैं ?

†**श्री सी० डी० दशमुख** : हम उनसे कह नहीं रहे हैं, अपितु उनको ऐसा करने के लिये प्रोत्साहन दे रहे हैं। हम औद्योगिक नीति सम्बन्धी संकल्प में यह कहने जा रहे हैं कि जहां तक विदेशी नियोजन का प्रश्न है हमने औद्योगिक नीति सम्बन्धी विगत वक्तव्य में जो कहा है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। हमने इस बात को स्वीकार कर लिया है और इसीलिये माननीय सदस्य ने जिस मार्ग का सुझाव दिया, हम उसको नहीं मान सकते। अन्तिम बात मैं घाटे की अर्थ व्यवस्था के बारे में कहूंगा। जितनी हमको बाहरी सहायता मिलती है, उससे देश के अन्दर घाटे की व्यवस्था के कुपरिणाम कम हो जायेंगे, क्योंकि विदेशों से उसी सीमा तक सहायता मिलेगी, जहां तक हमें अपने पैरों पर खड़े होना है। इसका अर्थ यह होगा कि हमें अतिरिक्त संसाधन जुटाने पड़ेंगे, जिसको हमें चालू उपभोग से बचा कर कहीं और लगाना पड़ेगा और इससे घाटे की अर्थ-व्यवस्था की समस्या और भी कठिन हो जायेगी। अत: ये दोनों चीजें और साथ ही साथ कराधान सब एक साथ ही बंधे हुये हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि एक में परिवर्तन किया जाये और दूसरे पर उसका प्रभाव न पड़े। जितना ही हम अधिक कर लगाने में सफल हो सकेंगे और छोटी-छोटी बचतों से पैसा प्राप्त कर सकेंगे, उतनी ही घाटे की अर्थ व्यवस्था खतरनाक नहीं होगी। साथ ही, जितनी हमको विदेशी सहायता

†मूल अंग्रेजी में।

[श्री सी० डी० देशमुख]

मिलेगी, उतनी ही घाटे की अर्थ व्यवस्था की जा सकेगी। अतः ये तीनों बातें एक दूसरे से सम्बन्धित हैं और जैसा कि मैंने कहा, यदि एक में परिवर्तन किया जायेगा, तो उसका प्रभाव दूसरे पर अवश्य पड़ेगा ।

अन्तिम प्रश्न भावों के बारे में है, जिसको दूसरी ओर की महिला सदस्या ने उठाया था। हमने भावों के बढ़ने की स्थिति तथा सामान्य आर्थिक स्थिति का अध्ययन कर लिया है और हम इस परिणाम पर पहुंचे हैं कि भावों में जो वृद्धि हो रही है, उससे डरने का कोई कारण नहीं है और स्थिति काबू में है। भावों के बढ़ने से जहां तक कृषक वर्ग को लाभ हुआ है, वहां तक हम साथ देंगे क्योंकि पहले जब कृषि उत्पादों के मूल्य बहुत कम थे, उस स्थिति के लिये आज के मूल्यों ने शोधक का काम किया है। भविष्य के लिये भावों, उत्पादन मुद्रा प्रदाय, बैंक ऋण पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। सरकार को इसका पूरा ध्यान है और मैं सभा को विश्वास दिलाता हूं कि उचित समय पर हम आवश्यक कार्यवाही करेंगे ।

†**श्री एन० सी० चटर्जी** (हुगली) : मुझे प्रसन्नता है कि हमने अपने देश की एक महान आत्मा अर्थात् महात्मा बुद्ध के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित की है। मुझे आशा थी कि बुद्ध जयन्ती के अवसर पर राष्ट्रपति अथवा प्रधान मंत्री की ओर से कोई सन्देश जारी किया जायेगा। महात्मा बुद्ध ने आत्मिक और नैतिक आधारों पर इस राष्ट्र का निर्माण करना चाहा था। अतः जब हम उनका नाम लेते हैं, तो हमें अपने देशवासियों से ऐसी कोई गलत बात नहीं कहनी चाहिये कि देश में कृषि का उत्पादन १५ प्रतिशत से ३५ या ४० प्रतिशत होने लगेगा। हमें इस प्रकार का गलत प्रचार नहीं करना चाहिये और देशवासियों तथा अन्य देशों को भुलावे में नहीं रखना चाहिये। मैं यह मानता हूं कि योजना में बड़ी-बड़ी अच्छी बातें रखी गई हैं, किन्तु मुझे इसका खेद है कि यह काल्पनिक हैं। इसमें पांच कमियां हैं, जिनकी ओर ध्यान देना आवश्यक है ।

प्रथमतः इस में रक्षित निधि का अभाव है; दूसरे, घाटे की अर्थ व्यवस्था से मुद्रा स्फीति का खतरा है; तीसरे, इसमें सड़क परिवहन की ओर उपयुक्त ध्यान नहीं दिया गया है; चौथे, इसमें नौकरशाही का खतरा है और पांचवें, इसमें रक्षा का उचित कार्यक्रम नहीं है और सर्वतोमुखी क्षेत्रिक सुधार की ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया है ।

वित्त के सम्बन्ध में हम ४,८०० करोड़ रुपये जुटाने की योजना बना रहे हैं। केन्द्र और राज्य-सरकारों के आय-व्ययक सम्बन्धी संसाधनों से २,४०० करोड़ रुपये मिलने की आशा है। समस्या यह है कि २,४०० करोड़ रुपये कहां से पूरे किये जायें। बंगाल के मुख्य मंत्री डा० विधान चन्द्र राय, के कथनानुसार द्वितीय पंचवर्षीय योजना की पूर्त्ति के लिये जो खर्चा होगा, वह देश के काबू से बाहर होगा। पंडित हृदय नाथ कुंजरु जैसे व्यक्तियों के मुख से भी मुझे यह सुनकर बड़ा दुःख हुआ कि उनको इस बात में सन्देह है कि सरकार इतना धन जुटा सकेगी ?

सम्भव है कि डा० राय और पंडित कुंजरु को पूरी जानकारी प्राप्त न हुई हो, किन्तु योजना आयोग के एक सदस्य के मुख से यह सुन कर मुझे बहुत दुःख हुआ कि मुद्रा-स्फीति अधिक कर और कठोर नियन्त्रण की चट्टान पर द्वितीय पंचवर्षीय योजना के सारे अनुमान चूर-चूर हो सकते हैं। यह बात श्री नियोगी द्वारा कही गई है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में परियोजनाओं की प्राथमिकता निश्चित कर ली जाये और परिवहन की ओर विशेष ध्यान दिया जाये। श्री नियोगी ने बताया है कि योजना के लिये लोक क्षेत्र से ४,८०० करोड़ रुपये प्राप्त करने की बात कल्पना पर आधारित है ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

इसके आगे उनका कहना है कि ऐसे लक्षण मालूम पड़ते हैं कि राजस्व अतिरेक पर्याप्त नहीं होगी। उन्होंने आगे बताया है कि यह आशा करना भी व्यर्थ है कि राज्य अधिक कर लगा कर कुछ धन जुटा सकेंगे, क्योंकि अभी हाल ही में निकटवर्ती राज्य ने बिक्री कर में जो वृद्धि की, उसके परिणाम हम देख ही चुके हैं। श्री नियोगी ने बताया कि घाटे की अर्थ व्यवस्था से एक बार ही मुद्रा-स्फीति होने से योजना के सम्बन्ध में किये गये सारे अनुमान व्यर्थ हो जायेंगे। मैं चाहता हूं कि वित्त मंत्री स्पष्ट शब्दों में यह बतायें कि श्री नियोगी ने जो कुछ कहा है, वह कहां तक ठीक है।

श्री नियोगी का कहना है कि नियत आय वाले वर्गों के लोगों पर घाटे की इस अर्थ व्यवस्था से पूंजी निर्माण का सबसे अधिक प्रभाव पड़ेगा।

अन्त में श्री नियोगी कहते हैं कि मुद्रा-स्फीति, अधिक कराधान तथा कठोर नियन्त्रणों से समाज के विभिन्न वर्गों में अनैतिकता फैल जायेगी।

योजना मंत्री ने अपने एक भाषण में मेरा ध्यान द्वितीय पंचवर्षीय योजना के पृष्ठ ६१७ की ओर आकर्षित किया और बताया कि श्री नियोगी ने इस पर हस्ताक्षर किये हैं। मैं केवल यह देखकर परेशान हूं कि स्वयं योजना बनाने वालों में अस्थिरमनस्कता है। मेरा ख्याल था कि श्री जवाहर लाल नेहरू, सभापति, श्री कृष्णमाचारी, श्री नन्दा, श्री देशमुख आदि श्री नियोगी के इन तर्कों पर विचार करेंगे और कहेंगे कि श्री नियोगी का कहना गलत है तथा १२,०० करोड़ रुपये की घाटे की अर्थ व्यवस्था से समाज में अनैतिकता नहीं फैलेगी। किन्तु मैं यह देखकर बहुत चकित हुआ कि सारे ही सदस्यों ने योजना के अन्तिम अध्याय में श्री नियोगी के कथन को अंकित किया है। उन्होंने ऐसे कोई आंकड़े प्रस्तुत नहीं किये हैं, अथवा ऐसे कोई आंकड़े नहीं दिये हैं; जिनसे यह पता चल सके कि श्री नियोगी का कहना गलत है।

जहां तक उद्देश्यों का सम्बन्ध है, मुझे इस बात की खुशी है कि साम्यवादी साथियों ने अपने विचार बदल दिये हैं। उद्देश्य ये हैं (१) राष्ट्रीय आय में वृद्धि हो, (२) असमानतायें दूर हों और (३) रोजगार के लिये अधिक से अधिक अवसर प्राप्त हों। इन उद्देश्यों से तो कोई असहमत नहीं हो सकता किन्तु प्रश्न उद्देश्यों का ही नहीं है, अपितु प्राथमिकताओं का है और यह है कि क्या उपलब्ध संसाधनों के रहते हुए हम उन उद्देश्यों को पूरा कर सकेंगे।

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

हमारी अर्थ-व्यवस्था को प्रगतिशील और गतिमान बनाने के लिये आप को अपने प्रशासकीय सुझाव में कुछ परिवर्तन करना होगा। पर हमें डर है कि कहीं नौकरशाही शासन व्यवस्था न फैल जाये क्योंकि हमारी शासन व्यवस्था अभी भी बहुत पुराने ढंग की है।

वित्त मंत्री ने बताया कि मुद्रास्फीति का कोई भय नहीं है। आप बताते हैं कि हमारी राष्ट्रीय आय १८ प्रतिशत बढ़ गयी है और प्रति व्यक्ति आय ११ प्रतिशत बढ़ गयी है, पर हम देखते हैं कि मुद्रा-स्फीति बढ़ी हुई है। तेल, चावल तथा अन्य चीजों के मूल्य बहुत बढ़ गये हैं। वित्त मंत्री तथा योजना मंत्री इसको रोकने के लिये क्या कर रहे हैं?

हमें जो आंकड़े दिये गये हैं उनके बारे में हमें कुछ भी नहीं कहना है, पर समिति में सदस्यों ने १८ प्रतिशत और ११ प्रतिशत की वृद्धि के बारे में सन्देह प्रकट किया था। मुझे इन आंकड़ों के सही होने के बारे में कोई सन्देह नहीं है पर १८ प्रतिशत का वितरण समान रूप से नहीं हुआ है। इस ११ प्रतिशत का लाभ केवल अधिक आय वाले वर्ग को हुआ है। प्रोफेसर कालडर द्वारा दिये गये आंकड़े को माननीय

[श्री एन० सी० चटर्जी]

वित्त मंत्री ने गलत बताया है क्योंकि उन्होंने आंकड़े केन्द्रीय राजस्व बोर्ड से नहीं लिये थे बल्कि सांख्यकीय संस्था से लिये थे। यह एक अजीब बात है। पर इन दोनों संस्थाओं के आंकड़े समान होने चाहियें। मैं यह कहना चाहता हूं कि ११ प्रतिशत वृद्धि से केवल अधिक आय वाले वर्ग का लाभ हुआ है। इस से असमानता पैदा हो गयी है अतः समाज की उन्नति के लिये उसके समान वितरण की आवश्यकता है।

हमने जागीरदारी समाप्त कर दी है पर भूस्वामी आन्दोलन में ५० लाख व्यक्ति राजस्थान में जेलों में गये। वे जमींदार या जागीरदार किसी सामन्त शाही परम्परा के व्यक्ति नहीं थे, वे तो साधारण कृषक थे जो अपनी भूमि पर स्वयं खती करते थे। बंगाल में भी जमींदारी का उन्मूलन कर दिया गया है पर गरीब रैयत की दशा वैसी ही या उससे भी खराब हो गयी है।

अब सरकार को राजस्व व कर इकट्ठा करने और कानूनन राजस्व न देने पर उसकी जायदाद कुर्क करवाने या बेच लेने का अधिकार है। जमींदारों के जमाने में ३ वर्ष तक की मोहलत होती थी; किसी को भी किसी के खिलाफ मुकद्दमा चलाने की जरूरत नहीं पड़ती थी। इस प्रकार पहले तो रैयत को कुछ मोहलत मिल जाया करती थी पर अब वह भी नहीं मिल पाती। कर अब भी वही है और अधिभार भी वही है।

केवल यह कहने से एक जमींदारी और जागीरदारी का उन्मूलन कर दिया गया है कोई लाभ नहीं। हमें कुछ और भी करना है। एक योजना बनाने वाले ने बताया है कि हम ४० प्रतिशत उत्पादन बढ़ा लगे पर यह कैसे सम्भव होगा। इस बारे में उन्होंने कुछ भी नहीं बताया। खाद्य और कृषि मंत्रालय ने हमें १५ से १८ प्रतिशत तक आंकड़े दिये हैं। योजना में यह २० प्रतिशत की वृद्धि ६० लाख एकड़ भूमि की सिंचाई की व्यवस्था करने और १०० लाख एकड़ भूमि की सिंचाई की व्यवस्था छोटी नहरों द्वारा करने के कारण हो पायी है। पर इस से १८ प्रतिशत से ४० प्रतिशत वृद्धि कैसे हो जायेगी ? यदि यह वृद्धि ४० प्रतिशत हो जाय तो हमें बड़ी प्रसन्नता होगी। पर आप, चुनाव नजदीक आने के कारण इस प्रकार का प्रचार करके जनता को मूर्ख नहीं बना सकते। छोटे-छोटे टुकड़ों में खेतों के बंट जाने के कारण उत्पादन बढ़ना और भी कठिन हो गया है। यदि ऐसा किया जाना सम्भव है तो हमें बताया जाय कि सरकार किस प्रकार इसे करने जा रही है ?

रेलों तथा परिवहन के सम्बन्ध में आप १० गुनी उन्नति कर सकते हैं पर उत्पादन के सम्बन्ध में यह सम्भव नहीं है। बेरोजगारी की समस्या एक बड़ी भीषण समस्या है। मेरे प्रदेश के मुख्य मंत्री ने एक वक्तव्य में बताया कि हर १०० बेरोजगार व्यक्ति के पीछे ४७ बेरोजगार व्यक्ति हैं जो पढ़े-लिख हैं, परिश्रमी हैं और काम करने के इच्छुक हैं पर उन्हें रोजगार नहीं मिलता। इधर आगामी ५ वर्षों में जन संख्या लगभग ५० लाख प्रति वर्ष और बढ़ जायेगी; अतः यदि आप प्रति वर्ष १०० लाख या १२० लाख व्यक्तियों को रोजगार देते हैं तो भी ५ वर्षों में २५० लाख अतिरिक्त व्यक्ति बेरोजगार रहेंगे। मैं नहीं समझता कि सरकार किस प्रकार इस समस्या को हल करना चाहती है।

उस दिन श्री जवाहरलाल नेहरू ने आय की अधिकतम सीमा निश्चित करने की योजना को अव्यवहारिक बताया। उधर वित्त मंत्री न कहा कि उन्हें श्री भागवत झा आजाद का संशोधन स्वीकार है कि असमानता म कमी की जानी चाहिये। श्री जवाहरलाल ने जो कुछ कहा ठीक है। उनका कथन सत्य है। हमें अपने देश की रीति क अनुसार प्रगति करनी है। अन्यथा देश के एक सर्वाधिकारवादी सरकार पैदा हो जायेगी और केवल राजनैतिक अधिकार ही नहीं बल्कि आर्थिक शक्ति भी थोड़े से सत्तारूढ़ व्यक्तियों के हाथों में इकट्ठी हो जायेगी।

देहातों और शहरों में इस समय बहुत बेरोजगारी फैली हुई है। शहरी क्षेत्र में २० लाख से अधिक व्यक्ति बेरोजगार हैं। इस संख्या में नित नई संख्या जुड़ती जा रही है, अतः इस प्रकार बेरोजगार लोगों की संख्या बढ़ती ही रहेगी। देहाती क्षेत्रों में बेरोजगारी के स्थान पर रोजगार की कमी की समस्या है। इससे हमारी अर्थ-व्यवस्था पर काफी प्रभाव पड़ेगा।

मुझे प्रधान मंत्री द्वारा अपनाये गये मार्ग पर आपत्ति है। श्री नियोगी, अपने मुख्य मंत्री तथा पंडित कुंजरू के टिप्पण पढ़ने के बाद मैंने प्रधान मंत्री से अपील की कि इस योजना को पंचवर्षीय योजना के बजाय एक यथार्थवादी योजना बनायें। मैं चाहता हूं कि इस को सात वर्षीय योजना बनाइये या तो लक्ष्यों को कम कर दीजिये या योजना को यथार्थवादी बनाइये।

प्रधान मंत्री ने समिति में और यहां भी बताया कि योजना में परिवर्तनशीलता है। उन्होंने बताया कि वह योजना को एक एक वर्ष की पांच योजनाओं में बांटेंगे। पर मैं कहता हूं कि इससे समस्या कैसे हल होगी। ५०,००० स्कूलों के लिये यदि ५ करोड़ रुपये में से केवल २ करोड़ रुपये मिलते हैं तो २०,००० स्कूल खोल कर काम रोका जा सकता है पर यदि किसी संयन्त्र के लिये १०० करोड़ रुपये में से केवल २० करोड़ मिलते हैं तो आप उसका १/५ कैसे तैयार करेंगे ?

यदि आप इस योजना को सफल बनाना चाहते हैं तो आप जनता को योजना प्रिय बनाइये। उनके सामने घोषणा कीजिये कि अमुक-अमुक बातों का उत्तरदायित्व आप लेते हैं। प्रत्येक समर्थ, इच्छुक व्यक्ति के लिये रोजगार का प्रबन्ध कीजिये, उसकी सहायता कीजिये। और आप की नीति के कारण जो भूखे मर रहे हैं उनके खाने का प्रबन्ध कीजिये। मैं यह नहीं कहता कि आप उनको वचन दीजिये कि आप उनके लिये अमुक-अमुक बातों की गारंटी लेते हैं आप केवल इतना कहिये कि आप भरसक प्रयत्न करेंगे। इस प्रकार करने से ही लोगों में उत्साह, काम करने की भावना और विश्वास पैदा होगा और वह काम में जुटेंगे।

क्रमिक करारोपण के बारे में मैं कहना चाहता हूं कि यह एक खतरनाक नीति है। वित्त मंत्री ने ठीक ही कहा है कि क्रमिक करारोपण के साथ-साथ सार्वजनिक बचत तथा अंशदान की आशा करना व्यर्थ है।

अन्तिम बात मैं परिवहन समस्या के बारे में कहना चाहता हूं। परिवहन के विकास के अन्तर्गत केवल रेलों का ही नहीं, सड़कों का भी विकास होना चाहिये। आपको परिवहन कर्मचारियों, परिवहन प्रबन्धक समवायों, ट्रक या अन्य साधनों के बनाने वालों को सुविधायें देनी चाहिये।

हमारे राज्य में, हमारे मुख्य मंत्री कुछ विदेशी बसें जैसे रोवर ट्रकें उपयोग में लाना चाहते हैं पर हमारी सरकार या कोई मंत्रालय इस पर न जाने क्यों प्रतिबन्ध लगाता है। यदि आप सड़क परिवहन का ठीक विकास नहीं करते तो हमारे बढ़े हुए कृषि-उत्पाद का क्या होगा ? हमारी खानों से कोयला बहुत निकल सकता है पर तभी जब परिवहन सुविधा हो। अतः यदि परिवहन सुविधा का विकास नहीं किया जाता तो हमारी योजनाओं और कृषि उत्पाद की क्या दशा होगी ? उन पर बुरा प्रभाव पड़ेगा।

†**श्री वी० वी० गिरि** (पातपटनम्) : मुझे अच्छी तरह से याद है कि १९३८ में लोग आयोजन बन्दी की सफलता में सन्देह करते थे। पर, आज इस देश में आयोजन बन्दी के लिये अपार उत्साह पैदा हो गया है। यह भविष्य के लिये एक बड़ी अच्छी बात है।

†मूल अंग्रेजी में।

[श्री वी० वी० गिरि]

मैं योजना के कुछ मूलभूत पक्षों के सम्बन्ध में ही कहूंगा । आज इस लोक-सभा के सभी दल इस पर सहमत हैं कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना को इस ढंग से चलाना चाहिये कि वह शीघ्र से शीघ्र सम्पन्न और सफल हो, और उससे यथासम्भव सर्वोत्तम परिणाम हासिल हो । एक रचनात्मक ढंग से इसके सम्बन्ध में सुझाव और प्रस्ताव रखते हुए, सभी ने इसका स्वागत किया है ।

वर्षों पहले यह महसूस किया जाता था कि बिना पूर्ण राजनीतिक स्वतन्त्रता प्राप्त किये, कोई योजना बनाना सम्भव नहीं है । अब हमने राष्ट्रपिता के नेतृत्व में वह पूर्णराजनीती प्राप्त कर ली है । हमारे संविधान ने हमें मूलभूत अधिकार प्रदान किये हैं । ये मूलभूत अधिकार हैं : भारत के प्रत्येक परिवार के लिये प्रति दिन तीन बार भरपेट भोजन, एक घर, कपड़ा, रोजगार और बेरोजगारी का भत्ता, स्त्रियों के लिये प्रसूति सुविधायें और सभी के लिये स्वास्थ्य आदि की सुविधायें । साधारण जनता आपके आंकड़ों को नहीं समझती, वह तो योजना को तभी सफल मानेगी जब कि इसे ये सभी सुविधाय प्राप्त होने लगेंगी । इसीलिये, देश के प्रत्येक व्यक्ति को इस योजना की सफलता में अपना भरसक योग देकर इन मूलभूत अधिकारों को प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिये मैं इस योजना के एसे ही कुछ पहलुओं पर जोर दूंगा जिन्हें हमें सदैव ध्यान में रखना चाहिये । हम आज समाजवादी ढंग से समाजवादी समाज की ओर बढ़ रहे हैं । हमें अपनी गति और भी तेज करके समाजवादी राज्य की स्थापना करना और वर्गहीन समाज के निर्माण की ओर बढ़ना चाहिये । हमें इसके सम्बन्ध में बिल्कुल ही स्पष्ट विचार रखना चाहिये । हम तानाशाही या बल के आधार पर समाजवादी राज्य का निर्माण नहीं करेंगे, प्रत्येक व्यक्ति को भाषण, विचार और कार्य की स्वतन्त्रता रहेगी । साथ ही, हमारी योजना आम जनता के उत्साह के बिना सफल नहीं हो सकती । इसके लिये मेरा सुझाव यह है कि हमारे कुछ मंत्रिगण देश की विभिन्न परियोजनाओं में जाकर वहां मजदूरों के साथ रहकर कार्य करें । इससे उन में बड़ा उत्साह पैदा होगा और उनमें अधिक कर दिखाने की एक होड़ सी लग जायेगी । लोक-सभा के हम साधारण सदस्य ऐसा करने को तैयार हैं । चीन के मंत्रिगण परियोजना क्षेत्रों में जाकर इस प्रकार रहते भी हैं । इससे उत्साह पैदा होगा ।

अब, मैं गैर-सरकारी उद्योगों के सम्बन्ध में कुछ कहूंगा । हमें गैर-सरकारी उद्योगों को सरकारी क्षेत्र में खपा लेने में जल्दी नहीं करनी चाहिये । हमें उद्योगपतियों के दिमाग में आशंकायें पैदा नहीं करनी चाहियें । साथ ही, उद्योगपतियों को यह भी स्पष्ट रूप से समझ लेना चाहिये कि अन्त में उन के उद्योग सरकारी क्षत्र में ही खपा दिया जायगा । तब तक के लिये उसे अपने को समुदाय का एक 'ट्रस्टी' (न्यासी) समझना चाहिये ।

सरकारी उद्योग क्षेत्र के लिये भी यही बात सही है । चूंकि इसका उद्देश्य मुनाफा कमाना नहीं है, इसलिये इसमें मज़दूरों की दशा बेहतर होनी चाहिये । केवल तभी, सरकारी उद्योग क्षेत्र गैर-सरकारी उद्योगों को अपने में खपा लेने का अधिकारी बन सकेगा ।

प्रतिवेदन से यह स्पष्ट है कि औद्योगीकरण पर जोर दिया गया है । इसीलिये, यह आवश्यक है कि मालिक और मजदूर दोनों ही अपने को उद्योग के भागीदार समझें । इसका दायित्व कार्मिक संघों के नेताओं पर है । मालिकों को औद्योगिक विकास के हर स्तर पर मजदूरों पर भरोसा करना चाहिये, अन्यथा उद्योग के प्रबन्ध कार्य में मजदूरों के हाथ बंटाने की बात एक कोरी कल्पना ही रह जायेगी । योजना की सफलता के लिये आवश्यक है कि मालिक भी ऐसे प्रभावशाली कार्मिक संघों के निर्माण में सहयोग दें जो मजदूरों की तकलीफें उनके सामने ठीक तरह से पेश कर सकें । दोनों ओर से प्रत्येक उद्योग में एक ही प्रभावशाली संघ के निर्माण का प्रयास किया जाना चाहिये ।

अब समय आ गया है कि मजदूरों, मालिकों और सरकार के प्रतिनिधिगण एक साथ बैठकर एक 'औद्योगिक संधि' करें और मजूरी, सेवा की शर्तों और मजदूरों के सहयोग के मामलों का निबटारा कर लें। लेकिन, यह तब तक सम्भव नहीं होगा जब तक कि देश का प्रत्येक व्यक्ति यह महसूस नहीं कर लेता कि इस देश में केवल दो ही दलों के लिये स्थान है। कल्याणकारी राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाला कांग्रेस दल तो है ही। दूसरी ओर, समाजवादी दल भी है, जो शीघ्रातिशीघ्र समाजवादी राज्य की स्थापना चाहता है। अब समय आ गया है कि कम्युनिस्ट दल को भी अपनी नीति को एक नयी दिशा देनी चाहिये। उसे भी समाजवाद की लोकतांत्रिक प्रणाली में ही विश्वास करना चाहिये। यदि वह अपने दल की वास्तविक शक्ति बनाना चाहता है, तो समाजवाद में विश्वास रखने वाले और सभी के साथ एक समाजवादी लोकतांत्रिकता के आधार पर मिलना चाहिये। सभी को मिलाकर देश में एक वास्तविक, प्रभावशाली समाजवादी दल बनाना चाहिये। वास्तव में हमारे यहां ये दो ही दल हैं—समाजवाद का प्रतिनिधि समाजवादी दल और कल्याणकारी राज्य का प्रतिनिधि कांग्रेस दल। समय आयेगा जब जनता इन दोनों दलों से देश के पुनः निर्माण और ऊंचे दर्जे के मूलभूत अधिकार पाने की आशा करेगी। तभी समाजवादी दल कांग्रेस दल का एक सही विकल्प माना जायेगा।

मेरे कम्युनिस्ट मित्र मेरे इस कथन को जिस रूप में भी लें, पर मेरी सच्ची भावना यही है कि देश में केवल दो दल रह जाने पर ही एक उद्योग के लिये एक कार्मिक संघ बनाना सम्भव हो सकेगा, तभी औद्योगिक संधि की जा सकेगी। आशा है कि कम्युनिस्ट दल अपने दायित्व को समझेगा और अपनी नीति को एक नयी दिशा देगा। इस प्रकार का समाजवादी दल देश के लिये बड़ा उपयोगी सिद्ध होगा।

मुझे पूरा विश्वास है कि यदि हम इन आदर्शों पर चलें तो समय आयेगा जब कि भारत सारे संसार का नेतृत्व करेगा।

†**डा० कृष्णस्वामी** (कांचीपुरम्): योजना का संकल्प रखते हुए प्रधान मंत्री ने कहा था कि हम अपने को चाहे कितना ही शक्तिशाली क्यों न समझें, किन्तु भारत के निर्माण की इस बड़ी योजना और अगले पांच वर्षों में करोड़ों भारत निवासियों की उन्नति के इस महान कार्य की तुलना में हम बहुत ही छोटे हैं। आशा है कि योजना आयोग के सदस्य इस सलाह पर ध्यान देंगे। महत्व इस बात का है कि हम भविष्य के लिये ठीक तरह से योजना बनायें। आशा है कि मेरे मित्र मेरे सुझावों को उचित महत्व देंगे।

प्रत्येक इस बात को भली भांति समझता है कि सरकारी क्षेत्र में व्यय के लिये नियत ४,८०० करोड़ रुपये निश्चित राशि नहीं है। वित्त मंत्री ने अभी हाल में एक बैठक में कहा था कि यह राशि बढ़ायी जा सकती है क्योंकि अन्य अतिरिक्त परियोजनाओं, जैसे अम्बर चर्खे को अधिक प्रोत्साहन, पर भी ध्यान देना होगा। ऐसी घटनायें भी हो सकती हैं कि वह संख्या कम की जाये। किन्तु किसी भी हालत में योजना के स्वरूप में परिवर्तन अवश्य होंगे।

योजना आयोग के उपाध्यक्ष ने एक सुझाव रखा था कि कृषि पर व्यय में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन किये बिना ही कृषि के लक्ष्य वर्तमान १८ प्रतिशत से ४० प्रतिशत तक बढ़ाये जा सकते हैं। इससे यह प्रश्न उत्पन्न होता है कि क्या मूल आंकड़े इतने निरर्थक हैं।

जो बात योजना के आकार के बारे में लागू होती है वही बात योजना के लिये साधन निर्धारित करने में लागू होती है। मुझे आशा थी कि वित्त मंत्री इस बात पर प्रकाश डालेंगे कि वास्तव में हम

†मूल अंग्रेजी में।

[डा० कृष्णस्वामी]

क्या कर रहे हैं, किन्तु उनका भाषण सुन कर मुझे निराशा हुई है । कठिनाई यह है कि यह योजना यथार्थ रूप में खिचड़ी है । योजना के साधन, उत्पादन बढ़ाने की प्रस्थापनाओं के साथ मेल नहीं खाते । विशिष्ट योजनाओं के लक्ष्य के लिये किये गये नियतन उनके अनुरूप नहीं हैं । योजना के मूल प्रारूप में, १५० लाख टन कोयले के उत्पादन के लिये ९० करोड़ रुपये नियत किये गये थे । अब पुनरीक्षित प्रारूप में १२० लाख टन कोयले के उत्पादन के लिये ६० करोड़ रुपये नियत किये गये हैं । इस योजना का एक दोष यह है कि भौतिक आयोजन पर विशेष जोर दिये जाने के कारण उसमें अनावश्यक विस्तार आ गये हैं । जिस से गलती की सम्भावनायें बहुत अधिक हैं । यदि कम विस्तृत योजना बनायी जाती जिस में केवल क्रम और नीति का ही उल्लेख होता, तो वह अधिक अच्छा होता । किन्तु यदि यह योजना स्वीकार कर भी ली जाये तो उससे कोई हानि नहीं होगी; न ही उससे कोई लाभ ही होगा । वास्तव में यह योजना सभी वांछनीय चीजों का विस्तृत ढांचा है और प्रति वर्ष परिस्थितियों के अनुसार उसका समन्वय करना होगा ।

मेरे माननीय मित्र श्री चटर्जी ने वार्षिक योजना पर बड़ा व्यंग्य किया है किन्तु मेरे विचार में वह इस योजना का सबसे अधिक रचनात्मक अंग है । वार्षिक योजना से आर्थिक स्मृद्धि आयेगी और आशा है कि उससे वर्तमान पंचवर्षीय योजना के दोष और भ्रम दूर हो जायेंगे । इस योजना में परिवर्तन मुख्यतया तीन बातों पर निर्भर हैं, पहली, मूलतः आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धि, दूसरी, आंतरिक साधन और वित्त और तीसरी, विदेशी विनिमय । पहले दो वर्षों में, कृषि सम्बन्धी योजना कार्यक्रम और विस्तार सेवाओं को गहन रूप से कार्यान्वित करना होगा । इन दो वर्षों में हमें खाद्यान्नों का अधिक आयात करना होगा । उसके बाद के वर्षों में कृषि कार्यक्रम सफल होने पर कृषि के क्षेत्र में अधिक उत्पादन होने लगेगा और तब आयात की कोई आवश्यकता नहीं होगी । तब सम्भवतः हम बड़े पैमाने पर कृषि वस्तुओं का निर्यात करने लगेंगे । हमारा यही उद्देश्य होना चाहिये ।

वस्त्र के विषय में वाद प्रतिवाद अनावश्यक ही उठ खड़ा हुआ है । हमें उसका हल ढूंढ निकालने का प्रयत्न करना चाहिये, क्योंकि ऐसा मतभेद नहीं है कि समझौता न हो सके । मिलों द्वारा उत्पादन के लिये हमने उच्चतम सीमायें निर्धारित की हैं । ये बहुत ही खतरनाक हैं । अभी हाल वाणिज्य और उद्योग मंत्री ने निर्यात मन्त्रणा परिषद के समक्ष अपने भाषण में बताया था कि अभी हाल के महीनों में वस्त्र का निर्यात १० से १५ प्रतिशत कम हो गया है और कपड़े का भाव बढ़ रहा है । हम जानते हैं कि उन सीमाओं के पुनरीक्षण में और उत्पादन करने में कुछ समय का अन्तर होता है । अतः हम उन बातों का सामना करें जो पुनरीक्षण के प्रतिकूल हैं ।

मैं इस दृष्टिकोण से सहमत नहीं हूं कि अम्बर चर्खे के विस्तार से और चर्खे द्वारा अधिक उत्पादन से समुदाय की आवश्यकतायें पूरी की जा सकती हैं । चर्खे से काम काज दिलाने की सम्भावना के बारे में बहुत कुछ कहा गया है । राज्य उसे आवश्यक प्रोत्साहन और यथासम्भव सहायता दें । मैं तो यह कहूंगा कि इन चर्खों से जब कभी सूत तैयार किया जाये वह न्यूनतम स्तरों के अनुरूप हो और तब राज्य उसे निश्चित मूल्य पर खरीद लें जो किसी भी हालत में उस मूल्य के ५० प्रतिशत से अधिक न हो जो हम मिलों द्वारा तैयार किये गये कपड़े के लिये देते हैं ।

किन्तु ये रियायतें देने पर भी हमें मिलों का विकास नहीं रोकना चाहिये । ये नयी मिलें दक्षिणी प्रदेश या पंजाब में खोलनी होंगी । हमारी मिलों को प्रदेशवार बांटना भारत सरकार की नीति का एक अंग है और अम्बर चर्खे के हिमायती यह याद रखें कि मिलों के विस्तार के विरोध से वे दक्षिण या पंजाब का विकास कुंठित कर देंगे ।

†**श्री श्रीनारायण दास** (दरभंगा––मध्य) : क्या दक्षिण में अम्बर चर्खा चालू नहीं किया जायगा ?

†**डा० कृष्णस्वामी** : दक्षिण में अम्बर चर्खा चालू किया जा सकता है। यदि यह सुझाव स्वीकार किया जाता है, तब ६० करोड़ या २०० करोड़ रुपये आवंटित करना आवश्यक न होगा । राज्य को अधिक से अधिक १० करोड़ रुपये खर्च करने होंगे ।

यदि बुनियादी आवश्यक वस्तुओं की कमी न हो, तब मुद्रास्फीति पर एक प्रकार की प्रकृत रोक लग सकती है । किन्तु मुद्रास्फीति पर मूलभूत रोक तभी प्रभावोत्पादक हो सकती है जब मुद्रा और माल बराबर हों। अपनी वार्षिक योजनायें बनाते समय योजना आयोग इन दो बातों पर विचार करे कि हमारी वार्षिक योजना वित्तीय दृष्टिकोण से व्यावहारिक हो और करारोपण नीति में परिवर्तन हों। कर पद्धति आज की अपेक्षा और अधिक क्रमिक होनी चाहिये। यह सम्भव है कि निचले आय करों के साथ-साथ हमें धन पर थोड़ा कर और पूंजी लाभ कर एक साथ जोड़ देना पड़े जब तक हम आय-कर ४० प्रतिशत कम न कर दें तब तक आय-कर को धन-कर और पूंजी लाभ कर के साथ जोड़ना सम्भव न होगा ।

किन्तु साथ ही, सरकार को प्रत्येक प्रकार के लाभ अथवा सम्पत्ति पर कर लगाने की महत्वकांक्षा नहीं करनी चाहिये । क्योंकि इससे कोई लाभ नहीं होगा। हमारे आयोजकों का दृष्टिकोण अधिक व्यवहार्य होना चाहिये ।

अब मैं योजना के भौतिक संसाधनों की ओर आता हूं। हमें केवल समस्त जोड़ में ही सन्तुलन नहीं रखना चाहिये बल्कि प्रति विषय में प्रति समय और प्रति थग पर सन्तुलन का ध्यान रखना चाहिये। मुझे आज तक इस प्रकार का सन्तुलन बताने वाला एक भी सांख्यकी विशारद नहीं मिला है। अब हमारे सामने यही प्रश्न है कि यह सन्तुलन कैसे रखा जाये। इसका दूसरा उपाय है मूल्यों की व्यवस्था द्वारा किन्तु योजना आयोग ने उसकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया है जब आप एक बार सरकारी क्षेत्र के आवश्यक उद्योगों के लिये वस्तुओं का आवंटन कर लेते हैं तो शेष वस्तुओं को खुले बाजार में बिकने देना चाहिये। आपको मूल्यों की व्यवस्था को खुल कर कार्य करने का मौका देना चाहिये और गैर-सरकारी तथा सरकारी दोनों क्षेत्रों को एक ही जैसे मूल्यों के ढांचे में पनपने देना चाहिये अन्यथा गर-सरकारो क्षेत्र की परियोजनाओं का महत्व कम हो जायेगा । जब तक हमारे पास किसी वस्तु की वास्तव में ही कमो न हो हमें मूल्यों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिये ।

यहां परिवहन के बारे में बहुत कुछ कहा गया है। आज हमारे देश की परिवहन व्यवस्था की स्थिति विकट ह । यह सब हमारा कसूर है। पिछले दो वर्षों में हमारी विदेशी मुद्रा की स्थिति बड़ी अच्छी थी और कीमतें भी काबू में थीं । मगर हमने रेलवे में कुछ भी नहीं लगाया । हमें अपनी इस गलती को मानना चाहिये। और अब भविष्य के लिये थोड़े फासलों के लिये सड़क परिवहन का विकास करना चाहिये और लम्बे फासलों के जल परिवहन का रेल परिवहन मे समायोजन करना चाहिये। मेरे विचार में हमारे आयोजक अब इस बात की ओर विशेष ध्यान देंगे ।

मैं प्रबन्धकों तथा प्रशिक्षित प्रविधिज्ञों की बात को लेता हूं । योजना आयोग केवल बड़ी व्याख्यायें देने में ही चतुर है । किन्तु जब कोई निणय करन का मामला आता ह तो फिर थथलाने लगता है। हमें इंजीनियरों आदि की आवश्यकता है। हमें उनकी संख्या के साथ-साथ

†मूल अंग्रजी में ।

[डा० कृष्णस्वामी]

उनकी योग्यता का भी ध्यान रखना होगा । उनको प्रत्येक प्रकार का प्रोत्साहन देना होगा । इस सम्बन्ध में हमें गैर-सरकारी क्षेत्र से पूरा सहयोग करना चाहिये । मगर आज ८ वर्ष के बाद भी हम अभी तक यह निर्णय नहीं कर पाये हैं कि किस आधार पर इन व्यक्तियों की योग्यता की परख की जाये । ऐसे व्यक्तियों को हासिल करना तो बड़े दूर की बात है ।

हमारे प्रधान मंत्री जी ने कहा है कि हमारे देश में दीर्घकालीन आयोजन की आवश्यकता है । हम सब उन से सहमत हैं । मगर इस प्रकार का आयोजन केवल वैज्ञानिक कल्पना और आंकड़ों का हेर-फेर है । क्योंकि कोई भी व्यक्ति १० या १५ वर्ष के लिये आने वाली घटनाओं का ठीक-ठीक अनुमान नहीं कर सकता है । और फिर यह काम सांख्यिकों का नहीं है । यह काम तो ज्योतिषयों का है । कहीं ऐसा तो नहीं है कि योजना आयोग में छद्मवेश में ज्योतिषी बैठे हों । हमें उनकी इस प्रकार की परिकल्पनाओं से बचना चाहिये और वास्तविकता के प्रति ध्यान देना चाहिये ।

इस बार योजना आयोग ने यह अनुमान लगाया है कि आगामी ५ वर्षों में उसे ९०० करोड़ रुपये की विदेशी सहायता लेनी पड़ेगी । यह न्यूनतम सहायता है । लेकिन इसके मिलने पर ही योजना की सफलता और न मिलने पर योजना की असफलता निर्भर है । इसलिये हमें अब यह निर्णय कर लेना चाहिये कि हमारा इसके प्रति क्या दृष्टिकोण रहना चाहिये । कुछ सहायता बिना किसी शर्त के होती है और कुछ शर्तों के अधीन । इस लिये यह निर्णय बड़ा आवश्यक है । मैं यह नहीं कहता कि सहायता न ली जाये । मगर हमें यह निश्चय कर लेना चाहिये कि हमें किस प्रकार की सहायता लेनी है, कब लेनी है, किस से लेनी है और किस प्रकार से लेनी है ? रूस तो हमें केवल उतनी ही सहायता दे पायेगा जितनी कि साम्यवादी देशों की आवश्यकताओं का पूरा कर लेने के बाद उसके पास बाकी बचेगी । इसलिये हमें इस सब का ठीक ढंग से अनुमान लगा लेना चाहिये । इधर पहली पंचवर्षीय योजना में अमरीका ने हमें समस्त विदेशी सहायता का ९० प्रतिशत सहायता दी है । उसने हमें बहुत आड़े समय में गेहूं की सहायता दी जिसका मूल्य प्रति वर्ष लगभग ४० करोड़ रुपये था । हमें हर प्रकार की सहायता को उसके गुण दोष परख कर स्वीकार करना चाहिये ।

हमारे योजना आयोग ने इन वास्तविकताओं का बिल्कुल ध्यान नहीं रखा है । उसने बहुत से ऐसे लक्ष्य निर्धारित कर दिये हैं जो व्यवहारिकता से बहुत दूर हैं । उसे यह योजना अधिक सजग दृष्टिकोण से बनानी चाहिये थी ।

विकास की दृष्टि से यह प्रश्न अधिक महत्वपूर्ण नहीं है कि गैर-सरकारी उद्योग क्षेत्र का विकास हो अथवा सरकारी क्षेत्र का प्रथम योजना में भी सरकारी क्षेत्र के साथ-साथ गैर-सरकारी क्षेत्र का काफी विकास हुआ है । किन्तु अगर अब गैर-सरकारी क्षेत्र में प्रबन्धकों तथा प्राविधिकों को नहीं बढ़ने दिया जायेगा तो उसका जिन्दा रहना कठित हो जायेगा ।

हमारे प्रधान मंत्री ने बहुत ही अच्छा किया है जो उन्होंने आय की अधिकतम सीमा निर्धारित करने से इन्कार कर दिया है । वास्तव में आय और भूमि की सीमा दो नितान्त भिन्न वस्तुयें हैं । भूमि एक जड़ वस्तु है जब कि आय चलायमान और अनिश्चित है । इसलिये यदि आप इसकी सीमा निर्धारित कर देते हैं तो लोगों को अधिक कार्य करने की प्रेरणा ही नहीं मिलेगी और फिर हमारा समाज एक जड़ समाज बन जायगा और तब उत्पादन भी कम हो सकता है । तब समाजवादी समाज की बजाय एक जड़ समाज बन जायेगा जिस में किसी प्रकार की साहस और प्राक्रम की भावना नहीं होगी ।

†**श्री मात्तन** : यद्यपि कई माननीय सदस्यों ने योजना की आलोचना की है तथापि मैं योजना की सराहना किये बिना नहीं रह सकता । वह एक ऐसा सुनियोजित दस्तावेज है जिस में उन प्रश्नों की ओर संकेत किया गया है जिन्हें भारतीयों को अगले पांच वर्षों में हल करना है । **ईस्टर्न इकानामिस्ट** ने कहा है कि योजना आयोग जानकारी का माध्यम और आर्थिक प्रगति निर्धारण का एक प्रामाणिक साधन है । इसमें कोई सन्देह नहीं है कि योजना आयोग ने कर्त्तव्य निर्वाहपूर्ण रूप से किया है ।

जैसा कि प्रधान मंत्री ने कहा, हमने गिरती हुई अर्थ व्यवस्था की प्रथम गम्भीर बाधायें पार कर ली हैं और हमारी आर्थिक स्थिति में निश्चय ही सुधार हुआ है ।

योजना की क्रियान्विति में मुझे दो-तीन बाधायें प्रतीत होती हैं । प्रथम बाधा तो हड़तालें हैं । जैसा कि श्री गिरि ने कहा, किसी न किसी प्रकार का औद्योगिक समझौता आवश्यक है । दूसरी बाधा है राज्य पुनर्गठन आयोग का प्रतिवेदन इस सभा के सदस्यों से और सरकारी प्रवक्ताओं से मेरी अपील है कि अनावश्यक बातों पर वह ध्यान न दें । दारिद्रय का निवारण हमारे लिये एक विराट प्रश्न है और उसके हल करने के रास्ते में जो बात भी बाधा डाले वह हमें नहीं करनी चाहिये ।

तीसरी बाधा जो मुझे प्रतीत हुई है वह है मेरे दल के तथा अन्य दलों के कुछ सदस्यों का सैद्धांतिक दृष्टिकोण । प्रधान मंत्री ने कहा है कि इस शताब्दि में जो प्रौद्योगिक प्रगति हुई है उससे लाभ न उठाना पहले दर्जे की मूर्खता होगी । फोर्ड प्रतिष्ठान के अन्तर्राष्ट्रीय योजना समूह के प्रतिवेदन में कहा गया है कि आधुनिकरण से नयी नौकरियां निकलती हैं और इसके फलस्वरूप उत्पादन की मात्रा में वृद्धि और उत्पादन लागत में कमी होती है । इस बात के महत्व को न समझना सुधार की दिशा में किसी संगठित प्रयास के लिये वास्तव में बाधास्वरूप है । प्रतिवेदन में आगे कहा गया है कि उत्पादन के अधिक अच्छे तरीके अपना कर ही छोटे और ग्राम उद्योग इस मौजूदा अवसर का लाभ उठा सकते हैं जो कि लम्बी अवधि के विकास के लिये आधार सिद्ध होगा ।

ऐसे तरीकों से ग्रामीण जीवन की उस पारम्परिक अनास्था का उच्चाटन होगा जो कि पीढ़ियों से कोई उपयोगी सेवायोजन न होने के कारण ग्रामीण जीवन में प्रवेश कर गई है ।

असैनिक और सैनिक गतिविधियों के समन्वय के बारे में एक सुझाव श्री पटनायक ने दिया है जिसका मैं समर्थन करता हूं ।

प्रधान मंत्री ने विदेशी विनिमय की आवश्यकता का उल्लेख किया था । मैंने इस सम्बन्ध में एक संशोधन प्रस्तुत किया है और यदि वह मान लिया जाता है तो उससे काफी विदेशी विनिमय प्राप्त होगा । संशोधन में मैंने कहा है कि जहाज बनाने के कारखाने की स्थापना के बारे में अविलम्ब कार्यवाही प्रारम्भ की जाये ताकि कम से कम द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दूसरे वर्ष से नावांगण का कार्य शुरू हो जाये ।

प्रथम योजना में नौवहन के लिये पर्याप्त उपबन्ध नहीं था और उसे ठीक ढंग से क्रियान्वित भी नहीं किया गया । द्वितीय पंचवर्षीय योजना पर विचार के दौरान नौवहन सम्बन्धी उपबन्ध क्रमशः कम होता गया है । इसलिये मेरे मित्रों से मेरी यह अपील है कि नौवहन के लक्ष्य को वह इस प्रकार निर्धारित करें कि हम कम से कम तीसरी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक, उस लक्ष्य को पूरा कर सकें जो नौवहन नीति निर्धारण समिति ने १९४७ में निर्धारित किया था ।

---

†मूल अंग्रजी में ।

[श्री मात्तन]

प्रथम पंचवर्षीय योजना काल के अन्त तक जो टन भार हमें उपलब्ध होगा उसके निम्न आंकड़े द्वितीय पंचवर्षीय योजना में इस प्रकार दिये गये हैं :

तटीय और तटके आस पास का व्यापार	३१३,२०२	कुल पंजीबद्ध टन भार
विदेशीय व्यापार	२८३,५०५	,,
टैंकर	५,०००	,,
	६०१,७०७	कुल पंजीबद्ध टन भार

योजना आयोग ने ये आंकड़े उन जहाजों को ध्यान में रखते हुए दिये हैं जो इस समय विशाखा-पत्तनम, जापान और जर्मनी में बन रहे हैं किन्तु जो सम्भवतः १९५६ और १९५७ में हमें प्राप्त होंगे।

६ जहाजों का निर्माण विशाखापत्तनम् में, १० जहाजों का जर्मनी में और १ जहाज का जापान में हो रहा है। इन १७ जहाजों का टन भार १०१,७१८ कुल पंजीबद्ध टन भार होगा। इसलिये इस टन भार को ध्यान में रखते हुए ३१ मार्च को कुल पंजीबद्ध टन भार ५०७,४३२ होगा। तटीय और आसपास के क्षेत्रों के व्यापार में जो टन भार काम में आयेगा वह २५६,८१२ कुल पंजीबद्ध टन भार होगा। इसलिये समुद्र पार व्यापार में जो टन भार काम में आयेगा वह औसतन ३४०,६२० कुल पंजीबद्ध टन भार होगा। यह आंकड़े योजना आयोग द्वारा दिये गये ६००,००० टन के आंकड़ों से नहीं मिलते हैं। इन आंकड़ों में जो अन्तर है उसके सम्बन्ध में योजना आयोग को स्पष्टीकरण करना चाहिये।

नौवहन से विदेशी विनिमय पर्याप्त मात्रा में मिलता है जो कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना के लिये नितांत आवश्यक है। मैं सभा का ध्यान इस ओर आकर्षित करता हूं कि विदेशी समवायों को किराये के बतौर जिस राशि का भुगतान हम करते हैं उसके फलस्वरूप प्रति वर्ष हम १५० करोड़ रुपये व्यय करते हैं।

[पंडित ठाकुरदास भार्गव पीठासीन हुए]

टन भार को बढ़ा कर इस व्यय को कम करने के लिये सरकार द्वारा यथा सम्भव प्रयास किये जाने चाहियें।

इसके अतिरिक्त हम सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्र के लिये १,३५० करोड़ रुपये की मशीनरी और उपकरणों का आयात करने का इरादा रखते हैं जिसके लिये हमें ३० करोड़ रुपये किराये के बतौर देने होंगे।

सभा को स्मरण होगा कि गत अर्द्ध-शताब्दि में भारत ने नौवहन उद्योग स्थापित करने का एक अमूल्य अवसर खो दिया है जब कि खाद्यान्नों के अभाव वाले क्षेत्रों में प्रति वर्ष करोड़ों रुपये के खाद्यान्नों का आयात करना पड़ा था। उस समय जहाजों का निर्माण-व्यय आज की अपेक्षा कम था किन्तु मैं चाहता हूं कि अब फिर से हम इस अवसर को न खो दें।

मुझे ज्ञात हुआ है कि विदेशी नौ-पोत निर्माण नावांगण इस समय इतने कार्यव्यस्त हैं कि १९६०-६१ तक वह किसी आर्डर की पूर्ति करने की स्थिति में नहीं हैं। इसलिये द्वितीय पंचवर्षीय योजना के लिये ९ लाख टन का जो नौवहन लक्ष्य हमने निर्धारित किया है उसे भी हम साध्य नहीं कर सकेंगे क्योंकि

कोई जहाज औसतन केवल बीस वर्ष तक चलता है और द्वितीय योजनावधि में कई जहाजों की कार्य-क्षमता कम होगी। इस लक्ष्य को पूरा करने के लिये हमें विदेशों से जहाज प्राप्त करने होंगे क्योंकि यह मान भी लिया जाये कि विजगापत्तनम् का नौ-पोत निर्माण नावांगण उसकी महत्तम क्षमता से कार्य कर रहा है तो भी ५०, ६० हजार टन से अधिक क्षमता नहीं होगी। इसका अर्थ यह है कि हम उक्त लक्ष्य को कभी प्राप्त नहीं कर सकेंगे और न हम विदेशों से ही कोई जहाज प्राप्त कर सकेंगे।

इसलिये यदि हम योजना की कार्यान्विति चाहते हैं तो हमें जहाज बनाने का एक और कारखाना कम से कम अभी खोल देना चाहिये। योजना आयोग ने इस बात को स्वीकार किया है किन्तु उनका कथन है कि कारखाना योजना के तीसरे वर्ष तक खोला जायेगा। यदि योजना की क्रियान्विति के लिये वह इतना आवश्यक है तो हम उसे २ वर्ष बाद क्यों खोलें ? अपने संशोधन में मैंने कहा है कि जहाज निर्माण का एक और कारखाना शीघ्रातिशीघ्र स्थापित किया जाये क्योंकि भारत के ४,००० मील लम्बाई के किनारे पर नौवहन की स्थिति बहुत खराब है।

†**श्री ए० एम० थामस** : इसके लिये कर्मचारियों की आवश्यकता होगी।

†**श्री मात्तन** : मुझे ज्ञात हुआ है कि पश्चिम जर्मनी के उपप्रधान मंत्री डा ब्लूशर कुछ महीने पहले यहां आये थे तो उनके समक्ष उत्पादन मंत्रालय ने कई विषय रखे थे और जहाज निर्माण का एक कारखाना स्थापित करने के लिये सहायता देने के लिये वह उत्सुक थे। आप जानते ही हैं कि आज संसार में जहाज निर्माताओं में जर्मनी का स्थान प्रथम है। मुझे ज्ञात हुआ है जर्मनी स्थित हमारे राजदूत से माननीय मंत्री पत्र व्यवहार आदि कर रहे हैं ताकि इस बात का निर्णय शीघ्र हो जाये। जैसा मैंने एक बार पहले कहा है, मैं आशा करता हूं कि प्रधान मंत्री जब बोन जायेंगे तो दूसरे जहाजी कारखाने के बारे में पश्चिमी जर्मनी से हमारा समझौता हो जायेगा।

जहां तक सड़कों का प्रश्न है, योजना आयोग ने परिवहन की आवश्यकता महसूस की है किन्तु इसमें गैर-सरकारी क्षेत्र द्वारा खर्च किये जाने की आशा की गई है। मेरे विचार से सरकार को उन्हें प्रोत्साहन देना चाहिये और कुछ समय तक गैर-सरकारी परिवहन का राष्ट्रीयकरण नहीं करना चाहिये। वैसे समाजवादी आधार में राष्ट्रीयकरण तो अन्ततोगत्वा होता ही है किन्तु सरकार यदि किसी काम का पूरा ठेका ले लेती है तो उसमें भ्रष्टाचार की सम्भावना रहती है। अतः राष्ट्रीयकरण के समय भी गैर-सरकारी क्षेत्र के कुछ अंश को पनपने का मौका दिया जाना चाहिये ताकि दोनों क्षेत्रों में परस्पर स्पर्धा रहे।

अब मैं टैंकर (तेल का जहाज) के प्रश्न को लेता हूं। हमें टैंकरों की बड़ी आवश्यकता है। इस समय हमारे पास केवल एक टैंकर है। १९६१ तक हमारे देश में तेल की खपत ५५ लाख टन के लगभग होगी। पिछले दस वर्षों में जो जहाज बने हैं उनमें लगभग २५ प्रतिशत टैंकर (तैल-वाहक जहाज) होंगे। अतः हमें इस ओर अवश्य ध्यान देना चाहिये। पत्तनों के विषय में प्रथम पंचवर्षीय योजना में निश्चित रकम का केवल ५० प्रतिशत अंश खर्च किया गया है। अतः अब जो ४५ करोड़ रुपये का उपबन्ध किया गया है उसका पूरा उपयोग किया जाना चाहिये।

इसी प्रकार देश के भीतर जल-परिवहन मार्गों का विकास होना चाहिये। पिछली योजना में इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया था। यह ठीक है कि ब्रह्मपुत्र में कुछ प्रयत्न किया गया है तथापि त्रावनकोर-कोचीन, मलाबार और पश्चिमी घाट में जल-परिवहन बड़ी सरलता से बढ़ाया जा सकता है क्योंकि वहां की नदियों में रेत जम जाने से उनका पानी फैलता है और इस प्रकार उनका पाट काफी चौड़ा हो जाता है।

---

†मूल अंग्रेजी में।

[श्री मात्तन]

अन्त में मैं निश्चित तेल के बारे में यह कहकर अपना भाषण समाप्त करता हूं कि हमें अपने देश में ही एक निश्चित तेल संयन्त्र स्थापित करना चाहिये। जिससे बाहर से तेल आयात करने की आवश्यकता न रहे।

†**श्री विश्वनाथ रेड्डी** (चित्तूर) सभापति महोदय, अपने भाषण से पहले मैं यह बताना चाहता हूं कि डाक्टर कृष्णस्वामी की इस धारणा में कोई सत्य नहीं है कि अम्बर-चर्खे के प्रयोग से वस्त्र मिलों के उद्योग को आघात पहुंचेगा।

अब मैं द्वितीय योजना को लेता हूं। माननीय वित्त मंत्री ने एक बार ठीक ही कहा था कि भारत में योजना कार्य वास्तव में दूसरी योजना से प्रारम्भ हुआ है क्योंकि पहली योजना तो केवल एक तैयारी थी। हमारी योजना के साथ अन्य देशों ने भी योजना बनाना प्रारम्भ किया है और इससे मैं आशा करता हूं कि प्रधान मंत्री इससे सन्तुष्ट होंगे। वास्तव में केवल हमारी उन्नति ही पर्याप्त नहीं है। हमारे साथ समस्त एशिया-अफ्रीका को जाग्रत होना चाहिये।

हमारी योजना के चार उद्देश्य हैं—पहला राष्ट्रीय आय में वृद्धि, दूसरा मूल उद्योगों का संस्थापन, तीसरा बेकारी की समस्या का यथाशक्ति समाधान और चौथा समाजवादी आधार पर समाज रचना।

कल श्री अशोक मेहता कहते थे कि हमारे पूंजीवादी समाज में यह सम्भव नहीं है कि योजना के लिये सरकार को जनता का सहयोग प्राप्त हो सके क्योंकि योजना काल में हम अधिक विनियोग के कारण जन-साधारण के आर्थिक स्तर को ऊंचा नहीं उठा सकते। इसके बाद उन्होंने कहा कि लोगों की आमदनी में फैली हुई असमानताओं को दूर करने का प्रयत्न भी सराहनीय नहीं कहा जा सकता क्योंकि जब हम लोगों के स्तर को ऊंचा नहीं कर सकते तो फिर असमानतायें भी यथावत् बनी रहेंगी।

इन सब बातों में श्री अशोक मेहता को जो भ्रान्ति हो गई है उसके निवारण के लिये मैं उनका ध्यान प्रतिवेदन के पृष्ठ ३३ की कण्डिका २० की ओर आकर्षित करना चाहता हूं जिसका सारांश यह है कि यह योजना इस प्रकार बनाई गई है जिससे जन-साधारण की आय और अवसरों में वृद्धि हो और धनिकों के धन में कमी हो।

द्वितीय योजना में केन्द्रीय सरकार द्वारा २५ अरब ५९ करोड़ रुपये व्यय किये जायेंगे और २२ अरब ४१ करोड़ रुपये राज्य सरकारों द्वारा व्यय किये जायेंगे। जहां तक केन्द्रीय व्यय का प्रश्न है मुझे विशेष सन्देह नहीं है कि उस व्यय में कोई अड़चन पैदा होगी। किन्तु राज्य सरकारों की स्थिति उतनी अच्छी नहीं है। उन्हें शिक्षा, स्वास्थ्य, संचार आदि कार्यों पर काफी व्यय करना पड़ता है। इसके अतिरिक्त, राज्य सरकारों के संसाधनों में १२ अरब ७९ करोड़ रुपये की कमी है और इसे पूरी करना बहुत कठिन है।

अभी निकट भविष्य में, वित्त आयोग राज्यों को राजस्व के संसाधनों के आवण्टन के सम्बन्ध में अपना प्रतिवेदन देने वाला है मैं आशा करता हूं कि उक्त आयोग राज्यों को राजस्व के अच्छे अच्छे संसाधन आवण्टित करेगा। मैं अनुभव करता हूं कि राज्यों पर बहुत बड़े दायित्व हैं और उनको पूरा करने के लिये उनके पास आय के अच्छे साधन होने चाहियें।

हमें राज्य सरकारों को विनियोग-व्यय में वृद्धि करने को कहना चाहिये। उदाहरणार्थ हम मैसूर राज्य को ले सकते हैं, जहां कि पहले उद्योगों में काफी रुपया विनियोजित किया गया है। फलस्वरूप

†मूल अंग्रेजी में।

आज वहां की आय का एक महत्वपूर्ण भाग इन उद्योगों से होने वाले लाभ में प्राप्त होता है। यदि अन्य राज्य भी ऐसा ही करें तो राजस्व में पर्याप्त वृद्धि हो सकती है।

प्रधान मंत्री ने एक बार यह वक्तव्य दिया था कि कृषि क्षेत्रों में, कृषि उद्योगों के विकास के लिये, पूरी सविधायें दी जायें। उन्होंने चीनी उद्योग का जिक्र किया था और कहा था कि कृषि प्रधान राज्यों में इस उद्योग का विकास किया जाना चाहिये।

आंध्र में प्रति एकड़ गन्ने की पैदावार भी अधिक है और वहां वर्ष में २५० दिन चीनी के कारखानों में काम हो सकता है; जब कि कृषि मंत्री के कथनानुसार बिहार और उत्तर प्रदेश में केवल ८० से १२० दिन काम हो सकता है। अतः मैं योजना आयोग से यह निवेदन करता हूं कि वह राज्य में ऐसे उद्योगों का विकास करें जो कि वहां के लिये उपयुक्त हो।

अब मैं इस योजना को क्रियान्वित करने के सम्बन्ध में संसाधनों की स्थिति का जिक्र करूंगा। इस सम्बन्ध में लोगों का यह मत है कि सरकार इस विशाल योजना के लिये संसाधनों की व्यवस्था नहीं कर सकती है। फलतः १,२०० करोड़ से भी अधिक का घाटे का बजट प्रस्तुत होगा। मुझे ऐसी आशंका नहीं है।

प्रथम पंचवर्षीय योजना में हमने २,००० करोड़ रुपयों का विनियोजन किया था, जिसमें ५५० करोड़ रुपये की घाटे की अर्थ-व्यवस्था की गई थी। इतना होते हुए भी अधिक स्फीति नहीं हुई। इसका तात्पर्य यह है कि कुल विनियोग का २५ प्रतिशत घाटे की अर्थ-व्यवस्था से प्राप्त किया गया था। हमारे देश की जनता पूंजी को बैंकों में जमा करना नहीं जानती है। वे नकद रुपया ही रखना चाहते हैं। हमसे घाटे की अर्थ-व्यवस्था का वह लाभ नहीं मिलने पाता जो कि अन्यथा होना चाहिये था। कुछ भी हो, जो लोग घाट की अर्थ-व्यवस्था के सम्बन्ध में निराशाजनक विचार रखते हैं वे मेरे विचार से गलती करते हैं।

श्री अशोक मेहता ने यह कहा है कि योजना के प्रथम पांच, दस या पन्द्रह वर्ष कठिनाई के होते हैं और उस समय हम अपनी राष्ट्रीय आय का ९ या १० प्रतिशत से अधिक विनियोजन नहीं कर सकते हैं। जब हम एक बार अपनी राष्ट्रीय आय का २० प्रतिशत विनियोग करने लगेंगे तो हमारी अर्थ-व्यवस्था स्वयं स्थिर हो जायेगी। यह समय निस्संदेह अत्यधिक नाजुक है और हमें जनता की भावना का ख्याल अवश्य करना होगा। जनता का विश्वास प्राप्त करने के लिये हमें त्याग और बलिदान करना चाहिये तभी साधारण जनता हमसे प्रेरणा प्राप्त कर सकती है।

मेरे विचार से ऐसा कार्यक्रम बनता, जिसमें प्रयत्न तथा वित्त के लिये काफी गुंजायश हो अधिक कठिन नहीं है, किन्तु ऐसी योजना बनाना, जिसमें हमारे संसाधनों की पूरी खैंच-तान कर उद्देश्यों की प्राप्ति की जाय, अधिक कठिन है। ऐसी योजना इस बात का प्रमाण है कि हममें अभी साहस की कमी नहीं है। मुझे पूरी आशा है कि यह योजना पूर्णतः सफल होगी।

†**श्री मोहनलाल सक्सेना** (जिला लखनऊ व जिला बाराबंकी) : यद्यपि हमें योजना प्रदिवेदन के केवल ८ अध्यायों के सम्बन्ध में ही चर्चा करनी है तथापि हमारे पास इतना कम समय है कि हममें यह चर्चा भी संभव नहीं है। मैंने इस योजना का अध्ययन पूरी सच्चाई और विनम्रता से किया है तथा जो कुछ भी मुझे अनुभव हुआ है उसे मैं पूरी सच्चाई और गम्भीरता से रखूंगा।

अब मैं योजना को लेता हूं। मैं कोई अर्थ-शास्त्री अथवा विशेषज्ञ नहीं हूं। मेरा विचार भी यह है कि केवल विशेषज्ञ ही अच्छी योजना नहीं बना सकते हैं। केवल ऐसे विशेषज्ञ ही अच्छी योजना बना

†मूल अंग्रजी में।

[श्री मोहनलाल सक्सेना]

सकते हैं जो कि जनता के साथ मिल कर काम करते हैं, इसीलिये श्री विनोबा भावे ने ठीक ही कहा है कि योजना निर्माताओं को उनके साथ पैदल यात्रा करनी चाहिये।

मैं आज अपने नेताओं द्वारा दिये गये वचनों को पूरा करना चाहता हूं। हम जनता के साथ बहुत इकरार कर चुके हैं, लेकिन आज हमारे वचनों एवं कार्यों में बहुत अन्तर हो गया है। इससे जनता में बहुत असंतोष फैल गया है। यह उप-चुनावों के परिणामों से स्पष्ट है। मेरा अनुभव है कि योजना में कुछ त्रुटि रह गई है इसलिये हमें उसमें कुछ परिवर्तन करने चाहियें।

हमने, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से, अपना उद्देश्य समाजवादी ढांचे का समाज रखा है। पहिले हमारा उद्देश्य कवल स्वराज प्राप्ति था, तब स्वतन्त्रता प्राप्ति हो गया और आज बढ़ते-बढ़ते समाजवादी ढांचे का समाज व सहकारी प्रयत्नों पर आधारित राष्ट्र (कामन-वैल्थ) है। वस्तुतः ये शब्द भी जनता नहीं समझ सकती है। इसलिये गांधीजी सदैव स्वराज व रामराज्य जैसे शब्दों का प्रयोग करते थे। जनता समाजवादी ढांचे के समाज का तात्पर्य नहीं समझ सकती है। मेरा मत है कि इसे पारिवारिक ढांचे का समाज कहना ठीक होगा। वस्तुतः शब्द ऐसा होना चाहिये जिसे जनता भलीभांति समझ सके। उद्देश्य प्राप्ति के लिये गांधीजी हमें जो मार्ग दिखा गये हैं, वह सत्य, अहिंसा व उच्च विचारों का है। प्रगति एवं विकास के सम्बन्ध में भी गांधीजी ने यह कहा था कि हमें सदैव सादा रहन-सहन और उच्च विचार का आदर्श अपनाना चाहिये। किन्तु इसके बावजूद भी हम धन-सम्पत्ति की ओर भाग रहे हैं।

इसीलिये, योजना का ढांचा प्रकाशित होने पर मैंने प्रधान मंत्री को, जो कि योजना आयोग के अध्यक्ष हैं, इस योजना के सम्बन्ध में कुछ टिप्पणियां लिख कर भेजीं। मैं नहीं जानता कि योजना निर्माताओं पर इसका क्या प्रभाव हुआ। प्रतिवेदन में लिखा गया है कि योजना पर बहुत चर्चा हुई है, लेकिन इस चर्चा को इस प्रतिवेदन में स्थान कहां दिया गया है, यहां तक कि पेनेल के सदस्यों के विचारों को भी इसमें स्थान नहीं दिया गया है। मैं स्वयं गृह-निर्माण पेनेल का सदस्य था। उसमें ग्राम्य गृह-निर्माण अथवा ग्राम्य योजना का कहीं नाम भी नहीं था। गृह-निर्माण की नीति भी मेरे आग्रह पर ही रखी गई है। यद्यपि संयुक्त राष्ट्र संघ ने यह कहा है कि जब तक निश्चित गृह-निर्माण नीति नहीं होगी तब तक इस सम्बन्ध में कोई लाभ नहीं होगा। वस्तुतः हमारी गृह-निर्माण सम्बन्धी नीति पूंजीवादी है। मैंने इस नीति को बदलने के लिये निर्माण, आवास और संभरण मंत्री से कई बार आग्रह भी किया। हमने समिति में ग्राम्य नीति के सम्बन्ध में विचार किया और कई सुझावों पर भी विचार किया, किन्तु हमें यह ज्ञात हुआ कि स्वयं पेनेल तक ने सभापति के प्रतिवेदन पर विचार नहीं किया और योजना बन गई है। संसत्सदस्यों की परामर्श पात्री समिति की एक बैठक हुई थी, जिसमें लोक-सभा सचिवालय ने एक पुस्तिका दी थी, जिसमें सदस्यों द्वारा दिये गये सुझावों का उल्लेख था। उनमें से कितने सुझाव मान लिये गये ? वस्तुतः कई सुझावों पर तो विचार भी नहीं किया गया। क्या ऐसी स्थिति में हम इसे जनता की योजना कह सकते हैं ? यह केवल इस कारण है कि योजना आयोग में कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो हमारी तरह नहीं सोचते हैं अपितु भिन्न प्रकार से सोचते हैं। किन्तु ऐसी बातें अधिक दिनों तक नहीं चल सकती हैं। या तो आपको हमारी त्रुटि बतानी चाहिये, अन्यथा इस प्रकार की भ्रांति और गलती बढ़ती जायेगी। योजना आयोग में भी मतभेद है। आपने श्री नियोगी के विमति-टिप्पण को प्रतिवेदन में संलग्न किया है किन्तु आपने यह नहीं बताया है कि इन बातों को दूर करने के लिये आप क्या कर रहे हैं।

संसाधनों के सम्बन्ध में, मैं समिति में कह चुका हूं। उसकी एक प्रतिलिपि आप लोगों के पास भी है। मैं योजना के आकार-प्रकार के विरुद्ध नहीं हूं। तथापि राज्यों को वित्त सम्बन्धी अनुदेश दिये

बिना, योजना मांगने का प्रस्ताव उचित नहीं था; क्योंकि तत्पश्चात् उसमें दो-तिहाई तक काट-छांट कर दी गई। यह बहुत गम्भीर बात है। मैंने यह सुझाव दिया था कि चाहे आप योजना की अवधि बढ़ा दें लेकिन इन योजनाओं की काट-छांट करना उचित नहीं है।

संसाधनों के प्रश्न पर घाटे की अर्थ-व्यवस्था और मितव्ययिता करने का प्रश्न है। श्री देशमुख ने कहा है कि २० से ४० करोड़ रुपये का कर अपवंचन होता है। मैंने अपनी टिप्पणी में कुछ युक्तियां सुझाई हैं, जिनको अपना कर २५० करोड़ रुपये प्राप्त किये जा सकते हैं। मैंने वित्त मंत्री से, मितव्ययिता के सम्बन्ध में अपने सुझावों का उत्तर देने को कहा था। किन्तु उन्होंने उनका मजाक उड़ाया है। यह कोई कागजी योजना नहीं थी। मुझे यह बताते हुए दुख होता कि मैं रेलवे खाद्यान्न जांच समिति का अध्यक्ष था, जिसके सुझावों के फलस्वरूप प्रति वर्ष १३,६७,००,००० रुपये की बचत हुई। अपने मंत्रालय में ही मैंने तीन महीने के अन्दर ही ३३ प्रतिशत की बचत की थी। वस्तुतः ऐसा जान पड़ता है कि वित्त मंत्री मेरे सुझावों पर गम्भीरतापूर्वक ध्यान नहीं देना चाहते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि वे मितव्ययिता पर अधिक ध्यान नहीं दे रहे हैं।

प्रथम पंचवर्षीय योजना की सफलता का जिक्र किया गया है। यह कहा गया है कि कृषि और उद्योग दोनों के उत्पादन में पर्याप्त वृद्धि हुई है। मेरे विचार से उद्योग में जो कुछ अधिक उत्पादन हुआ वह गैर-सरकारी क्षेत्र के प्रयत्नों के फलस्वरूप ही हुआ है। वस्तुतः उत्पादन तो पहिले भी होता था किन्तु उसे दिखाया नहीं जाता था। यदि ऐसा नहीं होता, तो उत्पादन के साथ-साथ नियोजन में वृद्धि होनी चाहिये थी, तथापि ऐसा नहीं हुआ। मैं इस बात को स्वीकार नहीं करता हूं कि प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हुई है। राष्ट्रीय आय में वृद्धि हुई है किन्तु हम स्वतन्त्रता के ९ वर्षों के बाद भी सभी योग्य व्यक्तियों को काम नहीं दे सके हैं।

श्रम सहकारिता से सम्बन्धित एक टिप्पणी में मैंने कहा है कि गांवों में बेकारी का सामना करने की कोई व्यवस्था नहीं है। मैंने एक योजना बनाई थी जिसके अनुसार हम २५ करोड़ रुपये व्यय कर ५० लाख व्यक्तियों को रोजगार दिला सकते थे। मुझे संदेह है कि योजना मंत्री ने मेरी योजना को पढ़ा भी है या नहीं। मैं गांधीजी के इस कथन पर विश्वास करता हूं कि भारत को बदलने के लिये पहिले गांवों का सुधार करना होगा।

गृह-निर्माण समस्या को लीजिये। आपने मध्यम आय वर्ग वालों के लिये ३ करोड़ रुपये मंजूर किये हैं जिससे अधिक से अधिक ५,००० मकान बन सकते हैं। ग्राम्य गृह-निर्माण के लिये आपने १० करोड़ रुपये की व्यवस्था की है। जिससे आप ५,५०,००० गांवों में गन्दी बस्तियों को साफ कर मकान बनाना चाहते हैं गृह-निर्माण के लिये आपने १२० करोड़ रुपयों का उपबन्ध किया है जिनमें से गांवों के लिये केवल १० करोड़ रुपये रखे गये हैं।

प्रथम पंचवर्षीय योजना से हम एक सबक और सीख सकते हैं। ऐसे समय जबकि सारे मंत्री नियंत्रण की बात कह रहे थे, केवल एक व्यक्ति ने अपने दूरदर्शिता से इसका विरोध किया और यदि ये नियंत्रण आज भी जारी रहते तो क्या हम यह योजना बना सकते थे ? हम फिर उन्हीं नियंत्रणों को लागू करना चाह रहे हैं।

वित्त मंत्री ने कहा है कि स्फीतिकारी प्रवृत्ति को रोकने का भरसक प्रयत्न किया जायेगा। वस्तुतः घाटे की अर्थ-व्यवस्था भी १,२०० करोड़ की न होकर २,००० करोड़ तक पहुंच जायेगी। इसके अलावा मैं विदेशी सहायता के भी विरुद्ध हूं। यह हमारी अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा के विरुद्ध है, क्योंकि यह सारी सहायता साम्यवाद का सामना करने के लिये दी जाती है। अर्द्ध-विकसित देशों से सम्बन्ध रखने वाली एक पुस्तिका में कहा गया है कि अमेरिकी मशीनों से अर्द्ध-विकसित देशों को कोई लाभ नहीं होता है

[श्री मोहनलाल सक्सेना]

क्योंकि ये श्रम को न्यूनतम कर देतीं हैं जिसकी उन देशों को आवश्यकता नहीं है। महात्मा गांधी ने ३१ जुलाई, १९४७ को राज्यों के उद्योग मंत्रियों के एक सम्मेलन में भाषण देते हुए कहा था कि मेरा मत है कि मशीनों से तब तक काम न लिया जाय जब तक कि सारे श्रमिकों को रोजगार न मिल सके। किन्तु आज हम से यह कहा जाता है कि हमें इन बातों पर ध्यान नहीं देना होगा। विशेषज्ञ लोग जो कभी स्वतन्त्रता संग्राम में हमारे साथ नहीं थे, न जिन्हें हमारे देश के भविष्य की ही चिन्ता है, कहते हैं कि चर्खे और हथकरघे को गृह उद्योगों से पृथक रखना होगा। गृह उद्योगों के सम्बन्ध में एक समिति स्थापित की गई थी। उसने कुछ सिफारिशें की। उन सिफारिशों को अभी तक क्रियान्वित नहीं किया गया है। यदि गृह उद्योग से लाखों लोगों को जीविका मिलने की तथा उद्योगों के विकेन्द्रीकरण की सम्भावना है, तो इसका एक पृथक मंत्रालय होना चाहिये। और एक केबिनट स्तर का मंत्री उसका प्रभारी होना चाहिये। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो कम से कम छहों बोर्डों को एक मंत्रालय के अन्तर्गत रख दीजिये। समिति ने यही सिफारिश की है। यदि आप बेकारी को समाप्त करना चाहते हैं तो आपको इस योजना पर तत्काल काम करना चाहिये। यद्यपि इस प्रतिवेदन को दिये हुए एक वर्ष हो गया तथापि पारस्परिक मतभेदों के कारण आप अभी तक अपने निर्णय को क्रियान्वित नहीं कर सके। आपको ये मतभेद दूर करने होंगे।

श्री एन० सी० चटर्जी ने यह कहा है कि आप अपन खाद्य उत्पादन को ४० प्रतिशत नहीं बढ़ा सकते हैं। मेरे विचार से यह संभव है। योजना आयोग ने कहा है कि प्रत्येक गांव में लगभग १० एकड़ भूमि बिना जुती हुई बेकार पड़ी रहती है। मैंने एक योजना सुझाई है। यदि उसके अनुसार कार्य किया गया तो इससे निस्संदेह हमारे संसाधनों में वृद्धि होगी।

इस के बाद श्रमिकों का प्रश्न है। अब प्रत्येक व्यक्ति नकद भुगतान चाहता है। इस सम्बन्ध म मैंने एक योजना का सुझाव दिया है जिस पर केवल २५ करोड़ रुपये ख़र्च होंगे। इस योजना के अधीन जिस व्यक्ति को श्रमिकों की आवश्यकता होगी वह सहकारी संस्था से उन्हें प्राप्त कर सकेगा और फसल की कटाई के बाद मजूरी का भुगतान किया जायगा। परन्तु इन बातों पर विचार करने के लिये आप के पास समय नहीं है। आप अपने ही विचारों में व्यस्त हैं।

प्रथम पंचवर्षीय योजना से हमने दो या तीन बातें सीखी हैं। पहली बात तो यह है कि हमें बड़ी-बड़ी योजनायें नहीं बनानी चाहियें। हमें छोटी योजनायें बनानी चाहियें जिनका दो या तीन वर्ष में परिणाम निकल सके। इसीलिये मैंने छोटी बचत की योजना का और विकास के लिये कई अन्य योजनाओं का सुझाव दिया था। मैंने मकानों के सम्बन्ध में ५ लाख आवास स्थानों के विकास का तथा गृह-निर्माण बन्ध-पत्र जारी करने का सुझाव दिया था। मुझे विश्वास है कि लोग चन्दा देने के लिये और आपको रुपया देने के लिये तैयार होंगे। मैंने यह भी सुझाव दिया था एक लाख फलोद्यानों की व्यवस्था की जाये और फलोद्यान बचत बन्ध-पत्र जारी किये जायें। पांच वर्षों के बाद आप के पास इतने फलोद्यान हो जायेंगे कि आप उन्हें सुगमता से बेच सकेंगे। इसके अतिरिक्त मैंने राशन बचत बन्ध-पत्र का भी सुझाव दिया था। मुझे विश्वास है कि दामों में बृद्धि की प्रवृत्ति को देखते हुए प्रतिवर्ष १० करोड़ रुपये के मूल्य के बन्ध-पत्र बेचे जा सकेंगे। इस प्रकार आप दामों को स्थिर रख सकते हैं।

मैं अन्त में एक बात यह कहूंगा कि जहां तक योजना का सम्बन्ध है, आपको निश्चित उद्देश्य रखने चाहियें और स्पष्ट नीति अपनानी चाहिये। यह बात मंत्रियों की इच्छा पर नहीं छोड़नी चाहिये। जैसे कि अब हम विदेश से शहद, मक्खन और अन्य वस्तुएं मंगवाते हैं। विदेशों से इनका आना बन्द कर देना चाहिये, यदि हम अपनी विदेशी मुद्रा बचाना चाहते हैं तो हमें देश में इन वस्तुओं का उत्पादन करना चाहिये।

यदि आप सप्तवर्षीय योजना की व्यवस्था करते जिसमें त्रैवार्षिक या द्विवार्षिक लक्ष्य निश्चित किये गये होते तो अधिक अच्छा होता। परन्तु वार्षिक योजनायें निरर्थक हैं। इसका केवल यही अर्थ है कि आप उत्तरदायित्व से हिचकिचाते हैं और तथ्यों का सामना नहीं करना चाहते हैं।

पहले दो वर्षों में मेरी नीति यह होगी कि प्रशासन की कार्य-व्यवस्था को दृढ़ बनाया जाये। इसी लिये मैंने प्रधान मंत्री को सुझाव दिया था कि एक नियम बनाया जाना चाहिये कि प्रत्येक पदाधिकारी प्रत्येक वर्ष में कम से कम पन्द्रह दिन या एक महीना किसी गांव में या कारखाने में बिताये। तब उन्हें वास्तविक परिस्थितियों का ज्ञान हो सकेगा।

अन्त में मेरा यह सुझाव है कि आप प्रत्येक स्वस्थ बालिग श्रमिक को योजना को लागू करने के लिये काम करने या अंशदान देने के लिये कहें। आप श्रम उद्ग्रहण से अगले पांच वर्षों में चार करोड़ रुपये बचा सकते हैं।

बेरोज़गारी को दूर करने के लिये कुटीर-उद्योगों का विकास किया जाना चाहिये। अन्त में मेरा यह निवेदन है कि योजना को लागू करने के लिये आपको जनता में राष्ट्रीय एकता की भावना जागृत करनी चाहिये और लोगों में उत्साह पैदा करना चाहिये।

†**सभापति महोदय** : २३ तथा २५ मई, १९५६ को जो संशोधन प्रस्तुत किये गये थे उनके अतिरिक्त माननीय सदस्य दो और संशोधन प्रस्तुत करना चाहते हैं।

†**श्री सी० आर० नरसिंहन्** : (कृष्णगिरि) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

कि संकल्प के अन्त में यह अंश जोड़ दिया जाये :

"and relying on the enthusiasm and support of the people, affirms the common determination of the nation to carry out and improve the targets and aims set out in it; and further calls upon all the citizens of India to work whole-heartedly for the full and timely realisation of the targets and aims of the Second Five-year Plan."

["और जनता के उत्साह तथा सहयोग पर भरोसा करते हुए, लक्ष्यों तथा उसमें रखे गये उद्देश्यों को पूरा करने और उनका सुधार करने के लिये राष्ट्र के सामान्य निश्चय की पुष्टि करती है; और यह भी कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना के लक्ष्यों तथा उद्देश्यों को पूर्णतः तथा निर्धारित समयावधि में प्राप्त करने में हार्दिक लगन से कार्य करने के लिये भारत के सभी नागरिकों का आह्वान करती है।"]

†**श्रीमती शिवराजवती नेहरू** (ज़िला लखनऊ—मध्य) : मैं प्रस्ताव करती हूं :

कि संकल्प के अन्त में यह अंश जोड़ दिया जाय :

"and calls upon the nation to work whole-heartedly for realising the targets set out in the Plan."

["और योजना में रखे गए लक्ष्यों को प्राप्त करने में हार्दिक लगन से कार्य करने के लिये राष्ट्र का आह्वान करती है।"]

†**सभापति महोदय** : ये संशोधन भी सभा के समक्ष प्रस्तुत हैं।

---

†मूल अंग्रेज़ी में।

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** (पटना–पूर्व) : श्री मोहनलाल सक्सेना ने जो कुछ कहा है उनकी कुछ बातों से मैं सहमत नहीं हूं। परन्तु उन्होंने बचत बन्ध-पत्र के विषय में जो कुछ कहा है, मुझे आशा है कि सरकार उस पर उचित ध्यान देगी।

जहां तक प्रथम पंचवर्षीय योजनाओं की सफलताओं का सम्बन्ध है कुछ निराश व्यक्तियों को छोड़ कर सभी लोगों को उन पर गर्व है। हमने योजना के ९० प्रतिशत से अधिक लक्ष्य प्राप्त कर लिये हैं समस्त राष्ट्र को इस सफलता पर गर्व है। पिछली सफलताओं को देखते हुए यह द्वितीय योजना भी बहुत प्रभावशाली और दृढ़ है और इसके परिणाम और भी सुन्दर होंगे। फिर भी कई विरोधाभास विषय हैं जिनका हमें सामना करना होगा। पहला विरोधाभास एक लोकतन्त्रात्मक संविधान में समाजवादी योजना का है। फिर अणु उद्योग के सम्बन्ध में कहा जाता है कि इसके लिये विकेन्द्रीकरण नहीं अपितु केन्द्रीकरण की आवश्यकता है। इसलिये एक ओर तो केन्द्रीकरण की नीति पर चलने की आवश्यकता है और दूसरी ओर हम हस्त-उद्योगों के सम्बन्ध में विकेन्द्रीकरण की नीति अपना रहे हैं। मैं यह कह नहीं सकती कि सरकार ने या योजना बनाने वालों ने इन दोनों में कैसे समझौता किया है। अन्त में सब से महत्वपूर्ण समस्या बेरोज़गारी की है। यह एक अजीब-सी बात है कि इतनी विशाल जन-संख्या में से हमें प्रशिक्षित व्यक्ति नहीं मिल रहे हैं। दूसरी ओर शिक्षित बेरोज़गारी अत्यधिक है। इसलिये यह कुछ ऐसी विरोधाभास तथा गम्भीर समस्यायें हैं जिनका हमें समाधान करना होगा।

सब से अधिक वाद-प्रतिवाद संसाधनों के सम्बन्ध में है। वित्त मंत्री ने संकेत किया था कि हमें संसाधनों की चिन्ता नहीं करनी चाहिये। परन्तु प्रश्न यह है कि हमारे संसाधन कहां से आयेंगे? जैसा कि श्री मोहनलाल सक्सेना ने कहा है वास्तव में केवल २,४०० करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। इससे अधिक और धन प्राप्त भी नहीं हो सकेगा। १,२०० करोड़ रुपये विदेशी सहायता से प्राप्त होंगे। विदेशी सहायता राजनीतिक और अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थितियों पर निर्भर है। हमें आशा है कि योजना सफल होगी। परन्तु मान लीजिये कुछ ऐसी बात हो जाती है कि हमें सहायता नहीं मिलती है तब फिर क्या होगा? सरकार को इस बात पर भी विचार करना चाहिये।

श्री नियोगी ने अपने विचार प्रकट करते हुए जो कुछ कहा है उसमें काफ़ी सच्चाई है। उचित गणना के बिना देश की योजना नहीं बनाई जा सकती है। अपने संसाधनों के आधार के बिना हम भविष्य के लिये योजना नहीं बना सकते हैं। आज सवेरे वित्त मंत्री ने फिर हम से इस विषय पर चुप रहने के लिये कहा था परन्तु हमारी योजना इतनी बड़ी और विशाल है कि जब तक हमारे पास निश्चित संसाधन न होंगे, तब तक हमें यह मालूम न होगा कि हमें धन कहां से प्राप्त होना है। हमें योजना के प्रति विश्वास कैसे होगा? आप यह कह कर लोगों में आशा जागृत करना चाहते हैं कि आप लोगों का स्तर ऊंचा उठाने जा रहे हैं परन्तु आपके हाथों में ५० प्रतिशत संसाधन न होने से यदि योजना असफल रहती है तब क्या होगा? क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि इसका देश पर क्या प्रभाव होगा? देश में चारों ओर निराशा छा जायेगी, और वह टुकड़े-टुकड़े हो जायेगा।

कुछ दिन पूर्व मैंने उपमंत्री महोदय श्री हाथी से एक प्रश्न पूछा था कि क्या सभी निर्वाचन-क्षेत्रों में विकास कार्य रोक दिया गया है, और इसका उत्तर देते हुए उन्होंने कहा था कि हां विकास कार्य रोक दिया गया है। तो आप स्वयं सोचिये कि यदि किसी गांव के लिये पहले तो कोई कुआं अथवा सड़क तैयार करने की मंजूरी दे दी जाये और फिर उस काम को रोक दिया जाये तो वहां की जनता कितनी निराश होगी। इसलिये योजना मंत्री महोदय से मेरा निवेदन है कि वह लोगों

†मूल अंग्रेज़ी में।

की आशाओं को इतना अधिक उभारें नहीं अन्यथा अन्त में यदि संसाधनों की कमी के कारण उनकी आशायें पूर्ण न हुईं तो उससे जनता अत्यन्त निराश होगी। और उसके परिणामस्वरूप देश टुकड़े-टुकड़े हो जायेगा ।

द्वितीय पंचवर्षीय योजना एक अत्यन्त सुन्दर योजना है और उसमें विभिन्न विभागों के लिये जो राशियां निर्धारित की गई हैं, संभवतः उससे सभी सदस्य सहमत होंगे। परन्तु जहां तक रेलवे तथा परिवहन मंत्रालय के लिये निर्धारित किये गये धन का सम्बन्ध है, मैं समझती हूं कि उसमें एक भारी त्रुटि रह गई है। वित्त मंत्री का यह कहना है कि घाटे की अर्थ-व्यवस्था परिवहन प्रणाली पर निर्भर करती है। परन्तु जब परिवहन के लिये इतनी कम राशि निर्धारित की गई है, आप यह आशा कैसे कर सकते हैं कि परिवहन प्रणाली शीघ्र ही विकसित हो जायेगी और फिर उससे देश उन्नत होगा ?

कुछ एक सदस्यों ने इस किम्वदंती का उल्लेख किया है कि वित्त मंत्री इस योजना को षष्ट-वर्षीय योजना बनाना चाहते थे। तो मेरा प्रश्न यह है कि वित्त मंत्री के उस सुझाव को क्यों नहीं माना गया। योजना मंत्री से मेरी प्रार्थना है कि वह वित्त मंत्री के उस सुझाव पर अच्छी प्रकार से विचार करें कि क्या उसे षष्टवर्षीय योजना बनाया जा सकता है।

दूसरा सुझाव यह है कि एक दोहरी योजना तैयार की जाये। पंचवर्षीय योजना के प्रत्येक वर्ष की वार्षिक योजना सभा में प्रस्तुत की जाये और उस पर चर्चा की जाये। मैं समझती हूं कि इस सुझाव को स्वीकार करने में कोई हानि नहीं। इसलिये योजना मंत्री से मेरा निवेदन है कि इस बात पर अच्छी प्रकार से विचार किया जाये ।

करारोपण के सम्बन्ध में यह कहा गया है कि हम लगभग ३८० करोड़ रुपया तो वर्तमान राजस्व से प्राप्त करेंगे तथा ४५० करोड़ रुपया अतिरिक्त करारोपण से प्राप्त करेंगे। मैं यह समझती हूं कि अतिरिक्त कराधानों के बारे में ठीक अनुमान नहीं लगाया गया है। योजना आयोग ने राज्य सरकारों से जितना अतिरिक्त धन करारोपण से प्राप्त करने का अनुमान लगाया है, वह राज्य सरकारों द्वारा भेजे गये अनुमान से ६५ करोड़ अधिक है। मैं पूछती हूं कि योजना आयोग ने इतना अधिक अनुमान कैसे लगाया है ? मैं पूछती हूं कि आप जनता पर इतना अधिक कर कैसे लगायेंगे ? वित्त मंत्री ने स्वयं कहा है—हमें जनता को धन की बचत करने के लिये प्रोत्साहित करना चाहिये। जब आप निर्धन जनता पर इतने भारी कर लगायेंगे तो आप उनसे बचत की आशा कैसे कर सकते हैं ? वित्तीय बचत और अतिरिक्त करारोपण में एक संतुलन पैदा करने की आवश्यकता है। इसलिये मेरा यही निवेदन है कि आप पहले अर्थ तथा गणित के आधार पर इस बात का हिसाब लगायें कि बचत के कार्य पर बिना किसी प्रकार से आघात पहुंचाये कितनी सीमा तक अतिरिक्त कर लगाये जा सकते हैं।

इस सम्बन्ध में एक और बात भी है और वह यह कि घाटे की अर्थ-व्यवस्था को संतुलित करने क लिये हमें अपनी उत्पादन क्षमता को बढ़ाना चाहिये। परन्तु प्रश्न यह है कि हम उपभोक्ता वस्तुओं को प्रोत्साहन कैसे दें और मशीनों के निर्माण के लिये अपने संसाधनों का अधिकतम उपयोग कैसे करें ? हम ने इसकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया है।

[**उपाध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

विदेशी आर्थिक सहायता के सम्बन्ध में श्री मोहनलाल सक्सेना तथा कुछ अन्य सदस्यों ने इस का घोर विरोध किया है, परन्तु मैं समझती हूं कि हमें इसका विरोध नहीं करना चाहिये। मैं चाहती हूं क विदशी समवाय भी भारतीय अर्थ-व्यवस्था में सहायता करें और हमारी योजनाओं

[श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा]

को सफ़ल बनाने में हमें सहयोग दें। आज विश्व बहुत प्रगति कर चुका है। सभी देश एक दूसरे के निकट आ चुके हैं। इसलिये मैं यह विश्वास नहीं करती कि यदि हम विदेशी धन को देश में आने देंगे तो उससे हमारी अर्थ-व्यवस्था उनके अधीन हो जायेगी। ऐसे बहुत से देश हैं जो हमें आर्थिक सहायता देने के लिये तैयार हैं। इसलिये भारत संसार में यह विश्वास उत्पन्न करे कि वह अन्य देशों से आने वाली आर्थिक सहायता का आदर करेगा, और जब अपने पास पर्याप्त धन हो जायेगा तो वह उस ऋण को वापिस कर देगा; इसलिये मैं श्री सक्सेना के इस कथन से सहमत नहीं हूं कि विदेशी ऋण लेना भारत की प्रतिष्ठा के अनुकूल नहीं है।

मैं यह स्पष्ट कर देना चाहती हूं कि हमने उपहार के रूप में तो बहुत कम विदेशी सहायता प्राप्त की है। जहां तक अमेरीका का सम्बन्ध है हमने दीर्घकालीन शर्त के आधार पर ऋण प्राप्त किया है, और हमें उसी प्रकार का ऋण अन्य देशों से भी प्राप्त करना चाहिये। संसार के अनेकों देशों ने अमेरीका से सहायता प्राप्त की है, परन्तु इसका यह अर्थ नहीं कि अमेरिका उन सभी देशों पर छा गया है। इसलिये हमें इस प्रकार की कोई भी आशंका नहीं करनी चाहिये और इसलिये मैं यह चाहती हूं कि हमें अधिक से अधिक विदेशी धन प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिये।

हमारे संसाधनों में ४०० करोड़ रुपये की कमी है, परन्तु इसमें कुछ भी नहीं बताया गया है, कि यह कमी पूरी कैसे होगी। मैं नहीं समझती कि इस कमी को विदेशी मुद्रा के द्वारा पूरा किया जा सकेगा। प्रथम पंचवर्षीय योजना के समय तो यह कमी पौंड पावने के द्वारा पूरी कर ली गई थी, परन्तु इस द्वितीय योजना के समय कमी पूरी कैसे होगी? इसलिये अच्छा तो यही है कि हम विदेशों से आयात वस्तुओं की अपक्षा अपनी उत्पादित वस्तुओं पर ही निर्भर रहना सीखें। इसलिये हमें अपने आन्तरिक उत्पादन पर अधिक बल देना चाहिये।

†**श्री जी० डी० सोमानी** (नागौरपाली) : द्वितीय पंचवर्षीय योजना एक अत्यन्त सुन्दर तथा व्यापक योजना है, जिसके निर्माण में देश के बड़े-बड़े राजनीतिज्ञों तथा अर्थ-शास्त्रियों ने पूरा-पूरा योग दिया है।

कुछ एक सदस्यों ने इसके बारे में निराशावादी भावना को अभिव्यक्त किया है; मैं उनका समर्थन नहीं करता। मैं समझता हूं कि अब वह समय आ गया है जबकि हमें इसकी आलोचना करना छोड़ कर इसे कार्यान्वित करने तथा देश में निर्माण कार्य करने में लग जाना चाहिये।

संसद् के सदस्यों ने इसके बारे में पर्याप्त आलोचना कर ली है और उन्हें योजना आयोग तथा सरकार के सम्मुख अपने-अपने विचार प्रकट करने के पर्याप्त अवसर मिल चुके हैं, इसलिये इस समय आलोचना करने में कोई न्यायोचितता नहीं है।

योजना के वित्तीय संसाधनों के बार में जो भय और आशंकायें प्रकट की गई हैं, मैं उनसे सहमत नहीं हूं। हमें अपने देश की आकांक्षाओं को पूरा करना है, और इसके लिये हमें इस योजना को कार्यान्वित करना है, और उसकी कार्यान्विति के लिये हमारी देशभक्ति तथा संसाधन क्षमता की आवश्यकता है हमें इसके लिये संसाधन खोजने ही पड़ेंगे।

योजना में स्पष्ट लिखा हुआ है कि इसका उद्देश्य देश की अर्थनीति को गति प्रदान करना है जिससे कि हम भौतिक और सांस्कृतिक तथा बौद्धिक दृष्टि से उत्थान कर सकें। इसलिये यह आवश्यक है कि देश की सभी समस्याओं की ओर ठीक प्रकार का दृष्टिकोण अपनाया जाये।

यदि हम सारे देश में निर्माण कार्य चलाना चाहते हैं तो संसाधनों की प्राप्ति के लिये हमें कोई न कोई प्रबन्ध करना ही होगा। मैं प्रधान मंत्री के इस कथन से सहमत हूं कि देश के प्रत्येक नागरिक का

†मूल अंग्रजी में।

यह कर्तव्य है कि वह देश के निर्माण में पूरा योग दे, और उस निर्माण कार्य की पूर्ति के लिये संसाधन जुटाने का प्रयत्न करे ।

यह सच है कि संसाधन जुटाना एक कठिन कार्य है, और उसके लिये कई प्रकार के सुझाव दिये गये है । इस बारे में मेरा योजना आयोग तथा सरकार से यही निवेदन है कि वह कोई ऐसा उपाय सोचे जिससे सारे देश में संसाधन जुटाने का कार्य उत्साहपूर्वक प्रारम्भ किया जा सके ।

इस सम्बन्ध में मेरा यह सुझाव है कि यदि लघु बचत के रूप में एकत्रित हुई राशि में से ५० प्रतिशत राशि उसी क्षेत्र के लिये निर्धारित कर दी जाये जहां से वह एकत्रित की गई है तो मैं समझता हूं कि उससे वहां की जनता यह कार्य बड़े उत्साहपूर्वक करेगी और अधिक से अधिक धन एकत्रित करने का प्रयत्न करेगी ।

इस कार्य के लिये आवश्यक प्रचार करने के लिये तथा विज्ञापन के लिये कोई अच्छा सा प्रबन्ध किया जाये । प्रत्येक संस्था में इस का प्रचार किया जाये । मैं समझता हूं कि संसाधन जुटाने की समस्या तभी हल होगी ।

प्रचार के कार्य के लिये में समझता हूँ कि भारत सेवक समाज हमारी बहुत सहायता कर सकता है । इसलिये इसे अधिक से अधिक सम्पन्न बनाया जाये ताकि यह गैर-सरकारी संस्था इस कार्य में सहायता कर सके ।

इस लिये मेरी सभी पार्टियों के नेताओं से प्रार्थना ह वे अपने-अपने मत-भद त्याग कर इस योजना को सफल बनाने में सरकार को पूरा पूरा सहयोग दें ।

इस सम्बन्ध में सरकारी तथा ग़ैर-सरकारी क्षेत्र की क्या देन होगी इस बारे में थोड़ा सा मत-भेद प्रकट किया गया है । जहां तक ग़ैर-सरकारी क्षेत्र का सम्बन्ध है मैं योजना में बताये गये दृष्टिकोण का स्वागत करता हूं । योजना में लिखा हुआ है कि सरकारी और ग़ैर-सरकारी क्षेत्र दोनों कंधे से कंधा मिला कर काम करें, दोनों में कोई भेद नहीं दीखना चाहिये । इस प्रकार से ग़ैर-सरकारी क्षेत्र के महत्व को भी स्वीकार किया गया है ।

ग़ैर-सरकारी क्षेत्र की ओर से सरकारी नीति के प्रति कई प्रकार की शिकायतें प्रस्तुत की गई हैं । परन्तु इस सम्बन्ध में मेरी यही प्रार्थना है कि व्यापारी वर्ग आज के युग के ऐतिहासिक महत्व को समझें जब कि देश की जनता के जीवन-स्तर को उठाने का प्रयत्न किया जा रहा है । हमें चाहिये कि हम सभी मिलकर भारत के नव-निर्माण में पूरी-पूरी सहायता करें । इसलिये हम अपने-अपने भेद भावों को भुलाकर इस योजना को सफल बनाने का प्रयत्न करें ।

जहां तक औद्योगिक नीति संकल्प का सम्बन्ध है, यह कहा जा सकता है कि ऐसी बहुत कम वस्तुएं हैं जो ग़ैर-सरकारी क्षेत्र के लिये छोड़ी गई हैं, और मैं भी वैसा ही अनुभव कर रहा हूं । इसलिये योजना आयोग तथा सरकार से यह प्रार्थना है कि विकास कार्य के इन लक्ष्यों को बढ़ा दिया जाये, क्योंकि हम देख चुके हैं कि गैर-सरकारी क्षेत्र अधिक कार्य करने में समर्थ है ।

परिवहन मंत्रालय के आवंटित किये गये धन के बारे में मैं अनुभव करता हूं कि योजना आयोग ने उसके लिये १,४८० करोड़ से घटा कर जो १,१२५ करोड़ रुपया कर दिया है वह ठीक नहीं किया है । यदि हम परिवहन को क्षमता को बढ़ाना चाहते हैं तो उसके लिये धन भी बढ़ाना ही होगा । मैं समझता हूं कि इस के लिये राशि को घटा कर आयोग ने अत्यन्त संकुचित दृष्टिकोण प्रकट किया है ।

रेलवे मंत्रालय के पास इतने अधिक संसाधन नहीं हैं जिससे वह इस सारे विकास कार्य को निभा सके । इसलिये योजना आयोग से मेरा निवेदन है कि वह रेलवे मंत्रालय को विस्तार योजनायें पूर्ण करने के लिये पर्याप्त धन दे ताकि आशातीत प्रगति हो सके । कई स्थानों पर नये कारखाने खोलने के लिये लायसेन्स तो दे दिये गये हैं, परन्तु रेलवे ने उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने से इन्कार

[श्री जी० डी० सोमानी]

कर दिया है क्योंकि उसको इतना धन नहीं दिया गया है जिससे वह उन स्थानों पर रेल की सुविधाएं प्रदान करके उन कारखानों की सहायता कर सके।

इस्पात, सीमेंट और कोयले पर अधिक ज़ोर देने के कारण यह स्पष्ट है कि परिवहन के समय सैंकड़ों अन्य वस्तुओं को प्रथम स्थान नहीं दिया जायेगा। योजना आयोग को इस प्रकार से रकम का आवण्टन करना चाहिये कि अन्य उद्योगों के विकास को आघात न पहुंचे।

जहाँ तक रेलवे परिवहन का प्रश्न है, रेलवे को चाहिये कि अपनी पूरी क्षमता के अनुसार उसमें उन्नति करे क्योंकि रेलवे को तो व्यय करने के कुछ समय बाद ही धन प्राप्त हो जाता है।

अब मैं कपड़े के प्रश्न को लेता हूं। इस बात पर सब सहमत हैं कि बढ़ते हुए दामों को रोकने का एक मात्र इलाज यही है कि उत्पादन में वृद्धि की जाये। अन्न उत्पादन में तो हमें विश्वास दिलाया गया है कि द्वितीय योजना में १८ प्रतिशत से लेकर ४० प्रतिशत तक वृद्धि होगी परन्तु खाद्य और कृषि मंत्रालय के प्रतिवेदनों से पता चलता है कि यदि उन्हें पर्याप्त धन प्राप्त न हुआ तो यह लक्ष्य पूरा न हो सकेगा।

जहां तक वस्त्र का प्रश्न है, सरकार मिलों का उत्पादन बढ़ाना नहीं चाहती किन्तु सरकार की यह कठोर नीति अप्रत्यक्ष रूप में मिल मालिकों के लिये एक वरदान है। इसका कारण यह है कि उत्पादन कम होने के कारण वस्त्र के भाव ऊंचे रहते हैं और लाभ अच्छा होता है। अतः सरकार यदि अपनी नीति का पुनरीक्षण भी करे तो उसे बम्बई राज्य के अतिरिक्त उन क्षेत्रों की ओर ध्यान देना चाहिये जहां वस्त्र उत्पादन कम होता है। इस बात में कोई तथ्य नहीं है कि हम किसी स्वार्थ से मिलों के वस्त्र-उत्पादन में वृद्धि चाहते हैं।

बम्बई मिल मालिक संघ ने योजना आयोग को एक ज्ञापन भेजा था कि अम्बर चर्खे से जितना रोज़गार बढ़ेगा उतना मिलों की क्षमता बढ़ाने से भी बढ़ सकता है।

मिल उत्पादन बढ़ने से सरकार को उत्पादन शुल्क, बिक्री कर और आयकर अधिक मिल सकेगा। इस धन को सरकार अन्य कार्यों में लगा सकती है। इस के विपरीत सरकार हथकरघों और अम्बर चर्खों के लिये आर्थिक सहायता दे कर अपने धन में और कमी करना चाहती है। सरकार चाहे इस काम के लिये कितना ही व्यय करे किन्तु उसे मिल-उत्पादन की वृद्धि के लिये भी कुछ कार्यवाही अवश्य करनी चाहिये ताकि वस्त्र के बढ़ते हुए भावों में कुछ गिरावट हो सके। इस प्रश्न का निर्णय आर्थिक और प्राविधिक आधार पर किया जाना चाहिये। हम ने अम्बर चर्खे के बारे में जो स्थिति है वह पूर्णरूपेण स्पष्ट कर दी है। योजना आयोग को मिलों की ओर विशेष ध्यान देना चाहिये।

अन्त में, मैं प्रादेशिक असमानताओं के बारे में यह निवेदन करता हूं कि जहां तक संभव हो ये असमानतायें दूर की जायें। उदाहरण के लिये राजस्थान में उर्वरक कारखाने का प्रश्न है। योजना आयोग को यह ज्ञात होते हुए भी वहां कोई कारखाने का उपबन्ध नहीं किया गया कि वहां इस का कारखाना खुलने से उर्वरक बहुत सस्ते मिल सकते हैं। इसी प्रकार वहां सीसे, जस्ते आदि की खानें हैं। राजस्थान में इतने खनिज पदार्थ हैं फिर भी उसके लिये कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। सरकार को चाहिये कि जो क्षेत्र पहले ही पिछड़े हुए हैं उन्हें और अधिक पिछड़ा हुआ न बनाये।

अनेक लोग ग़ैर-सरकारी क्षेत्र की प्रायः आलोचना करते रहते हैं और ग़ैर-सरकारी क्षेत्र का एक प्रतिनिधि होने के नाते मैं उस आलोचना का यहां उत्तर नहीं देना चाहता। किन्तु मैं यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि राष्ट्रीय निर्माण में हम किसी से पीछे नहीं रहेंगे। इतिहास में यह कभी नहीं लिखा जायेगा कि ऐसे पुनीत अवसर पर हमने सहयोग नहीं दिया। मैं भारत के प्रत्येक नागरिक से आशा करता हूं कि देश के निर्माण में वह पूरा-पूरा सहयोग देगा।

†**श्री कासलीवाल** (कोटा—झालावाड़) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे पूर्व वक्ताओं ने इस अवसर को अत्यन्त प्रोत्साहक एवं आकर्षक बताया है किन्तु यह एक गम्भीर अवसर भी है क्योंकि हमारा इस समय का कार्य इतिहास में सदैव महत्वपूर्ण बना रहेगा ।

श्री अशोक मेहता कल बता रहे थे कि प्रजातन्त्र में पहली बार ऐसा हुआ है कि योजना के आधार पर काम किया जा रहा है। हमारे आदर्श का अन्य देश भी पालन करेंगे। प्रथम योजना ने समाजवादी आधार की नींव डाली है जबकि द्वितीय योजना उस का ढांचा तैयार कर रही है। प्रथम योजना से राष्ट्रीय आय में १८ प्रतिशत वृद्धि हुई है और उसे हम एक सफल योजना कह सकते हैं।

प्रधान मंत्री ने अपने भाषण में कहा है कि हम प्रतिवर्ष अपनी योजना के कार्यों, लक्ष्यों और वास्तविक स्थिति का पुनरीक्षण करते रहेंगे जिससे वह अधिक सफल हो सके। इस कथन का श्री एन० सी० चटर्जी ने यह अर्थ ले लिया कि हमारी वार्षिक योजनायें द्वितीय पंचवर्षीय योजना से पृथक् हैं। यह उनका भ्रम है।

अब मैं योजना के मूल उद्देश्यों के विषय में कुछ शब्द कहना चाहता हूं। पहली बात तो यह है कि द्वितीय योजना में कृषि और सामुदायिक विकास के लिये केवल १५·१ प्रतिशत व्यय का उपबन्ध किया गया है जो बहुत कम है और उसे बढ़ाया जाना चाहिये। प्रधान मंत्री ने हमें आश्वासन दिया है कि अगले पांच वर्षों में अन्न का उत्पादन ३५ से ४० प्रतिशत तक बढ़ जायेगा। फिर भी मैं समझता हूं कि कृषि के लिये माननीय वित्त मंत्री को एक अरब रुपये का और उपबन्ध करना चाहिये।

उद्योग और खनन कार्यों के लिये हमारा लक्ष्य काफी बढ़ गया है। पहले ७·६ प्रतिशत व्यय के स्थान पर अब १८·५ प्रतिशत व्यय का उपबन्ध किया गया है। अलबत्ता संचार और परिवहन के लिए काफी रकम नहीं रखी है। इसका संकेत श्री सोमानी ने पहले ही कर दिया है। संचार और परिवहन बड़े महत्वपूर्ण विषय हैं। हमें लौह-अयस्क आदि कच्ची धातुओं के निर्यात के लिये पर्याप्त परिवहन के साधन उपलब्ध होने चाहियें। मैं आशा करता हूं कि योजना मंत्री इस के लिये कम से कम एक अरब रुपये का और उपबन्ध करेंगे ।

इन सुझावों के उपरान्त इन के लिये धन प्राप्ति के साधनों पर कुछ प्रकाश डालना आवश्यक हो जाता है। धन के साधनों के बारे में मैं बहुत आशावादी हूं।

पिछली योजना के समय छोटी बचतों और उधार कार्यक्रमों के अन्तर्गत सरकार ने १ अरब १५ करोड़ रुपये एकत्र किये थे अतः मैं आशा करता हूं कि इस योजना में जैसा उपबन्ध किया गया है उसके अनुसार ५ अरब रुपये एकत्र किये जा सकेंगे। एक सदस्या को इस धन की प्राप्ति पर सन्देह है किन्तु मैं उन्हें विश्वास दिलाता हूं कि इतनी रकम अवश्य जुट जायेगी।

जहां तक वाह्य संसाधनों का प्रश्न है, हमारा अनुमान है कि हमें विदेशों से आठ अरब रुपये की प्राप्ति हो सकेगी। एक अरब और ७० करोड़ रुपये तो हमें पहले ही प्राप्त हो चुके हैं। मुझे कोई सन्देह नहीं है कि अगले पांच वर्षों में हमें शेष ६ अरब ३० करोड़ रुपया भी प्राप्त हो जायेगा । हम ने सुना है कि आई० बी० आर० डी० का एक शिष्टमंडल भारत-भ्रमण के लिये आने वाला है। हमें आशा है कि आई० बी० आर० डी० से कम से कम ३ अरब रुपये प्राप्त होंगे। इसी प्रकार सनफेड (SUNFED) नामक जो संस्था बन रही है वह भी हमारे लिये अत्यन्त सहायक सिद्ध होगी।

अब मैं घाटे के बजट की व्यवस्था के विषय को लेता हूं। पिछली योजना में ५ अरब रुपये के घाटे की व्यवस्था थी और इस योजना में १२ अरब रुपये की व्यवस्था है। कुछ सदस्यों ने आपत्ति

†मूल अंग्रजी में।

[श्री कासलीवाल]

की है कि घाटे की व्यवस्था हानिकारक सिद्ध हो सकती है किन्तु हमने देखा है कि पिछली योजना के समय वस्तुओं के मूल्यों में कोई वृद्धि नहीं हुई। इस योजना की अवधि में भी हमें ऐसी कोई आशा नहीं है। इतना मैं अवश्य मानता हूं कि इस समय भाव बढ़ गये हैं किन्तु इस का एकमात्र कारण यह है कि पिछले वर्ष की वर्षा और बाढ़ के कारण कृषि उत्पादन को गम्भीर आघात पहुंचा है। यदि हम खपत के लिये जनता को वस्तुयें उपलब्ध कराने का प्रबन्ध करते रहें तो उनके भाव बढ़ने का कोई प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होगा और घाटे के बजट से कोई गड़बड़ नहीं होगी।

जहां तक कर के अपवंचन का सवाल है, कुछ सदस्यों ने बताया है कि करदाता लगभग दो अरब रुपये इस प्रकार टाल देते हैं। बीस तीस करोड़ रुपये तो माननीय वित्त मंत्री ने स्वयं कहा है कि लोग अपवंचन करते हैं। यहां पर प्रश्न यह नहीं है कि कितने धन का अपवंचन किया जाता है। प्रश्न तो यह है कि प्रशासन द्वारा इस प्रकार का प्रबन्ध किया जाना चाहिये कि लोग कर को टालने न पायें।

अन्त में मैं एक बात और कहना चाहता हूं और वह यह है कि योजना के प्रचार के लिये ६ करोड़ रुपये का उपबन्ध किया गया है। इस बात की ओर किसी सदस्य ने ध्यान नहीं दिलाया है। मैं चाहता हूं कि इस रक़म का पूरा-पूरा उपयोग किया जाय ताकि गांव-गांव में और घर-घर में इस योजना का संदेश पहुंच सके। हम सब देशवासियों का कर्त्तव्य है कि निर्माण कार्य में पूर्ण सहयोग दें और योजना को सफल बनायें।

†**श्री आर० एन० रेड्डी** (नलगोंडा) : मैं इस योजना के उद्देश्यों से तो सहमत हूं किन्तु अपने भाषण में मैं इस बात पर ज़ोर देना चाहता हूं कि भूमिसुधार के सम्बन्ध में इस योजना में उचित ध्यान नहीं दिया गया है।

भारत एक कृषि-प्रधान देश है और यहां की ७० प्रतिशत जनता खेती पर निर्भर रहती है। जब तक हम अपने किसानों की दशा नहीं सुधारेंगे तब तक हमारी योजनाओं से लाभ नहीं होगा।

अन्य देशों का उदाहरण हमारे सामने मौजूद है। अन्य देशों ने किसानों की आर्थिक दशा और कृषि-सुधारों की ओर सबसे अधिक ध्यान दिया है और इसी बुनियाद पर उन्होंने औद्योगीकरण में प्रगति की है जब कि हमारे यहां कृषि-सुधार बहुत कम हुए हैं। पुरानी प्रथायें अभी तक चली आ रही हैं। हैदराबाद में किसानों से अब भी बेगार ली जाती है, यद्यपि बेगार वर्जित है। हैदराबाद में भूमि सम्बन्धी कुछ विधियां पारित की गई हैं किन्तु अभी उन्हें भलीभांति लागू नहीं किया गया है। हैदराबाद राज्य द्वारा केन्द्रीय सरकार को भेजा गया प्रतिवेदन यही कहता है। इसके सम्बन्ध में भूमि-सम्बन्धी पैनिल के सामने कई सुझाव दिये गये थे और पैनिल ने उनमें से कुछ सुझावों के सम्बन्ध में निर्णय भी कर दिया था। परन्तु इस अन्तिम प्रतिवेदन में उनमें से कुछ सुझावों को छोड़ दिया गया है। मैं आपको इस सम्बन्ध में कुछ एक अंश पढ़ कर सुनाऊंगा जो यह स्पष्ट करता है कि किस प्रकार से कुछ प्रगतिशील सुझावों को अन्तिम प्रतिवेदन में छोड़ दिया गया है।

पैनिल ने सर्वसम्मति से यह सिफारिश की थी कि उत्पादन पर छटा भाग लगान के रूप में लिया जाये परन्तु योजना आयोग ने यह निर्णय किया है कि चौथाई भाग से कम लगान नहीं लिया जाना चाहिये।

पैनिल की दूसरी सिफ़ारिश यह थी कि यदि कोई भूस्वामी अपनी भूमि पर स्वयं कृषि-कार्य करता है तो और खेती की जिम्मेवारी स्वयं लेता है तो उसे उस भूमि का अधिकार दे दिया जाये,

†मूल अंग्रेजी में।

और किसान को इतनी भूमि दे दी जाये जिससे वह अपने परिवार का निर्वाह कर सके। परन्तु योजना आयोग ने इसको बदल कर यह निर्णय किया है कि भूमि के सम्बन्ध में सम्पूर्ण अधिकार भू-स्वामी को ही होगा।

तीसरी बात यह है कि पैनिल ने यह सिफ़ारिश की थी कि भू-स्वामियों को सकल उत्पादन का छटा भाग प्रतिकर के रूप में मिलना चाहिये। परन्तु योजना आयोग ने चौथाई भाग का निर्णय किया है।

भूधृति की अधिकतम सीमा के बारे में पैनिल ने प्रथम पंचवर्षीय योजना में की गयी सिफ़ारिश के समान ही यह सुझाव दिया था कि परिवार की जोत इतनी हो, जिससे १,६०० रुपये की वार्षिक सकल आय हो सके। परन्तु योजना आयोग ने इसकी कोई भी निश्चित रूपरेखा निर्धारित नहीं की है और इसे राज्य सरकार के ऊपर छोड़ दिया है। परिवार की जोत की कोई निश्चित परिभाषा भी नहीं दी गयी है।

मैं योजना आयोग से पूछना चाहता हूं कि उसने पैनिल द्वारा दिये गये इतने सुन्दर और क्रान्तिकारी सुझावों को क्यों छोड़ दिया है। हमें प्रेस के द्वारा यह ज्ञात हुआ है कि राज्य सरकारों के कुछ एक भू-स्वामी समर्थक व्यक्तियों ने केन्द्रीय सरकार तथा योजना आयोग पर इस बारे में ज़ोर डाला है।

इसलिये योजना आयोग से मेरा निवेदन है कि वह इस समस्या पर एक बार फिर से विचार करे। यदि हम इस योजना को सफलतापूर्वक कार्यान्वित करना चाहते हैं तो हमें देश की कृषि-अर्थ-व्यवस्था के बारे में एक निश्चित योजना बनानी ही होगी। यदि इस बारे में कोई निश्चित योजना न होगी तो देश कभी प्रगति न कर सकेगा, और निर्धन लोग बड़े घाटे में रहेंगे। जब तक किसान निर्धन रहेंगे, वे इस योजना की कार्यान्विति में कोई सहयोग न दे सकेंगे। यह सच है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना में भूमि-सुधार के सम्बन्ध में बहुत कुछ किया गया है परन्तु फिर भी कई क्षेत्रों में किसानों के साथ बड़े अन्याय किये जाते रहे हैं। आज भी किसानों की वैसी ही दुर्दशा है।

इस समस्या के दो पहलू हैं। एक तो यह है कि कृषि सुधार सम्बन्धी एक प्रगतिशील विधान बनाया जाये और दूसरा पक्ष उस विधान को कार्यान्वित करना है। जहां तक उसे कार्यान्वित करने का सम्बन्ध है, उसकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। केन्द्रीय सरकार ने कृषि-सुधार सम्बन्धी सम्पूर्ण कार्य राज्य सरकारों को सौंप दिया है, परन्तु राज्य सरकारें उसकी ओर कोई ध्यान नहीं दे रही हैं। राज्य सरकारें इसके बारे में आश्वासन तो बड़े-बड़े देती हैं, परन्तु उन्हें पूरा नहीं करतीं।

उसे कार्यान्वित करने का प्रश्न एक महत्त्वपूर्ण प्रश्न है, अतः उसकी कार्यन्विति के लिये कोई अच्छी सी व्यवस्था की जाये। यदि उसे ठीक प्रकार से कार्यान्वित किया गया तो किसान तन मन से पूरा सहयोग देंगे।

अतः जब तक देश की कृषि-अर्थ-व्यवस्था कमज़ोर है, ये सभी बड़ी-बड़ी योजनायें असफल सिद्ध होंगी। इसलिये योजना आयोग से मेरा निवेदन है कि वह उपर्युक्त सभी सुझावों को स्वीकार करे और उन्हें सफलतापूर्वक कार्यान्वित करने का प्रयत्न करे ताकि देश आर्थिक दृष्टि से अधिक से अधिक प्रगति कर सके।

†**श्री टी० एस० ए० चेट्टियार** (तिरुपुर) : यह योजना एक अत्यन्त सुन्दर तथा व्यापक योजना है। यह भारतवर्ष के पिछल हज़ार वर्षों के इतिहास में सर्वप्रथम अवसर है, जब कि हम सारे भारतवर्ष के पुनर्निर्माण के लिये एक योजना बना रहे हैं ? यह प्रयत्न एक सराहनीय प्रयत्न है।

---

†मूल अंग्रजी में।

[श्री टी० एस० ए० चेट्टियार]

मुझे इस योजना पर गर्व है और मैं इसका स्वागत करता हूं। इसकी आलोचना करते समय मुझे दो-चार बातें कहनी हैं। योजना में विभिन्न विभागों के लिये आवंटित राशियों में कोई सन्तुलन नहीं है। ४८,००० करोड़ रुपयों की कुल राशि में से सब से अधिक राशि अर्थात २० प्रतिशत की राशि मौलिक उद्योगों के लिये निर्धारित की गई है। हम देश में वैभव की वृद्धि करना चाहते हैं। इसलिये इन मौलिक उद्योगों के लिये अधिक धन आवंटित करना स्वाभाविक ही है।

इस सम्बन्ध में मेरा यह निवेदन है कि भौतिक विकास के साथ ही साथ हमें मानसिक तथा बौद्धिक विकास की ओर भी ध्यान देना चाहिये और उनके लिये देश में शिक्षा के विस्तार की अत्यधिक आवश्यकता है। इस दृष्टि से हमें निराश होना पड़ता है कि योजना में शिक्षा के लिये केवल ६·३ प्रतिशत राशि ही निर्धारित की गई है। मैं अनुभव करता हूं कि यह राशि बहुत कम है।

शिक्षा के सम्बन्ध में विभिन्न कार्यों के लिये निर्धारित की गई राशियों में भी कोई संतुलन नहीं है। प्रारम्भिक शिक्षा के लिये जिसे हमारी जनसंख्या के २० प्रतिशत बच्चे प्राप्त करते हैं, केवल ८९ करोड़ रुपया निर्धारित किया गया है, जबकि माध्यमिक शिक्षा, विश्वविद्यालयीय शिक्षा तथा प्राविधिक शिक्षा के लिये क्रमशः ५१ करोड़, ५७ करोड़ तथा ४८ करोड़ रुपये की राशि निर्धारित की गई है। माध्यमिक शिक्षा तथा उसके बाद की शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या केवल छः लाख है जबकि प्रारम्भिक शिक्षा पाने वाले विद्यार्थियों की संख्या लगभग छः करोड़ है। परन्तु आश्चर्य की बात है कि प्रारम्भिक शिक्षा के लिये बहुत कम धन निर्धारित किया गया। मैं चाहता हूं कि इस असन्तुलन को समाप्त किया जाय और प्रारम्भिक शिक्षा के लिए अधिक धन निर्धारित किया जाए। हम जनसाधारण के हितों की बातें करते हैं, परन्तु दुःख है कि हम उनकी ओर ध्यान नहीं देते। इस लिये मेरा निवेदन है कि शिक्षा के लिये अधिक धन निर्धारित किया जाये और उससे भी अधिक धन बुनियादी शिक्षा के लिये निर्धारित किया जाये।

दूसरी बात मैं बेकारी की समस्या के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं। हमारे देश की आबादी प्रतिदिन बढ़ रही है। इस योजना में भी परिवार आयोजन के सम्बन्ध में बहुत कुछ लिखा गया है, परन्तु कोई भी काम केवल लिख देने से ही पूरा नहीं हो जाता—यह समस्या आज एक राष्ट्रीय समस्या बन गई है। इसलिये मैं यह पूछना चाहता हूं कि इसके सम्बन्ध में क्या किया जा रहा है।

योजना आयोग ने भी अपने प्रतिवेदन में लिखा है कि यदि इस प्रकार से देश की आबादी बढ़ती गई तो धन में वृद्धि होना कठिन होगा। इसलिये जब तक इस बढ़ती हुई आबादी को रोका न जायेगा, हम जनता की आय को न बढ़ा सकेंगे। अतः यह एक ऐसी समस्या है, जिसका शीघ्रातिशीघ्र हल करना अत्यावश्यक है। इसलिये मेरा यह जोरदार निवेदन है कि इस समस्या का शीघ्रातिशीघ्र मुकाबला किया जाये।

देश की बेकारी की समस्या, आबादी की समस्या से पूर्णरूपेण संबद्ध है। आप आज १०० लाख व्यक्तियों को नौकरी देने का प्रबन्ध करते हैं परन्तु ५ सालों में वह संख्या बढ़ कर १४० लाख हो जायेगी। इसलिये हमें इस समस्या को शीघ्रातिशीघ्र हल करना है।

बेकारी की समस्या को साथ ही साथ मैं कुटीर उद्योगों तथा छोटे पैमाने के उद्योगों के प्रश्न पर भी कुछ प्रकाश डालना चाहता हूं। हम जानते हैं कि बड़े उद्योगों में नौकरी दिलाने के अवसर बहुत कम होते हैं। इसलिये हमें छोटे उद्योगों की ओर ही ध्यान देना चाहिये। छोटे उद्योगों पर पूंजी भी कम लगती है। और नौकरी भी अधिक लोगों को दी जा सकती है। इसलिये कुटीर तथा छोट उद्योगों की ओर अधिक ध्यान देना चाहिये, परन्तु दुःख की बात है कि इन छोटे उद्योगों के लिये तो

केवल २०० करोड़ रुपये आवंटित किये गये हैं जब कि बड़े उद्योगों के लिये लगभग ९०० करोड़ रुपये निर्धारित किये गये । हमें छोटे उद्योगों की ओर अधिक ध्यान देना चाहिये । छोटे उद्योगों की स्थापना तथा उनके विक्रय के सम्बन्ध में कई सुझाव दिये गये हैं। परन्तु अब सोचना यह है कि वे योजनायें कार्यान्वित कैसे की जायें । हमें यह देखना है कि इस प्रकार के उद्योगों के लिये कर्मचारियों को प्रशिक्षण कैसे दिया जाये ।

धन के संसाधनों के सम्बन्ध में बहुत कुछ कहा जा चुका है । हमने १,२०० करोड़ रुपये की घाटे की व्यवस्था का उपबन्ध किया है । मूल्यों की वृद्धि तथा मुद्रा-स्फीति के कारण देश के कुछ एक भागों में कृषि-वस्तुओं के मूल्य बढ़ रहे हैं । मैं नहीं जानता कि इस घाटे को पूरा कैसे किया जायेगा । विदेशी सहायता के सम्बन्ध में मैं उन देशों के प्रति कृतज्ञता प्रकट करता हूं जिन्होंने बड़ी उदारतापूर्वक सहायता दी है । यदि कोई विदेशी सहायता हमें बिना किसी राजनीतिक उद्देश्य के दी जाये तब तो उसे स्वीकार करने में कोई बुराई नहीं, परन्तु मैं आपको सचेत कर देना चाहता हूं कि यदि बिना किसी की सहायता के हम स्वावलम्बी बन सकें, तो सर्वोत्तम स्थिति तो वही है । हमारे वित्त मंत्री ने भी इस बात पर जोर दिया है कि यदि हम योजना में अधिक धन लगाना चाहते हैं तो उसके लिये हमें धन की बचत करनी होगी । इसका अर्थ यह है कि हमें अपने खर्च कम करके अपनी कमर कसनी होगी । सरकार से भी मेरी यही प्रार्थना है कि वह भी अपने सभी विभागों में होने वाले अनावश्यक खर्चों से बचने का प्रयत्न करे और अधिक से अधिक धन बचाये । यदि हम जनता को धन बचाने का उपदेश देते हैं तो हम स्वयं सरकारी व्यय में से धन बचाने का प्रयत्न क्यों न करें ?

यदि बड़े लोग बचत न करेंगे और केवल छोटे लोगों से ही हम धन एकत्रित करते रहेंगे, तो उसका देश पर एक निराशावादी प्रभाव होगा । इसलिये मेरा यह निवेदन है कि चोटी के लोग इसमें अधिक से अधिक अंशदान दें । यदि इस प्रकार से ऊपर से नीचे तक सभी ३६ करोड़ लोग इकट्ठा प्रयत्न करें तो हम निश्चय ही अपने उद्देश्य को प्राप्त कर लेंगे । प्रादेशिक भेद-भावों के सम्बन्ध में प्रधान मंत्री तथा योजना आयोग ने भी उल्लेख किया है । मैं समझता हूं कि दक्षिण यह समझ रहा है कि उसके विकास की ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है । मैं जानता हूं कि कच्चा माल भी महत्वपूर्ण होता है और इसीलिये उड़ीसा, बिहार तथा पश्चिमी बंगाल के सीमा-क्षेत्र में द्वितीय पंच-वर्षीय योजना के अधीन सात आठ सौ करोड़ रुपया लगाया जा रहा है । क्योंकि वहां पर लोहे और कोयले के संसाधन विद्यमान हैं । परन्तु जब जनता निर्धन हो और भूखी मर रही हो उस समय ये उद्योग निरर्थक सिद्ध होते हैं । इसलिये मैं यह चाहता हूं कि जहां बड़े उद्योग न चलाये जा सकें, वहां पर छोटे उद्योग चलाने का प्रबन्ध कर दिया जाये ।

आज मैं इस बात पर गौरव अनुभव करता हूं कि हमने स्वराज्य प्राप्त कर लिया है । हमने न केवल स्वतन्त्रता प्राप्त की है, परन्तु अपने इस देश को संसार के महानतम देशों में गिनने योग्य बनाने का निश्चय भी हमने कर लिया है । जेल जाना आसान है परन्तु किसी विशेष उद्देश्य के लिये अपना जीवन दे देना इतना आसान नहीं है । हमें सभी देशवासियों को मिल कर इस कार्य को निभाना है । अतः इस महान् कार्य की ओर ध्यान देना अत्यावश्यक है ।

श्री शिवमूर्ति स्वामी (कुष्टगी) : उपाध्यक्ष महोदय, दो दिन से जो इस दूसरी प्लान (योजना) पर बहस हो रही है उसको मैंने गौर से सुना । मैंने इसके आठ चेप्टरों (अध्यायों) को भी पढ़ा है । लेकिन मै इसके बेसिक प्रिंसिपल (मूल सिद्धान्त) से इख्तिलाफ रखता हूं । जब हम नेशनल (राष्ट्रीय) और डिमाक्रटिक (प्रजातंत्री) बेसिस (आधार) पर एडमिनिस्ट्रेशन (शासन) चला रहे हैं तो मैं समझता हूं कि हमारा डेवेलपमेंट (विकास) भी उसी प्रजा प्रभुत्व के दृष्टिकोण से किया जाना

[श्री शिवमूर्ति स्वामी]

चाहिये। अगर आज हम देखें तो हमको मालूम होगा कि हमारे देश में एक धन्धे के लोग सबसे ज्यादा तादाद में बसते हैं और वे हैं किसान लोग जो कि सारी आबादी के ७० परसेंट होते हैं। जिस तरह से हमारे एडमिनिस्ट्रेशन (शासन) में यह है कि एक आदमी को एक वोट का अधिकार होता है इसी तरह इस नेशनल प्लान में भी यह उसूल रखा जाना चाहिये हर एक आदमी की आमदनी में एक-एक रुपया बढ़े। अगर इस प्लान को इस उसूल पर चलाया जायेगा तभी यह नेशनल प्लान होगा और तब इस प्लान का ७० परसेंट (प्रतिशत) एग्रीकल्चरल स्टेबिलिटी (कृषि स्थायित्व) के लिये, किसानों को मजबूत करने के लिये और विलेज इकानमी (ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था) को बढ़ाने के लिये जाना चाहिये। अगर ऐसा नहीं किया जायेगा तो इस प्लान को नेशनल नहीं कहा जा सकता, फिर तो इसको विदेशी या पश्चिमी प्लान कहा जायेगा।

इस हाउस में यह बात काफी जोर के साथ कही जाती है और हमारे प्रधान मंत्री जी भी कहते हैं कि हम अपनी रूरल इकानमी में कम्युनिटी प्रोजेक्ट्स (सामुदायिक परियोजनायें) और नेशनल एक्सटेंशन सरविसेज़ (राष्ट्रीय विकास सेवायें) की वजह से काफी तबदीली देखते हैं और इस पर हम बहुत गर्व कर सकते हैं। इसके बारे में मैं कुछ कहना चाहता हूं। हो सकता है कि आप समझें कि मैं एक विरोधी दल का आदमी हूं इसलिये ऐसा नुक्ताचीनी की दृष्टि से कहता हूं। लेकिन मैं किसी पक्ष से सम्बन्ध नहीं रखता। मैं तो सिर्फ यह कहना चाहता हूं कि भारतवर्ष की आर्थिक रचना को सहकार द्वारा जितना बढ़ावा दिया जा सकता है उतना दिया जाये।

कम्युनिटी प्रोजेक्ट्स के सम्बन्ध में जो कुरुक्षेत्र के पत्र में आंकड़े दिये गये हैं उनको आप गौर से देखें तो मालूम होगा कि जिन लोगों ने कम्युनिटी प्रोजेक्ट्स के स्थान को जाकर देखा है उनकी क्या राय है।

आदर्श सेवा संघ के श्री जे० के० पुरानिक जो कि एग्रेरियन रिफार्म (भूमि-सुधार) में बहुत इंटरेस्ट (हित) रखते हैं वह रूरल इंडिया (ग्रामीण भारत) में इस बारे में हर महीने अपने विचार लिखते हैं जिनसे इस प्रश्न पर काफी रोशनी पड़ती है। उनका कहना है कि शारीरिक कार्यकलापों के आंकड़ों का संकलन साधारण व्यक्ति के लिये चाहे दिलचस्प हो, परन्तु अनुभव यह है कि यह भ्रमोत्पादक होता है।

इसी तरीके से वह आगे कहते हैं कि इन परियोजनाओं से जनता को कोई संतोष नहीं हुआ। यह इस बात का द्योतक है कि विचार और कार्य में कितना अन्तर विद्यमान है।

यह कहने के बाद अक्तूबर १९५५ के "कुरुक्षेत्र" से जिसमें श्री दया शंकर दुबे ने "क्रिटिकल रेव्यू आफ कम्युनिटी प्राजेक्ट्स" के मातहत आंकड़े दिये हुए हैं, उनमें से चार पांच आइटम्स (मदों) मैं नमूने के तौर पर आपको पढ़ कर बताता हूं। चूंकि मेरे पास समय नहीं है इसलिये पूरी तफसील से उनकी बाबत नहीं बतला सकता। इस "क्रिटिकल रेव्यू आफ कम्युनिटी प्राजेक्ट्स" में कुल २७ आइटम्स हैं। एक-एक आइटम को अगर हम गौर से देखें तो हम पायेंगे कि उनमें तीस जून सन् ५५ तक की डेवेलेपमेंट ऐक्टिविटीज़ (विकास कार्यवाइयों) के ऐचीवमेंट्स का जिक्र है। अपने फाइव इयर प्लान (पंचवर्षीय योजना) में हमने १९ करोड़ रुपया रक्खा था और हम यह उम्मीद रखते थे कि इन प्रोजेक्ट्स के बनने से हमारे हिन्दुस्तान की शक्ल बदल जायेगी लेकिन उन आंकड़ों को देखने से यह मालूम पड़ता है कि हमारा एचीवमेंट निराशाजनक रहा है और जनता को भारी निराशा हुई है। सामुदायिक परियोजना के आलोचनात्मक पर्यालोचन के अनुसार कम्पोस्ट (खाद) के ७·४८ गढ़े खोदे गये और १०० गांवों के प्रति खण्ड में एक वर्ष में ६४० गढ़े हैं। अब आप ही

बतलाइये कि हमारा ऐचीवमेंट कितना पुअर (निराशाजनक) रहा है कि १०० गांवों के एक ब्लाक में केवल ६४० पिट्स (गढ़े) खोद पाये हैं जबकि एक-एक विलेज (गांव) में ६००, ६०० पिट्स होते हैं।

इसी तरह फर्टिलाइज़र्स (उर्वरकों) के बारे में यह दिया हुआ है : उर्वरक वितरित किये गये ४६·०२ मन, एक वर्ष के १०० गांवों के प्रति खण्ड के अनुसार ३,४१२ मन। वह भी बहुत नाकाफी साबित हुए हैं और मौजूदा हालत में पैदावार में कोई इजाफा नहीं हो सकता और वह दरिया में एक बूंद पानी के समान हैं।

इसी तरह एम्पलीमेंट्स (उपकरणों) के बारे में आप देखेंगे कि औजार वितरित किये गये १·६८ और १०० गांवों के प्रति खण्ड के अनुसार १६१ औजार। इसके अनुसार एक विलेज को एक एम्पलीमेंट पड़ता है जोकि आप समझते हैं कि कितना नाकाफी है और एक-एक या दो-दो एम्पलीमेंट्स से क्या बन सकता है। मैंने अपने वहां के कम्युनिटी प्राजेक्ट्स ऐरिया (क्षेत्र) में घूम कर डेवेलपमेंट के कामों को देखा है, बम्बई, हैदराबाद और मैसूर के बारे में तो कह सकता हूं कि वहां पर डेवेलपमेंट के कामों में कोई खास तेज़ी नहीं है और न ही कोई उत्साहवर्धक परिणाम हमको देखने को मिले हैं।

इसी तरह डिमांस्ट्रेशन फ़ार्म्स (प्रदर्शन-फार्मों) के बारे में यह आंकड़ें दिये हुए हैं : प्रदर्शन-फार्म आरम्भ किये गये ६·०९ और १०० गांवों के प्रति खण्ड के हिसाब से ३७६ फार्म।

मदरसों के बाबत यह आंकड़े दिये हुए हैं : साधारण स्कूल बदले गये ·०२५३५ और ७ स्कूल बुनियादी स्कूल बनाये गये। नये स्कूल खोले गये ·०८ और १०० गांवों के लिये ३१ स्कूल।

इसी तरह आप देखेंगे कि उसमें सड़कों के बारे में दिया हुआ है : पक्की सड़कें बनाई गईं ·८२२३४ मील, प्रति १०० गांव के लिये २ मील। कच्ची सड़क बनाई गई ·१९ मील, प्रति १०० गांव के लिये १८ मील।

इसी तरह वेल्स (कुओं) के बाबत आप देखेंगे कि उसमें यह दिया हुआ है : कुएं खोदे गये ·१७ प्रति सौ गांव के लिये १६ कुएं। पुराने कुएं चलाये गये ·२८, प्रति १०० गांव के लिये २५ कुएं। इससे साफ जाहिर होता है कि हमारे यह सब काम कितने नाकाफी हैं और इनको देखकर मन में एक निराशा सी उत्पन्न होती है। इसी तरह हम देखते हैं कि इरीगेशन (सिंचाई) का काम बिलकुल नाकाफी हुआ है।

मुझे अपने मंत्री महोदय से कहना है कि सिर्फ पैसा प्रोवाइड कर देने से ही सारे डेवेलपमेंट के काम पूरे नहीं हो जाते और आज ज़रूरत इस बात की है कि सरकार इन डेवेलपमेंट के कामों को चलाने के लिये सेल्फलेस वर्कर्स मुक़र्रर करे जिनकी कि आज बहुत कमी है और इसी कारण हमें इन डेवेलपमेंट के कामों में कामयाबी नहीं मिल पा रहा है। वहां पर जो पैसा दिया जाता है वह सारा का सारा प्रापेगेंडा वर्क में खर्च कर दिया जाता है और वास्तविक काम नहीं हो पाता है। इस तरह से यह समझना कि हाउसिंग (मकानों) की कोई प्राब्लेम (समस्या) नहीं है या यह समझना कि इस तरह से कम्युनिटी प्राजेक्ट्स ज्यादा अच्छा काम कर सकेगी, मैं समझता हूं कि ठीक नहीं है और मैं इस की ताईद नहीं कर सकता। हालांकि आज आर्गेनाइजेशन्स (संगठन) मौजूद हैं, सेल्फलेस वर्कर्स (निस्वार्थी कार्यकर्ता) हैं, लेकिन उनके जिम्मे इतने ज्यादा गांव रख कर उनके ऊपर सारी जिम्मेदारी छोड़ देना ठीक नहीं है। इस तरह से आपका यह कहना कि आल इंडिया कम्युनिटी प्राजेक्ट्स (अखिल भारतीय सामुदायिक परियोजनाओं) का दायरा हम बढ़ा रहे हैं, यह ठीक नहीं है। इस चीज को छोड़ कर दस गांव को आप ले लीजिये, बीस गांवों को ले लीजिये या पच्चीस को ले लीजिये और उनको एक

[श्री शिवमूर्ति स्वामी]

कम्यूनिटी प्रोजेक्ट के अन्दर रख दीजिये लेकिन वह गांव सेल्फ सफिशिएंट (स्वावलम्बी) होने चाहिये। जब तक वह सेल्फ सफिशिएंट नहीं होंगे, तब तक आपको कोई फायदा कम्यूनिटी प्रोजेक्ट्स से नहीं होगा। लेकिन क्या आज कोई भी गांव सेल्फ सफिशिएंट है ?

आप कहते हैं कि हम ने कम्यूनिटी प्रोजेक्ट्स के लिये ९० करोड़ रुपया दिया है, लेकिन उसमें से खर्च कितना हुआ है ? सेन्टर और स्टेट को मिला कर रूरल इंडिया (ग्रामीण भारत) के लिहाज से कुल २०·४२ करोड़ रुपया खर्च हुआ है। फर्स्ट फाइव इअर प्लैन को पूरी तरह से इम्पलीमेंट (कार्यान्वित) करने के वास्ते, अगर हमारी यही रफ्तार रही तो, कम से कम तीन या चार और प्लान्स (योजनाओं) तक हम को जाना पड़ेगा, तब कहीं जाकर आपका ९० करोड़ के खर्च का टार्गेट (लक्ष्य) पूरा हो सकेगा। अब इस प्लान में हम कम्यूनिटी प्रोजेक्ट्स वगैरह के लिये २०० करोड़ रुपया और ऐलाट कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि प्लैनिंग कमिशन इसको किस तरह से इम्प्लीमेंट करना चाहता है ?

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि जो आपकी अमेरिकन स्पान्सर्ड स्कीम्स (अमेरिका द्वारा चलाई गई योजना) हैं, उनकी मैं कोई वजह नहीं देखता। सर्वोदय समाज की दृष्टि से जो बातें बताई गई थीं और जिसको हमारी सरकार को पूरा करना था और उस तरह की जो समाज रचना करनी थी, अगर उसकी तरफ हमारी सरकार जाती और उस रचना को कार्यान्वित करने की कोशिश करती तो ज्यादा अच्छा था। आप जो सर्वोदय समाज की बातें यहां करते हैं वह सिर्फ आपकी पार्लियामेंट के मेम्बरों के समझने के लिये नहीं है, वह हमारे गांवों के लिये है। लेकिन मेरी समझ में नहीं आता कि गांवों में इन शब्दों से कहां तक उत्साह हुआ है। आज सर्वोदय समाज को कम्यूनिटी प्रोजेक्ट्स में तब्दील करने का मैं विरोधी हूं। आज जो सेल्फलेस वर्कर्स हैं, कुमारप्पा जैसे, और दूसरे वर्कर्स, जिन्होंने गांवों में जाकर अपनी जिन्दगी बरबाद की है, जिन्होंने गांवों के लिये अपना जीवन अर्पण कर दिया है, उनको इस तरह के काम को और उसके ऐडमिनिस्ट्रेशन को सौंपना चाहिये। आज भी देश में सेल्फलेस वर्कर्स की कमी नहीं है, लेकिन उनसे काम लेने वाला कोई नहीं है। जब आप उनकी सहायता से काम करेंगे तभी आपका काम पूरा हो सकता है वर्ना नहीं होगा।

प्लैनिंग के बारे में मैं यह कहना चाहता हूं कि हम को उससे यह मालूम होना चाहिये कि हम किस तरफ जा रहे हैं, हमारा प्लैनिंग करने का उद्देश्य क्या है ? आप यह एलान करते हैं कि इस प्लान के अन्दर पांच वर्ष बाद आप फूडग्रेन को इम्पोर्ट (खाद्यान्न का आयात) नहीं करेंगे, आप सेल्फ सफिशिएंट हो जायेंगे। आप कहते हैं कि हम पंद्रह या बीस परसेन्ट फूडग्रेन्स की पैदावार बढ़ा लेंगे। लकिन जनता इस चीज को समझने वाली नहीं है। जब तक आप जनता में इंसेंटिव (उत्साह) नहीं पैदा करते, जब तक अपने दृष्टिकोण को नहीं बताते हैं, कि हम इस तरह से प्लैनिंग करना चाहते हैं कि पांच साल बाद फैक्ट्रीज के वर्कर्स की वेजेज ५ परसेन्ट या १० परसेन्ट बढ़ जायें, जब तक आप उनको नहीं बताते कि इस फाइव इयर प्लैन के अन्दर आप उनके एक्स्पेक्टेशन्स (आशाओं) को इस हद तक पूरा कर देंगे, तब तक आपको यह उम्मीद नहीं करनी चाहिये कि आपकी प्लैन पूरी इम्पलीमेंट हो जायेगी। कुछ नहीं हो सकेगा, सिवा इसके आपको यह सैटिस्फैक्शन (संतोष) मिल जाय कि आपने पार्लियामेंट के अन्दर प्लैन को रख दिया है। सिर्फ पार्लियामेंट के अन्दर बैठ कर फैसला करने से ही कुछ नहीं होता है। आपको इस के लिये ठीक से कोशिश करनी पड़ेगी। जो अफसर आपके इस प्लैन को पूरा करने के लिये ठीक से काम नहीं करते, उनको आपको निकाल देना चाहिये। मैं पार्लियामेंट के मेम्बरों से अपील करता हूं कि वह इस मामले में सख्ती से काम लें। जो रुपया हम इस काम के लिये एलाट करते हैं अगर मिनिस्टर उसको पूरी तौर से और ठीक से खर्च नहीं करता है, कम से कम निर्धारित निधि का ६० प्रतिशत खर्च नहीं करता है, तो वह अगले साल के लिये

मिनिस्टर बनने के काबिल नहीं है और उसको निकाल देना चाहिये क्योंकि इससे मालूम होता है कि जितना पैसा हम देते हैं उसका इस्तेमाल अच्छे तरीक से और पूरी तरह नहीं होता।

मैं अभी फाइव इअर प्लैन के बारे में कह रहा था। मैं कहना चाहता हूं कि हम को कुछ टार्गेट्स रखने चाहिये। हमारे कांस्टिट्यूशन के डाइरेक्टिव प्रिंसिपल्स (निदेशक तत्वों) में बताया गया है कि दस साल के अन्दर प्राइमरी एजुकशन फ्री और कम्पल्सरी (बुनियादी शिक्षा मुफ्त और अनिवार्य) हो जायेगी। लेकिन दूसरी फाइव इअर प्लैन में इसका कोई एलान नहीं है कि हम एजुकेशन को फ्री और कम्पल्सरी कर देंगे। इस पंचवर्षीय योजना में गांव में लोगों को शिक्षा देने के लिये आपने कोई प्राविज़न नहीं किया है। मैं आपको अपने अनुभव से बतलाता हूं कि गांवों में जो प्राइमरी स्कूल होते हैं, जो वहां पर सेकेन्डरी स्कूल होते हैं तथा उनको जो ग्रांट्स दी जाती हैं, उन ग्रांट्स को पाने के लिये उन्हें उसी प्रोसीज़र का अवलम्बन करना पड़ता है जिसका कि उन्हें अंग्रेज़ों के जमाने में करना पड़ता था। अंग्रेज़ों का दृष्टिकोण तो हमेशा यह रहा था कि गांवों में लोगों को शिक्षा की कोई सहूलियतें न मिलें। मुझे अफसोस है कि आज भी वही प्रोसीज़र ग्रांटस देने का है जोकि अंग्रेज़ों के ज़माने में था। मैं चाहता हूं कि इस प्रोसीज़र को निकाल बाहर किया जाये और आपको चाहिये कि आप डिस्ट्रिक्ट डिवेलेपमेंट कमिटीज़ (जिला विकास समितियों) को इस सारे काम के लिये रिसपोंसिबल कर दें। आप इस काम को सेंट्रलाइज्ड रख कर बहुत ज्यादा मुश्किलात में फंस जायेंगे और यदि आप इस सारे काम को डिस्ट्रिक्ट डिवेलेपमेंट कमिटीज़ के सुपुर्द कर देंगे तो आप बहुत कुछ हद तक इस काम को आगे बढ़ा सकेंगे। मैं यह भी चाहता हूं कि आपको फ्री एजुकेशन लोगों को देने के बारे में भी कोई टार्गेट फिक्स कर लेना चाहिये था।

आपने कहा है कि आप नेशनल इनकम (राष्ट्रीय आय) में १८ परसेंट की वृद्धि करेंगे। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि आप क्या उन लेबरर्स की वेजिज़ में भी जो कि फैक्टरीज़ में काम करते हैं, १८ फीसदी या २५ फीसदी की वृद्धि करेंगे। जिस तरह से आप काम करते हैं, उसके आधार पर मैं यह कह सकता हूं कि लोगों की आपके प्लान में कोई दिलचस्पी नहीं है। आपको चाहिये था कि डिस्ट्रीब्यूशन (वितरण) ठीक तरह से हो इस पर भी ध्यान देते। आपको यह भी चाहिये था कि आप लोगों की जो निसेसेटीज़ आफ लाइफ (जीवन की आवश्यकताएं) हैं, जैसे कपड़ा है, फूडग्रेंस हैं उन पर भी और ज्यादा ज़ोर देते। बजाय आप इस बात की कोशिश करते कि इनके भाव ठीक रहते आपने इन चीज़ों पर और ज्यादा टैक्स लगाने की योजना बना कर इन की कीमतों को और बढ़ा कर लोगों को और भी ज्यादा मुश्किल में डाल दिया है। यह जो टैक्स लगाने का विचार किया जा रहा है, इस मनोवृत्ति की मैं निन्दा करता हूं।

अब मैं इकोनोमी आफ परमानेंस (स्थायी अर्थ-व्यवस्था) के बारे में जो विचार श्री जे० सी० कुमारप्पा ने प्रकट किये हैं उनको आपके सामने पेश करना चाहता हूं। वह कहते हैं कि यदि साधारण व्यक्ति योजना को नहीं समझता और उसके लिये सहयोग नहीं देता, तब योजना निष्प्राण है। धन के आंकड़ों से लोगों को संतोष नहीं हो सकता। पहले उनके भोजन, कपड़े और आवास की व्यवस्था की जानी चाहिये। उसके बाद दूसरे उत्पादन की ओर ध्यान दिया जाये। इस दिशा में आर्थिक गतिविधि को चलाना सरकार का कर्त्तव्य है।

ये जो उसूल उन्होंने बताये हैं, मैं चाहता हूं कि गवर्नमेंट इन पर चले। कहने को तो बहुत सी बातें थीं, लेकिन चूंकि वक्त नहीं है, इस वास्ते मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं और अन्त में इतना ही कहना चाहता हूं कि जो-जो बातें मैंने कही हैं, उन पर गवर्नमेंट विचार करे और उन पर अम्ल करने की कोशिश करे। खास तौर से कम्युनिटी प्रोजेक्ट एरियाज़ के बारे में जो सुझाव मैंने दिये हैं, मैं

[श्री शिवमूर्त्ति स्वामी]

चाहता हूं कि मंत्री महोदय उन पर विचार कर लें और उन पर अम्ल करने की कोशिश करें। यदि ऐसा किया गया तो मैं समझता हूं कि देश में खुशहाली बढ़ेगी और आपका प्लान भी कामयाब होगा।

इतना कह कर मैं आपका शुकरिया अदा करता हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया।

राज्य-सभा से सन्देश

†**सचिव** : श्रीमान्, मुझे राज्य-सभा के सचिव से निम्न संदेश प्राप्त हुआ है :

"मुझे लोक-सभा को सूचना देनी है कि लोक प्रतिनिधित्व (द्वितीय संशोधन) विधेयक, १९५६, जो लोक-सभा द्वारा १८ मई, १९५६ की बैठक में पारित किया गया था, राज्य-सभा द्वारा २५ मई, १९५६ की बैठक में, निम्न संशोधनों के साथ पारित किया गया है :

खण्ड ४१

१. कि पृष्ठ १६ में, पंक्ति २६-२७ में "Section" ["धारा"] के स्थान पर "Sections" ["धाराएँ"] रखा जाये।

२. कि पृष्ठ १६ में, पंक्ति २७ के पश्चात् निम्नलिखित रखा जाये, अर्थात् :

"Publication of results of elections to the Council of States and of names of persons nominated by the President.

71. After the elections held in any year in pursuance of the notifications issued under section 12, there shall be notified by the appropriate authority in the Official Gazette the names of members elected by the elected members of the Legislative Assemblies of the States and by the members of the electoral colleges for the various Part C States at the said elections together with the names of any persons nominated by the President to the Council of States under sub-clause (*a*) of clause (1) of article 80 or under any other provisions.

Publications of results of elections for the reconstitution of electoral colleges for certain Part C States.

72. After the elections held in pursuance of the notification issued under section 13 for the reconstitution of the electoral college for a Scheduled Part C State, there shall be notified by the appropriate authority in the Official Gazette as soon as may be after the date or the last of the dates fixed for the completion of the said elections, the names of the persons elected for the various electoral college constituencies at the said elections."

["राज्य-सभा के निर्वाचनों के परिणामों का प्रकाशन और राष्ट्रपति द्वारा नामनिर्देशित व्यक्तियों के नाम।

७१. धारा १२ के अन्तर्गत जारी की गई अधिसूचना के अनुपालन में किसी भी वर्ष हुए निर्वाचनों के पश्चात्, उचित प्राधिकारी शासकीय राजपत्र में उन व्यक्तियों के नामों की अधिसूचना जारी करेगा जो राज्यों की विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा और उक्त निर्वाचनों के समय विभिन्न भाग 'ग' राज्यों के निर्वाचक-गणों के सदस्यों द्वारा निर्वाचित किये गये हैं, और जो धारा ८० के खण्ड (१) के उपखण्ड (क) के अधीन या अन्य किसी उपबन्ध के अधीन, राष्ट्रपति द्वारा राज्य-सभा के लिये नामांकित किये गये हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में।

कतिपय भाग 'ग' राज्यों के निर्वाचक-गणों की पुनर्रचना के लिये निर्वाचनों के परिणामों का प्रकाशन ।

७२. अनुसूचित भाग 'ग' राज्य के निर्वाचक-गण की पुनर्रचना के लिये धारा १३ के अन्तर्गत जारी की गई अधिसूचना के अनुपालन में हुए निर्वाचनों के पश्चात्, उपयुक्त प्राधिकारी शासकीय राजपत्र में, उपर्युक्त निर्वाचनों की समाप्ति के लिये निश्चित की गई अन्तिम तिथि के यथाशीघ्र पश्चात्, उन व्यक्तियों के नाम अधिसूचित करेगा जो उपर्युक्त निर्वाचनों में विभिन्न निर्वाचक-गण निर्वाचन क्षेत्रों के लिये निर्वाचित किये गये हैं ।"]

३. कि पृष्ठ १६, पंक्ति २८ में "71" ["७१"] के स्थान पर "73" ["७३"] रख दिया जाये ।

४. कि पृष्ठ १७ पर पंक्ति ९ के पश्चात् निम्न अंश जोड़ दिया जाये :

"Publication of results of elections to the State Legislative Councils and of names of persons nominated to such Councils.

74. After the elections held in any year in pursuance of the notifications issued under Section 16, there shall be notified by the appropriate authority in the Official Gazette the names of the members elected by the various Council constituencies and by the members of the Legislative Assembly oft he State at the said elections together with the names of any persons nominated by the Governor or Rajpramukh, as the case may be, under sub-clause (*e*) of clause (3) of article 171."

["राज्य विधान परिषदों के निर्वाचनों के परिणामों और इन परिषदों के लिये नामनिर्देशित व्यक्तियों के नामों का प्रकाशन ।

७४. धारा १६ के अन्तर्गत जारी की गई अधिसूचनाओं के अनुपालन में प्रति वर्ष हुए निर्वाचनों के पश्चात् उपयुक्त अधिकारी शासकीय राजपत्र में उन व्यक्तियों के नाम अधिसूचित करेगा जो उपर्युक्त निर्वाचन में विभिन्न परिषद् निर्वाचन क्षेत्रों के सदस्यों द्वारा और राज्य विधान सभा के सदस्यों द्वारा निर्वाचित हुए हैं और जो यथास्थिति धारा १७१ के खण्ड (३) के उपखण्ड (ङ) के अधीन राज्यपाल या राज्य प्रमुख द्वारा नामनिर्देशित किये गये हैं ।"]

खण्ड ७९

५. कि पृष्ठ ३० में वर्तमान खण्ड ७९ हटा दिया जाये ।

खण्ड ८०

६. कि पृष्ठ ३०, पंक्ति ७ में उपखण्ड (क) के स्थान पर निम्न रख दिया जाये :

"(a) in sub-section (i), for the words and figures 'section 75' the words and figures 'section 74' shall be substituted; and"

["(क) उपखण्ड (१) में 'धारा ७५' शब्द और आंकड़ों के स्थान पर 'धारा ७४' शब्द और आंकड़े रख दिये जायेंगे; और"]

७. पृष्ठ ३० में, पंक्ति ८ से १० में उपखंड (ख) के स्थान पर निम्न अंश रख दिया जाये; अर्थात् :—

"(b) to sub-section (2), for the word and figures 'section 75' the word and figures 'section 74' shall be substituted."

[सचिव]

["(ख) उपधारा (२) में 'धारा ७५' शब्द और आंकड़े के स्थान पर 'धारा ७४' शब्द और आंकड़े रख दिये जायेंगे ।"]

इसलिये मुझे राज्य-सभा के प्रक्रिया और कार्य संचालन के नियमों के नियम १२६ के उपबंधों के अनुसार इस विधेयक को इस प्रार्थना के साथ वापिस भेजना है कि लोक-सभा द्वारा इन संशोधनों की सहमति इस सभा को भेज दी जाये ।

लोक प्रतिनिधित्व (द्वितीय संशोधन) विधेयक, १९५६

†**सचिव :** श्रीमान, मैं लोक प्रतिनिधित्व (द्वितीय संशोधन) विधेयक, १९५६, जो राज्य-सभा द्वारा संशोधनों के साथ पारित किया गया है, सभा-पटल पर रखता हूं ।

†**श्री कामत** (होशंगाबाद) : क्या संशोधनों सहित राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में इस विधेयक पर इसी सभा में विचार किया जायेगा ?

†**उपाध्यक्ष महोदय :** इस पर विचार किया जायेगा ।

†**श्री राधा रमण** (दिल्ली राज्य) : मैं चाहता हूं कि सभा स्थगित होने से पूर्व मुझे बोलने का अवसर दिया जाये ।

†**उपाध्यक्ष महोदय :** सभा की अगली बैठक में देखेंगे ।

इसके पश्चात् लोक-सभा सोमवार, २८ मई, १९५६ के साढ़े दस बजे तक के लिये स्थगित हुई ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

दैनिक संक्षेपिका

[शनिवार, २६ मई, १९५६]

पृष्ठ

सभा-पटल पर रखे गये पत्र ... ४०२३, ४०२५–२६

निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखे गये :

(१) विस्थापित व्यक्ति (प्रतिकर और पुनर्वास) अधिनियम १९५४ की धारा ४०, उपधारा (३) के अन्तर्गत, विस्थापित व्यक्ति (प्रतिकर और पुनर्वास) नियम, १९५६ में कुछ अग्रेतर संशोधन करने वाली अधिसूचना संख्या एस० आर० ओ० ११६१, दिनांक १९ मई, १९५६ की एक प्रति ।

(२) ३१ दिसम्बर, १९५५ से ३१ मार्च, १९५६ तक की अवधि में निवारक निरोध अधिनियम १९५० की क्रियान्विति के बारे में आंकड़ों की पुस्तिका की एक प्रति ।

प्राक्कलन समिति के प्रतिवेदन उपस्थापित ४०२३

उनत्तीसवां और तीसवां प्रतिवेदन उपस्थापित किये गये ।

याचिका का उपस्थापन ४०२४

श्री विश्वनाथ रेड्डी ने भारतीय डाक और तार अधिनियम और उसके अधीन बनाये गये नियमों के बारे में एक व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षर की हुई याचिका को उपस्थापित किया ।

अविलम्बनीय लोक-महत्व के विषयों की ओर ध्यान दिलाना ४०२४–२५

(१) श्री बीरेन दत्त ने त्रिपुरा में चावल के भाव में वृद्धि की ओर ध्यान दिलाया। खाद्य और कृषि उपमंत्री (श्री एम० वी० कृष्णप्पा) ने उसके बारे में एक वक्तव्य दिया ।

(२) श्री वल्लाथरास ने भारतीय राज्य-क्षेत्र में सिलटह कछार सीमा पर २३-५-१९५६ से पाकिस्तानी सशस्त्र सेनाओं द्वारा लगातार गोलीबारी की ओर ध्यान दिलाया । प्रधान मंत्री ने उसके बारे में एक वक्तव्य दिया ।

कार्य मंत्रणा समिति का प्रतिवेदन स्वीकृत ४०२६–२७

सैंतीसवां प्रतिवेदन स्वीकार किया गया ।

सरकारी संकल्प विचाराधीन ४०२८–७२

द्वितीय पंचवर्षीय योजना के बारे में संकल्प और उससे सम्बन्धित संशोधनों पर आगे चर्चा जारी रखी गयी । चर्चा समाप्त नहीं हुई ।

पृष्ठ

राज्य-सभा से संदेश ४०७२—७४

सचिव ने बताया कि लोक प्रतिनिधित्व (द्वितीय संशोधन) विधेयक, जो लोक-सभा द्वारा १८ मई, १९५६ की बठक में पारित किया गया था, राज्य-सभा द्वारा २५ मई, १९५६ की बैठक में, संशोधनों के साथ पारित किया गया है और राज्य-सभा ने विधेयक को इस अनुरोध के साथ वापिस लौटा दिया है कि लोक-सभा द्वारा इन संशोधनों की सहमति राज्य-सभा को भेज दी जाये ।

विधेयक, राज्य-सभा द्वारा संशोधित रूप में, सभा-पटल पर रखा गया ४०७४

सचिव ने लोक प्रतिनिधित्व (द्वितीय संशोधन) विधेयक की, जिसको राज्य-सभा ने संशोधनों के साथ वापिस लौटा दिया था, एक प्रति सभा-पटल पर रखी ।

२८ मई, १९५६ के लिए कार्यावलि—

त्रावणकोर-कोचीन राज्य विधान-मण्डल (शक्तियों का प्रत्यायोजन) विधेयक और भारतीय आय-कर (संशोधन) विधेयक पर विचार और उसका पारण । खड्गपुर में रेलवे सम्बन्धी उपद्रवों से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा और राष्ट्रीय अनुशासन योजना पर आधे घंटे की चर्चा ।

M145LSD—190—17-1-58—GIPF.